लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha
(Session IX)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

34 LSD

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक सभा

शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तिब्बती सीमान्त क्षेत्र में डाक घर

*१४७८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री ६ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से बम्पा में दैनिक सेवा चालू करने तथा तिब्बत की सीमा पर एक अतिरिक्त डाकखाना खोलने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब कार्यान्वित किया जायगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). जी हां। बम्पा शाखा डाक घर के लिये दैनिक सर्विस का प्रबन्ध करने का प्रश्न छोड़ दिया गया है क्योंकि इस कार्यालय से प्रति वर्ष ४५६९ रुपये ८ आने की हानि है जो ग्राह्य सीमा से कहीं अधिक है । इस वर्ष में अलमोड़ा ज़िले में गुन्जी और पुरफू तथा गढ़वाल ज़िले में झेलम नामक स्थानों पर तीन मौसमी डाकघर और खोले जायेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जो तीसरे दिन डाक बम्पा पहुंचती है

उस में कितना घाटा होता चला आ रहा था और प्रति दिन डाक पहुंचने से कितना अतिरिक्त घाटा होगा ?

श्री राज बहादुर : घाटा तो इस में बताया गया । मैं उस की संख्या फिर बता दूं । वह ४५६९ रुपये ८ आने था । और अगर इस को बढ़ा कर डेली कर दिया जायगा तो और हानि होगी जो लगभग १०० रुपये १ आना होगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुझाव पर भी विचार किया गया है कि एक्स्ट्रा डिपार्टमैंटल रनर्स के द्वारा उन इलाकों में डाक चलायी जाय ताकि खर्चा कम हो सके ?

श्री राज बहादुर : इस पर भी सम्भवतः विचार किया गया है । लेकिन आजकल यह डाकघर डिपार्टमैंटल तरीके से काम करता है और प्रशासनिक कारणों से ऐसा किया गया है ।

श्री डाभी : प्रश्न संख्या १४७९ ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस में सुविधा हो तो प्रश्न संख्या १४८१ को भी इस के साथ ही ले लिया जाये ।

श्री राज बहादुर : हां श्रीमान् ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : हां श्रीमान् ।

भारत अमरीका हवाई यातायात करार

*१४७९. **श्री डाभी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अमरीकी सरकार का एक शिष्ट मण्डल इन्हीं दिनों

नयी दिल्ली में इस आशय से आने वाला है कि भारत और अमरीका के मध्य हवाई यातायात करार के सम्बन्ध में भारत सरकार से अग्रेतर बातचीत की जाये;

(ख) क्या इस के सम्बन्ध में भारत सरकार ने अमरीकी सरकार को कोई प्रस्थापनाएं भेजी हैं; तथा

(ग) यदि हां, तो वे किस प्रकार की प्रस्थापनाएं हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत में आने वाले ऐसे किसी भी शिष्ट मण्डल के बारे में मझे कोई ज्ञान नहीं है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत-अमरीका हवाई यातायात करार

***१४८१. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और अमरीका के बीच हवाई यातायात सम्बन्धी अल्पकालिक करार की बातचीत के टूट जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अमरीका की सरकार ने कोई नया सुझाव भेजा है या भेजेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिसम्बर, १९५४ में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार ने प्रस्ताव किया था कि उस समय लागू भारत अमरीका वायु संविदा (जो १९४६ में किया गया था) जो १४ जनवरी, १९५५, को समाप्त होता था उसे नये वायु संविदे के सम्पन्न होने की प्रतीक्षा में एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया जाय । क्योंकि संविदे के अनुसार सूचना देना स्थगित नहीं किया जा सकता था, इसलिये भारत सरकार को यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ । दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने इसलिये कि भारत सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार हो सकती है, विचार विमर्श किया । फिर भी क्योंकि संविदे की समाप्ति होने की तारीख के लिये बहुत कम समय रह गया था, कोई स्वीकृति निर्णय नहीं हो सका । इस प्रकार १९४६ का संविदा १४ जनवरी, १९५५ को समाप्त हो गया । संयुक्त राज्य की सरकार ने प्रार्थना की कि संयुक्त राज्य की हवाई कम्पनियों को भारत के लिये तथा भारत में होकर अस्थाई अधिकार पत्र के द्वारा जिसकी अवधि १५ जनवरी, १९५५, से एक वर्ष की हो, कुछ सीमित आधार पर उड़ान करने की अनुमति दे दी जाय । यह स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार एक स्थाई अधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया ।

(ख) इस विषय पर संयुक्त राज्य की सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री डाभी : इस मौलिक करार को जारी न रखने के क्या कारण थे ?

श्री राज बहादुर : यह हमारे राष्ट्रीय वायु-पथों अर्थात एयर इण्डिया इन्टरनैशनल के हितों को क्षति पहुंचाने वाला था ।

श्री डाभी : यह अस्थाई करार कितनी देर तक चलता रहेगा ?

श्री राज बहादुर : एक वर्ष, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच इस

हवाई समझौते के फिर से चालू होने के सम्बन्ध में किसी बातचीत का सूत्रपात होने की आशा है ?

श्री राज बहादुर : आशा पर तो सारी दुनिया का काम चलता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी शर्तें हैं जो भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के सामने पेश कीं और जो संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत सरकार के सामने पेश कीं, जो मंजूर नहीं की गयीं, और उन को मानने में क्या दिक्कत है ?

श्री राज बहादुर : यह तफसील का सवाल है कि हमें क्या नुकसान होता था यह मैं आंकड़ों से बता सकता हूं . . . . .

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अभी तक जो वहां के हवाई जहाज़ आते हैं वह कितने पेसैंजर्स (यात्री) ला सकते हैं और कितने ले जा सकते हैं इस पर कोई रुकावट नहीं है । इस रुकावट के न होने से जिन मुल्कों में हमारे एअर इंडिया इंटरनेशनल के हवाई जहाज़ जाते हैं वहां हमारे हवाई जहाज़ों को धक्का पहुंचता है इसलिये हम ने सोचा कि इस पर कुछ रुकावट डालनी चाहिये । पहली बात तो यह थी ।

दूसरी बात यह थी कि हफ्ते में उन के कितने जहाज यहां आते हैं उस में, अर्थात् फ्रीक्वेंसी में भी हम कुछ फर्क करना चाहते थे । तो यह दो मुख्य प्रश्न हमारे सामने थे ।

पहला जिस को प्रिडिटरमिनेशन कहा जाता है, उस पर तो सिद्धान्त रूप से अमरीकी सरकार बात करने के लिये तैयार नहीं थी, और दूसरे पर भी वह चाहती थी कि रुकावट न डाली जाय, और हम चाहते थे कि दोनों बातों के बारे में जो अधिकार हम को प्राप्त हैं उन के अनुसार काम करें । सलिये यह ज़रूरी था कि १९४६ के समझौते को फिर से संशोधित कर के नया समझौता उन के साथ करें । इस वजह से समझौता नहीं हो सका और उन्होंने अनुरोध किया कि उन को अस्थायी रूप से अपने हवाई जहाज़ चलाने के लिये अनुमति दी जाय, और हम ने उन को एक साल के लिये अनुमति दे दी है ।

श्री एस० एन० दास : क्या एक वर्ष के लिये दी जाने वाली उस अनुज्ञप्ति पर कोई शर्तें भी हैं ? यदि हां, तो वे कौन कौन सी हैं ?

श्री जगजीवन राम : शर्त यह है कि उन के चक्कर कम कर दिये गये हैं ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या इस प्रकार के करार के अभाव का, एयर इण्डिया इन्टर-नैशनल की सेवा को अमरीका तक विस्तृत करने से सम्बन्ध रखने वाली किसी प्रस्थापना पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ेगा ?

श्री जगजीवन राम : जब हम ने ऐसा निर्णय किया है कि हम अपनी सेवा का विस्तार अमरीका तक करेंगे तो मैं नहीं समझता कि वर्तमान स्थिति का कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

चिकित्सा योग्य अन्धापन

*१४८०. **श्री झूलन सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या इस विषय में कोई परिगणना की गई है कि देश में ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं जो मोतिया आदि ऐसे रोगों के कारण अंधे हो गये हैं जो चिकित्सा द्वारा ठीक हो सकते हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : इस प्रकार की कोई परिगणना नहीं की गई है ।

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि समाचार पत्रों में प्रायः एक ग़ैर-सरकारी

वक्तव्य प्रकाशित होता रहता है जिसके अनुसार ऐसे अन्ध-व्यक्तियों की संख्या बीस लाख है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या ऐसे व्यक्तियों को सहायता देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है, जो कि हैलन कैल्लर फ़ाऊंडेशन के आधीन इतने महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि किसी हैलन कैल्लर फ़ाऊंडेशन की स्थापना हो चुकी है ।

श्री बासप्पा : क्या सरकार को ज्ञात है कि करनाटक में डा० मोदी हजारों अन्धे व्यक्तियों को चिकित्सा करके उन्हें फिर से दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, वह किसी से भी शुल्क नहीं लेते और मैसूर सरकार नें भी उनके कार्य की सराहना की है ? क्या उन्हें कोई प्रोत्साहन...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न काल का उद्देश्य सरकार को जानकारी देना नहीं है ।

पत्तन-इंजीनियरों का सम्मेलन

*१४८३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल ही में भारत के बड़े पत्तनों के मुख्य इंजीनियरों का एक सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उन द्वारा क्या क्या सुझाव दिये गये थे; तथा

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सम्मेलन में दिये गये सुझावों को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ग) इन सुझावों पर सोच विचार करने के लिये इन्हें बड़े पत्तनों के प्रशासनों के पास भेज दिया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या एक पत्तन के प्रमुख इंजीनियर अथवा उच्च इजीनियरों को अन्य पत्तनों के कार्य को भी देखने की अनुमति है ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान् । वास्तव में उन्होंने यह सिफ़ारिश दी है कि विभिन्न पत्तनों के न केवल प्रमुख इंजीनियरों को अपितु उच्च इंजीनियरों को भी इस बात की अनुमति दी जाय कि वे ऐसे महापत्तनों का दौरा कर सकें जहां कोई विशेष कार्य हो रहा है । यह सिफारिश इंजीनियरों के सम्मेलन द्वारा भेजी गई थी । इन सभी सुझावों पर सोच विचार करने के लिये हमने इन्हें महापत्तन प्रशासनों के पास भेज दिया है । उनसे वापिस आने के उपरान्त फिर इसे राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड के सम्मुख रखा जायगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयत्न किया है कि महापत्तनों के लिये विदेशी इंजीनियरों के आने से पूर्व भारतीय इंजीनियरों को इस काम के लिये भर्ती किया जाये ?

श्री अलगेशन : इस समय सभी पत्तन इंजीनियर भारतीय हैं । हम चाहते यह हैं कि परामर्शदाता इंजीनियरों की एक व्यवस्था की जाये । इस समय, परामर्शदाता इंजीनियर-

सार्थ विदेशी सार्थ हैं । जिन से हम परामर्श प्राप्त करते हैं । हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि उन के स्थान पर भारत में ही परामर्श-दाता इंजीनियरों की एक उपयुक्त संस्था का निर्माण किया जाये ।

श्री एस० सो० सामन्त : क्या आगामी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विदेशी परामर्श-दाता इंजीनियरों की सहायता की हमें आवश्यकता है, और क्या हम ने प्रथम पंच-वर्षीय योजना में परामर्शदाता इंजीनियरों से कोई सहायता ली थी ?

श्री अलगेशन : हम अपने पत्तन-कार्यों के लिये अभी भी परामर्शदाता इंजीनियरों से सम्मति ले रहे हैं, परन्तु अब हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं—और इंजीनियरों ने भी यही सिफ़ारिश दी है—कि किसी भी विषय पर विदेशी परामर्शदाता इंजीनियरों से परामर्श प्राप्त करने से पूर्व, इसे भारतीय इंजीनियरों की एक समिति को निर्देशित किया जाये, और यदि वह समिति ऐसा अनुभव करे कि कोई विशेष प्रश्न उस की शक्ति के बाहर है तब उसे विदेशी परामर्श-दाता इंजीनियरों के पास निर्देशित करना चाहिये । सम्मेलन की यही सिफ़ारिश है ।

तम्बाकू

*१४८४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी बिहार में तम्बाकू के किस्म और उस की खेती को उन्नत करने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है; तथा

(ख) यदि हां, तो वह योजना कब कार्यान्वित होगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : वह कौन सी तरह का तम्बाकू है जो उत्तर बिहार में अच्छी तरह से पैदा हो सकता है और उस का नाम क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह जो इंडियन सेंट्रल टुबैको कमेटी ने काम शरू किया है, उस का उद्देश्य हुक्का और चुहिंग टुबैको का रिसर्च करना है और सभी तरह के तम्बाकू का, जो बिहार में होता है, उस सारे तम्बाकू की रिसर्च वहां होगी ।

श्री विभूति मिश्र : क्या कमेटी ने जो जांच की है, उस जांच की रिपोर्ट सदस्यों को भी उपलब्ध हो सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, जरूर हो सकती है ।

श्री एस० एन० दास : इस योजना के मुख्य मुख्य लक्षण क्या हैं और इस योजना पर अनुमानतः कुल कितना खर्च आयेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस योजना पर १९५२-५३ में कार्य प्रारम्भ हुआ था । इसे प्रारम्भ करने में थोड़ी सी देर हो गयी थी क्योंकि हमारा सुझाव यह था कि इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाये । इस योजना पर हम ने १९५२-५३ में ३३,२०५ रुपये, १९५३–५४ में ४७,८६६ रुपये, और १९५४-५५ में ५,९९० रुपये खर्च किये हैं । हमारी प्रस्थापना यह है कि भवन निर्माण पर दो लाख रुपये खर्च किये जायें ।

श्री के० के० बसु : क्या क्षेत्र गवेषणा वास्तव में उत्तरी बिहार में की जाती है अथवा यहां संस्था में ही की जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैंने जिन जिन गवेषणाओं का वर्णन किया है वे सभी वास्तव में बिहार में पूसा में की गयी थीं और अभी भी की जा रही हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ

*१४८५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा की गयी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में, सरकार ने विभिन्न संघों को ऐसा कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के कार्यक्रम की स्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से वे अपने एक एक अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन करें; तथा

(ख) यदि हां, तो अन्तिम चुनाव किस आधार पर किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) श्रमिक संघों द्वारा जिन अभ्यर्थियों की सिफ़ारिश की जायेगी उन के गुणों के आधार पर ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन प्रशिक्षणार्थियों पर आने वाला सारा खर्च अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा वहन किया जायेगा अथवा किसी विशेष निश्चित सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा वहन किया जायेगा और शेष सारा खर्च विद्यार्थियों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ?

श्री खंडूभाई देसाई : अभ्यर्थी का सारा खर्च अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा ही वहन किया जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, इन अभ्यर्थियों का चुनाव करने के लिये कोई अर्हताएं निर्धारित करेगा जिन के आधार पर सरकार अभ्यर्थियों का चुनाव करेगी, अथवा उस ने यह कार्य भी भारत सरकार पर ही छोड़ दिया है ?

श्री खंडूभाई देसाई : अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ने यह शर्त निर्धारित की है कि भारत सरकार द्वारा चुने जाने वाले अभ्यर्थी में अर्हता यह होनी चाहिये कि उसे कार्मिक संघ आन्दोलन का पर्याप्त अनुभव हो, और यह कि भारत सरकार को इस बात का विश्वास हो कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की समस्याओं को समझ लेने के उपरांत उस अभ्यर्थी से भारत को कोई स्थायी लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : तो क्या श्रमिक संघों और श्रमिक समस्याओं में भाग लेने वाले किन्हीं सार्वजनिक कार्य-कर्ताओं का चुनाव कर लिया गया है, अथवा ऐसे विद्यार्थियों का चुनाव किया जायेगा जिन्हें अभी इन समस्याओं का अनुभव ग्रहण करना है ?

श्री खंडूभाई देसाई : केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुना जायेगा जो कि कार्मिक संघों में काम कर रहे हैं, और जो वहां पर प्राप्त किये गये अनुभवों का, कार्मिक संघ आन्दोलन को सशक्त बनाने के कार्य में उपयोग कर सकने के योग्य हों ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिये भेजे गये इन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी और ज्ञान का, सरकार उपयोग किस प्रकार से करेगी ?

श्री खंडूभाई देसाई : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ में भेजे गये इन लोगों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले अनुभवों का उपयोग भारत सरकार को नहीं करना है, अपितु उन कार्मिक संघों को करना है जिन की ओर से ये व्यक्ति जेनेवा में भेजे जायेंगे ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या विभिन्न केन्द्रीय कार्मिक संघों ने नाम भेज दिये हैं, और यदि हां, तो चुनाव कब किया जायेगा ?

श्री खंडूभाई देसाई : हमें हिन्द मज़दूर सभा, आई० एन० टी० यू० सी० तथा भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ से नाम प्राप्त हो चुके हैं । चुनाव शीघ्र ही किया जायेगा ।

भारतीय श्रमिक-सम्मेलन

*१४८७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय श्रमिक सम्मेलन का अगला वार्षिक सम्मेलन कब होगा ;

(ख) क्या इस सम्मेलन की काय सूची के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; तथा

(ग) यदि हां, तो कार्य सूची में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है ?

श्रम मन्त्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) मई के मध्य में ।

(ख) जी हां ।

(ग) सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर सोच विचार कियाज ायेगा :—औद्योगिक सम्बन्ध, न्यूनतम वेतन अधिनियम का संशोधन, भविष्य निधि योजना का विस्तार, कृषि-श्रमजीवियों की समस्याएं, आगामी पंच-वर्षीय योजना इत्यादि ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : दो सप्ताह पूर्व एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने यह बताया था कि इस सम्मेलन में महंगाई भत्ते को मिलाये जाने के प्रश्न पर भी चर्चा की जायेगी, परन्तु कार्य सूची में आप ने इसे नहीं रखा है ।

श्री खंडूभाई देसाई : ये सभी मद अभी सरकार के विचाराधीन हैं, और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ और डाक व तार विभाग के श्रमिकों के राष्ट्रीय संघ को भी निमंत्रित किया गया है?

श्री खंडूभाई देसाई : उन्हें अभी तक न मं त्रित नहीं किया गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : विभिन्न शिष्ट मण्डलों में भेजे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या किस प्रकार से निर्धारित की जाती है ?

श्री खंडूभाई देसाई : विभिन्न शिष्ट-मण्डलों में भेजे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कार्मिक संघ आन्दोलन में उन संघों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस के सिद्धान्त क्या हैं.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ! अगला प्रश्न ।

काम दिलाऊ दफ्तर

*१४८८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन काम दिलाऊ दफ्तरों के नाम क्या हैं जिन की मंजूरी समाप्त हो चुकी है या ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त होने वाली है;

(ख) क्या इन की अवधि बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उन नौकरी दफ्तरों के नाम क्या हैं, जिन की अवधि बढ़ा दी गई है या बढ़ाई जायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) से (ग). इस समय देश में १२८ काम दिलाऊ दफ्तर हैं। इन सब की अवधि जो कि ३१ माच, १९५५ को समाप्त होनी थी अब ३१ अगस्त, १९५५ तक बढ़ा दी गई है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के इस फैसले पर कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज़ को राज्यों के सुपुर्द कुछ अंशों में कर दिया जाय, राज्य सरकारों ने भारत सरकार को इस प्रस्ताव के ऊपर क्या जवाब दिया है और इस काम में कब तक सफलता मिलने की आशा है ?

श्री खंडूभाई देसाई : कोई उत्तर राज्य सरकारों ने अब तक दिया नहीं है लेकिन लेबर

कान्फ्रेंस में वही बात हुई थी और उस के सामने यह बात रखी गयी थी उसका ट्रान्सफ़ेंस जल्दी से जल्दी होगा या ग्रेजुएली होगा ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर कोई फैसला किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री खंडूभाई देसाई : अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : यह अवधि अगस्त, १९५५ तक क्यों बढ़ाई गई है और इस से आगे क्यों नहीं ?

श्री खंडूभाई देसाई : क्योंकि हमारा विचार है कि उस समय तक राज्य सरकारें अपना प्रबन्ध कर लेंगी ।

आयुर्वेदिक और युनानी कालेजों में प्रशिक्षण

*१४९०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या उस समिति ने जो कि सरकार ने आयुर्वेद और यूनानी कालेजों में मेषज विद्या के प्रशिक्षण की जांच के लिये नियुक्त की थी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य सिफ़ारिशें ये हैं :

(१) इस अवस्था पर उन चिकित्सकों द्वारा जो कि देश के उन आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों में प्रशिक्षित किये गये हैं, जहां ४ से ५ साल तक का पाठ्यक्रम निर्धारित है, औषधि अधिनियम की अनुसूची 'ज' और उस के नियमों में उल्लिखित औषधियों के प्रयोग के बारे में कोई सामान्य सिफ़ारिश करना संभव नहीं है ।

(२) इन सब संस्थाओं में आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा को प्रभावित करने के लिये केन्द्र की ओर से तुरन्त व्यवस्था की जाये और केवल उन संस्थाओं से पास होने वाले डाक्टरों को जो कि अपेक्षित स्तर तक पहुंचे, औषधि अधिनियम की अनुसूची 'ज' में दी गई औषधियों को प्रयोग करने की अनुमति दी जाये ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या इन में कोई आयुर्वेदिक डाक्टर भी था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : समिति के सदस्य ये हैं: डा० एच० बी० एन० स्विफ़्ट स्वास्थ्य सेवा निदेशक, पंजाब (अध्यक्ष), डा० एम० डी० चक्रवर्त्ती, निदेशक केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता; डा० एम० एस० वर्मा, अध्यक्ष आयुर्वेदिक कालेज बनारस, हिन्दू विश्वविद्यालय, हकीम मुहम्मद इल्यास खां, गली कासिम जान बल्लीमारान, दिल्ली, डा० सी० एल० मलहोत्रा, मेषज विद्या के प्राध्यापक लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली । मेरे विचार में इन में से दो को आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों में कुछ रुचि है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या समिति ने शरीर-विज्ञान को आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे विचार में सिफ़ारिश में ये दो चीजें सम्मिलित हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : माननीय मंत्री के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों में नहीं है, इस समिति को किस आधार पर स्थापित किया गया था और क्या इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री ने आयुर्वेद के बारे में अपनी राय बदल ली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकूमारी अमृत कौर) : मैंने अपनी राय नहीं बदली । बदलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । किन्तु हम आयुर्वेद की सहायता कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि आयुर्वेद से आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को क्या योग मिल सकता है।

गोड्डा पीरपैंती के लिये तार सम्बन्ध

*१४९१. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोड्डा पीरपैंती को माया महागामा द्वारा तार से जोड़ने की योजना स्वीकृत हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) महागामा को गोड्डा से मिलाने की योजना स्वीकृत हो गई है ।

(ख) लगभग आठ माह में ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब गोड्डा को महागामा से मिलाने की योजना स्वीकार कर ली गई है तो पीरपैंती को महागामा से मिलाने की योजना को क्यों नहीं स्वीकार किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इस लिये इस को नहीं लिया गया कि इस की ज़रूरत नहीं समझी जाती है । गोड्डा का सम्बन्ध भागलपुर से है, पीरपैंती का भी सम्बन्ध भागलपुर से है । जिनको महागामा से पीरपैंती तार भेजना होगा वह वहां से भेज सकते हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि महागामा और पीरपैंती के बीच की दूरी क्या है, और अगर मालूम है तो क्या वह बता सकते हैं कि महागामा और पीरपैंती के रहने वाले जो लोग हैं उन के लिये तार भेजने की क्या व्यवस्था होगी ? क्या उन्हें तार भेजने के लिये २० मील तक जाना होगा ?

श्री जगजीवन राम : पीरपैंती में जब तारघर है तो बीस मील जाने का सवाल ही नहीं उठता है, और यह योजना कभी भी नहीं है कि हर थाने को दूसरे थाने से सीधे जोड़ा जायेगा । योजना यह है कि हर थाने में तार घर खोलना है, लेकिन हर थाने को एक दूसरे से सीधे जोड़ना असम्भव है ।

राजस्थान में अभाव की स्थिति

*१४९२. **श्री अमजद अली** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ जनवरी १९५५ को राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर विभागों में १९०० ग्रामों में अभाव और अकाल की स्थिति है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ग) उसे क्या सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) राजस्थान के सब भागों में अकाल की घोषणा नहीं की गई । तथापि राजस्थान प्रभावित क्षेत्र (कार्यवाही निलम्बन) अधिनियम १९५२ के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने बीकानेर, जोधपुर जयपुर और उदयपुर विभागों में १९६३ ग्रामों को कमी वाली क्षेत्र घोषित किया है। यह अधिसूचना १५ जनवरी, १९५५ को राजस्थान सूचनापत्र में प्रकाशित की गई थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) केन्द्रीय सरकार का विचार है कि वित्तीय सहायता उन सिद्धान्तों के आधार पर दी जाये, जो कि पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५०**]

डा० रामा राव : : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ४५ करोड़ रुपये का खाद्य हमारे गोदामों म सड़ रहा है . . .

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : नहीं, सड़ नहीं रहा ।

डा० रामा राव : क्या इस खाद्य को राजस्थान भेजने के लिये सरकार की कोई योजना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं माननीय सदस्य के इस वक्तव्य का प्रतिवाद करता हूं कि खाद्य सड़ रहा है । किन्तु हम ने सहायता के लिये नियम बना दिये हैं और यदि इन नियमों के अन्तर्गत मांग की गई तो आवश्यक सहायता दी जायेगी ।

श्री कासलीवाल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान के किसी न किसी भाग में प्रति वर्ष कमी की स्थिति पैदा हो जाती है क्या सरकार ने इस के कारणों की जांच करने का प्रयत्न किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : न केवल हम, बल्कि राज्य सरकार इस मामले की ओर पर्याप्त ध्यान दे रही है ।

समुद्रपार की डाक

***१४९४. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से बाहर जाने वाली डाक और तारों को सेंसर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितने कर्मचारी नियुक्त हैं और इन वस्तुओं की जांच के लिये साधारणतया कितना समय लगता है; और

(ग) विदेशों से भारत आने वाली डाक और तारों को सेंसर करने की प्रक्रिया क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस प्रकार की जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

दिल्ली में डाक और तार के कर्मचारी

***१४९६. श्री गिडवानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९५५ को दिल्ली और नई दिल्ली में डाक तथा तार विभाग में कुल कितने नान-गजेटिड कर्मचारी थे;

(ख) उस तिथि को इन कर्मचारियों को देने के लिये कितने मकान उपलब्ध थे; और

(ग) दिल्ली में इन कर्मचारियों की मकान सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये क्या पग उठाने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ७,१३८ ।

(ख) १,४२९ ।

(ग) इन कर्मचारियों के लिये दिल्ली और नई दिल्ली में और क्वार्टर बनाने का विचार है ।

श्री गिडवानी : इन्हें बनाने में कितना समय लगेगा ?

श्री राज बहादुर : यह काम शीघ्र किया जायेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : इस समय उपलब्ध स्थान मांग की अपेक्षा कितने प्रतिशत कम हैं ?

श्री राज बहादुर : इस का हिसाब लगाया जा सकता है । अनुपात १४२९:७१३८ है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस प्रयोजन के लिये आवंटित राशि इस वर्ष किस हद तक व्यपगत हो गई है ?

श्री राज बहादुर : इस के लिये मुझे पृथक पूर्व सूचना चाहिये ।

रेलवे डाक सेवा के सार्टर

*१४९८. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे डाक सेवा (जे) विभाग में कितने व्यक्ति सार्टर (श्रेणी ३) के रूप में काम कर रहे हैं और उन में से कितने पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्ति हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : कुल संख्या ४१७ पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्ति ५६ ।

पंडित एम० बी० भार्गव : क्या स्थानीय कर्मचारियों के मुकाबले में इन कर्मचारियों की वरिष्टता के प्रश्न का अन्तिम निर्णय किया गया है और यदि हां, तो किन सिद्धान्तों के अनुसार ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न अभी विचाराधीन है । अस्थायी रूप से इस का निर्णय किया गया है किन्तु इसे अन्तिम रूप देने का प्रश्न गृह-मंत्रालय के विचाराधीन है ।

पंडित एम० बी० भार्गव : क्या स्थानीय कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में अपनी शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन किये हैं और यदि हां, तो इन का क्या फल निकला है ?

श्री राज बहादुर : मैंने कहा है कि यह प्रश्न गृह मंत्रालय के विचाराधीन है ।

रेलवे कर्मचारी

*१४९९. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के हावड़ा विभाग में श्रेणी ३ और श्रेणी ४ में कुछ स्थायी रिक्तियां हैं जिन्हें छुट्टियों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रिक्तियां कितनी हैं और उन्हें कब नियमित कर्मचारियों द्वारा भरा जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) श्रेणी ३ १०५
श्रेणी ४ ३४

इन रिक्तियों को नियमित कर्मचारियों द्वारा भरने और छुट्टियों में काम करने वाले कर्मचारियों को हटा देने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

श्री तुषार चटर्जी : ये रिक्तियां कब से हैं ।

श्री अलगेशन : १९५४ में उत्पन्न होने वाली कुछ रिक्तियों के लिये हम उम्मेदवार

नहीं मिल सके। क्योंकि रेलवे सेवा आयोग के सामने कम उम्मेदवार आये थे। किन्तु स्टेशन-मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के पदों के लिये उम्मेदवार चुन लिये गये हैं और वे प्रशिक्षण ले रहे हैं। वे मई के पहले सप्ताह तक तैयार हो जायेंगे। अप्रैल के शुरू तक कुछ और पदों पर भी नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : आयव्ययक की चर्चा के दौरान में माननीय रेलवे मंत्री ने कहा था कि सेवा निवृत्ति की आयु को ५५ से ६० तक या इस से भी अधिक बढ़ाने का विचार है। यह प्रस्ताव अब किस अवस्था पर है ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है। किन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : यह इसलिये उत्पन्न होता है कि भरती में कमी को दूर करने के लिये, वे सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाना चाहते थे।

श्री अलगेशन : यह स्थायी रिक्तियों को छट्टियों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा भरने का प्रश्न है, जब तक कि स्थायी कर्मचारी भरती नहीं किये जाते हैं। यह भरती निचले पदों के लिये की जाती है।

नलकूप

*१५०१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री एक ऐसा विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में कितने नलकूप खोदे गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : एक विवरण जिस में सिंचाई के लिये भारत सरकार की बड़े पैमाने पर नलकूप खोदने की योजनाओं के अधीन गत तीन वर्षों में खोदे गये नल कूपों की संख्या बताई गई है, पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५१]**

श्रीमती इला पालचौधरी : पटल पर रखे हुए विवरण से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के अन्दर पश्चिमी बंगाल में कोई नल-कूप नहीं खोदा गया है; और खाद्य मंत्रालय के प्रतिवेदन से भी पता चलता है कि १९५५–५६ में कोई नल-कूप खोदने का विचार नहीं किया गया है ? क्या यह बात सच है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह बात ठीक है, क्योंकि नल-कूप खोदने की प्रस्थापना और करार में पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है।

श्रीमती इला पालचौधरी : शरणार्थियों के अत्यधिक अन्तर्प्रवेश और पीने के स्वच्छ जल की अत्यन्त आवश्यक समस्या की ओर ध्यान देते हुए क्या सरकार अब बंगाल में नल-कूप खुदवाने का प्रबन्ध करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : पीने के जल का प्रबन्ध करने के लिये इस प्रकार के नल-कूप खुदवाने पर इतना अधिक खर्च करना व्यर्थ होगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ट्यूब वैल्स राज्यों में लगाये गये हैं क्या वह सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, यदि नहीं, तो किन किन स्थानों पर, और अगले साल कितने ट्यूब वेल लगाये जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह बहुत बड़ी स्कीम है और इस के काफी ऐग्रीमेन्ट्स हैं। शुरू में हम ने ९६० ट्यूब वेल्स का ऐग्रीमेन्ट किया था, उस के बाद कोई २००० और उस के भी बाद ६०५० का ऐग्रीमेन्ट किया। उन के काम के निस्बत में यह कह सकता हूं कि वह बहुत कामयाब हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार के पास इन नल कूपों के चलने के बारे में कोई शिकायत आई है ।

डा० पी० एस० देशमुख : कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है ।

सिंधिया वाष्प नौवहन समवाय

*१५०४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सिंधिया वाष्प नौवहन समवाय को ऋण देने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो किस काम के लिये ऋण देने का विचार किया गया है;

(ग) कितना ऋण दिया जायेगा; और

(घ) उस की क्या शर्तें होंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). सरकार ने मैसर्ज सिंधिया वाष्प नौवहन समवाय, सीमित, बम्बई को विदेश व्यापार करने के निमित्त दो जहाज़ बनाने के लिये १८३ लाख ६० हज़ार रुपये का ऋण मंजूर किया है । विदेश व्यापार करने के लिये तीन और जहाज़ बनाने के लिये समवाय को लगभग ३४० लाख रुपये का अधिक ऋण देने का भी विचार किया गया है ।

(घ) ऋण की मुख्य मुख्य शर्तें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५२]**

डा० राम सुभग सिंह : यह करार कब किया गया था ? क्या सब जहाज़ यहीं बनाये जायेंगे या किसी जहाज को बनाने के लिये विदेश को आर्डर दिया जायेगा ?

श्री अलगेशन : इन पांचों जहाजों के आर्डर एक जर्मनी कारखाने को दिये जायेंगे । सिंधिया ने लगभग पांच जहाज़ों के लिये विशाखापटनम कारखाने को भी आर्डर दे दिये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस प्रकार का ऋण किसी अन्य नौवहन समवाय को भी दिया गया है ?

श्री अलगेशन : जी, हां । ये ऋण बहुत से समुद्रतटीय नौवहन समवायों और विदेशी समवायों को दिये गये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : विदेशी नौवहन समवायों द्वारा समुद्रतटीय नौवहन व्यापार नष्ट न किया जा सके, इस उद्देश्य के लिये सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : हम ने समुद्रतटीय व्यापार को पूर्णतया भारतीय नौवहन के लिये रक्षित कर दिया है । इसलिये किसी के द्वारा समुद्रतटीय व्यापार के नष्ट किये जाने और भारतीय हितों के विरुद्ध कुछ करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कासलीवाल : इस समवाय के अंशधारियों की हाल में हुई एक बैठक में, कुप्रबन्ध और कुप्रशासन के कतिपय आरोप लगाये गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह ऋण मंजूर करने से पहले, सरकार ने इन आरोपों की कोई जांच करवाई थी, और क्या ये आरोप ठीक पाये गये थे ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इस के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । यह सम्बद्ध समवाय का आन्तरिक मामला हो सकता है, किन्तु जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है वे पूर्णतः सुरक्षित हैं और ऋणों की राशि वापिस लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी । ये ऋण इसलिये

दिये जाते हैं कि जहाजों की संख्या में वृद्धि हो सके ।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि यद्यपि सिंधिया वाष्प नौवहन समवाय को १९५३ में विशाखापटनम जहाज के कारखाने को आर्डर दिया था, किन्तु उन्हें १९५६ की समाप्ति से पहले कोई जहाज नहीं मिल रहा है, और तिथियां तीन बार बदली जा चुकी हैं ? क्या इसी कारण यह समवाय किसी जर्मन सार्थ को आर्डर देने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : यह सच है कि विशाखापटनम कारखाने को इन जहाजों को बनाने में कुछ देर हो गई थी। परंतु क्योंकि हम अपने टन भार को यथाशीघ्र बढ़ाना चाहते हैं, इसलिये हम ने जर्मनी कारखाने को आर्डर दिये हैं, जहां वे शीघ्र ही जहाज बना सकते हैं और शीघ्र ही हमें भेज सकते हैं।

श्री के० के० बसु : वे जिन दो जहाजों को खरीदने वाले हैं, उन के अतिरिक्त अन्य जहाजें के लिये दिये जाने वाले ऋण को वापिस लेने की किस प्रकार की प्रतिभूति ली गई है ।

श्री अलगेशन : इस का सभा पटल पर रखे गये विवरण में वर्णन किया गया है, जिस में लिखा है :

> "अधिग्रहीत जहाज भारत सरकार के पास ऋण की अवधि तक प्रतिभति के रूप में बन्धक रखे जायेंगे । समवाय अपने वर्तमान जहाजों म से एक या अधिक जहाज को, जो पहले समवाय के ऋण पत्रधारियों के पास बन्धक हैं, भारत सरकार के पास दूसरी बार बन्धक रख कर अन्तरिम प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति का प्रबन्ध भी करेगा ।"

वेतन वृद्धि

*१५०७. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या स्टेशन मास्टरों और असिसटेंट स्टेशन मास्टरों ने हाल ही में अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के अनुसार वेतन वृद्धि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्री बी० एस० मूर्ति : स्टेशन मास्टरों के वेतन क्रम को बढ़ाने के विषय में संयुक्त मंत्रणा समिति की सिफारिशों को कार्यरूप में परिणत न करने के क्या कारण हैं, जब कि गार्डों और अन्य कर्मचारयों के प्रश्न पर विचार किया गया है ?

श्री अलगेशन : हम ने संयुक्त मंत्रणा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है। उस ने सिफारिश की थी कि १००–१८५ रुपये के वेतन क्रम में २० और २५ प्रतिशत स्टेशन मास्टर और छोटे वेतन-क्रम में असिसटेंट स्टेशन मास्टर होने चाहियें । इस के स्थान पर, न्यूनतम १२ १/२ प्रतिशत और अधिकतम २५ प्रतिशत निश्चित करना पर्याप्त समझा गया। उस के पश्चात बहुत से पदों के वेतन-क्रम बढ़ा दिये गये हैं और ६.९ प्रतिशत से बढ़ कर १४.५ प्रतिशत हो गये हैं । मैं उन पदों की संख्या बता सकता हूं जिन के वेतन क्रम बढ़ा दिये गये हैं । उन की संख्या ८६९ है और अधिक पदों के वेतन-क्रम बढ़ाये जा रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या स्टेशन मास्टरों के वेतन-क्रम का यह प्रश्न भी न्याया-

धीश शंकर शरण के न्यायाधिकरण को सौंपा गया है ?

श्री अलगेशन : न्यायाधिकरण का इस प्रकार वेतन-क्रमों को बढ़ाने से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु यह विभिन्न वेतन-क्रमों के बीच पद बांटने से सम्बन्ध रखता है । यह विषय उन के विचाराधीन है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या रेलवे कर्मचारियों के संघ ने यह मामला न्यायाधीश शंकर शरण के न्यायाधिकरण को नहीं सौंपा है ?

श्री अलगेशन : संघ ने अपना ज्ञापन न्यायाधिकरण को प्रस्तुत कर दिया है और रेलवे बोर्ड ने भी इस का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है ।

चितरंजन इंजन कारखाना

*१५०८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय चितरंजन इंजिन कारखाने के विभिन्न विभागों में कितने विदेशी व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहण उपमंत्री (श्री अलगेशन) : चितरंजन इंजिन कारखाने में कोलम्बो योजना के अधीन ११ विदेशी शिल्पी इस समय काम कर रहे हैं । ये शिल्पी कतिपय आधुनिक मशीनों के संचालन का प्रदर्शन करने और समय निश्चित करने में सहायता देते हैं । वे किसी कार्य के प्रभारी नहीं हैं और न ही उन्हें कोई प्रबन्ध कार्य सौंपा गया है ।

सरदार इकबाल सिंह : परामर्शदाता कितने समय तक भारत में रहेंगे ?

श्री अलगेशन : मैं कुछ नहीं कह सकता वे जब तक भारत में रहेंगे ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि ये विशेषज्ञ समय निश्चित करने में सहायता करते हैं क्या वे काम का विश्लेषण करने के लिये समय और गति का अध्ययन कर रहे हैं ?

श्री अलगेशन : मैं बता सकता हूं कि ये विशेषज्ञ क्या क्या काम करते हैं । उन में से एक व्यक्ति ढलाई की दर निश्चित करता है, दूसरा व्यक्ति लौहार के काम और जोड़ने मिलाने की दर निश्चित करता है, तीसरा व्यक्ति बुआयलर शाप की दर निश्चित करता है, चौथा व्यक्ति भारी मशीनों की शाप का प्रदर्शक है और पांचवां व्यक्ति हल्की मशीनों की शाप का प्रदर्शक है ।

रेलवे कर्मचारी

*१५१०. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे में कई श्रेणियों के लेखा कर्मचारियों का स्थायीकरण बहुत समय से रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है; और

(ग) उन के स्थायीकरण के आदेश जारी करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भूतपूर्व रेलवे क्लीयरिंग लेखा कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित करने के लिये हाल में निश्चित किये गये कतिपय सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने के लिये, लेखा कर्मचारियों की अस्थायी वरिष्ठता सूचियों में संशोधन करने के कारण लेखा कर्मचारियों की कतिपय श्रेणियों के स्थायीकरण में विलम्ब हुआ था ।

(ग) इस काम को यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन एम्प्लाईज (कर्मचारियों)

सम्बन्ध में यह प्रश्न है, उन की नियुक्ति कब हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : वे कब नियुक्त हुए थे ?

श्री अलगेशन : उन की नियुक्ति की तिथि ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, उन श्रेणियों के बारे में ।

श्री अलगेशन : मेरे पास नियक्ति की तिथियां उपलब्ध नहीं हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न के भाग (क) में कहा गया है कि कतिपय श्रेणियों में स्थायीकरण काफी समय से रुका हुआ है। क्या माननीय उपमंत्री बता सकते हैं कि इस "काफी समय" का क्या अभिप्राय है ?

श्री अलगेशन : रेलवे प्रशासन को पुन: वर्गीकरण के पश्चात वरिष्ठता सूचितां तैयार करने के लिये कहा गया है। उस में कुछ विलम्ब हो गया है । यह काम अब लगभग पूरा हो चुका है और शीघ्र ही यह काम भी हो जायेगा।

रेलवे कर्मचारी

***१५११. श्री एम० एन० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में काम करने वाले तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी नीति, नियम और रीति अन्य मंत्रालयों में उसी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम आदि से भिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की भिन्नता है और उसके कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एम० एन० सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कब तक यह इन्फार-मेशन (सूचना) मिलने की उम्मीद है ?

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर जान-कारी रखने में कितना समय लगेगा ?

श्री अलगेशन : हम ने गृह-कार्य मंत्रालय से यह बात पूछी है । जब यह प्राप्त हो जायेगी तो मैं सभा-पटल पर रख दूंगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस जानकारी के एकत्र होने तक अन्य लोगों की पदोन्नतियां रोक दी जायेंगी ?

श्री अलगेशन : प्रश्न यह है कि क्या रेलवे बोर्ड में कार्य करने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी नियम और ढंग अन्य मंत्रालय के नियमों और ढंगों से भिन्न हैं । अब हम गृह-कार्य मंत्रालय से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और तब मैं सभा को बता सकूंगा ।

श्री जांगड़े : क्या यह सच है कि सहायकों की पदोन्नति के बारे में ५० प्रतिशत पदों की पूर्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई थी और वह रोक दी गई है और क्या सरकार पुन: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उन पदों को रक्षित करना चाहती है ?

श्री अलगेशन : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं कि क्या हम यह मामला संघ लोक सेवा आयोग को भेजेंगे । अब एक परीक्षा के फल के आधार पर पदोन्नतियां दी जाती हैं और उन लोगों की पदोन्नति के लिये बहुत से नियम विद्यमान हैं ।

जापान को भेजी गई छात्रायें

***१५१२. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्राओं का एक शिष्टमंडल हाल ही में टोकियो भेजा गया है;

(ख) इस शिष्टमंडल के प्रवर्तक कौन हैं; और

(ग) क्या सरकार का शिष्टमंडल के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). भारत सरकार ने छात्राओं का कोई शिष्टमंडल टोकियो को नहीं भजा है, किन्तु सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से गृह-अर्थ-शास्त्र के मुख्य अध्यापकों का एक दल आठ सप्ताह के प्रशिक्षण के लिये जापान और हवाई में भेजा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या विदेश-कार्य प्रशासन का इस शिष्टमंडल को भेजने में कोई हाथ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, यह टी० सी० एम० और फोर्ड फाउन्डेशन के सहयोग से हुआ है; उन्होंने हमें सहायता दी है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो बहुत सी बातें खुली हैं कि फोर्ड फाउन्डेशन की बहुत सी कार्य-वाहियों और अमरीका से आने वाली दूसरी सांस्कृतिक सहायताओं का कुछ राजनीतिक हेतु होता है, उन को ध्यान में रखते हुए क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या सरकार ने इस शिष्टमंडल विशेष की पूर्व गति विधियों और कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पता चला लिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं वक्तव्य में वर्णित आरोपों का खण्डन कर सकता हूं और मैं ने किसी भी व्यक्ति को ऐसा आरोप लगाते नहीं देखा है; मेरी बुद्धि के अनुसार, इस वक्तव्य में कोई सचाई नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस शिष्टमंडल का क्या विशेष उद्देश्य और प्रयोजन है तथा क्या उन विद्यार्थियों को, जो इस शिष्टमंडल में गये हैं, वापिस आने पर, यहां विभिन्न विश्व-विद्यालयों में काम पर लगा लिया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि सभा को विदित है और माननीय सदस्य को ज्ञात है, हम ने देश में कुछ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर रखे हैं और ये विद्यार्थी वापिस आ कर उन प्रशिक्षण केन्द्रों के गृह-अर्थ-शास्त्र पार्श्व खोलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

रेलवे क्रय

*१५१३. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के लिये स्टोर साधारणतया किन अभिकरणों के द्वारा खरीदे जाते हैं; और

(ख) रेलवे स्टोर सामान्यतया किन देशों से आयात किये जाते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५३**]

कुमारी एनी मैस्करीन : इन स्टोरों को खरीदने का क्या तरीका है ? क्या आप टेंडर बुलाते हैं और यदि आप टेंडर स्वीकार करते हैं तो किन शर्तों के अधीन और जिन के टेंडर स्वीकार किये जाते हैं, वे पायदार चीजें भेजते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस में कई प्रश्न हैं ।

श्री अलगेशन : हम टेंडर मांगते हैं । कुछ स्टोर हम संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक के द्वारा लेते हैं कुछ और चीजों को खरीदने के लिये रेलवे को अधिकृत किया गया है । हम निर्माण मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और उत्पादन मंत्रालय के द्वारा भी स्टोर प्राप्त करते हैं ।

कुमारी एनी मैस्करीन : रेलवे मंत्रालय इन मंत्रालयों के परामर्श से स्वयं स्टोर क्यों नहीं खरीदता ?

श्री अलगेशन : बहुत सी वस्तुएं हम संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक के द्वारा प्राप्त करते हैं । इंजन-डिब्बे आदि रेलवे बोर्ड स्वयं प्राप्त करता है ।

कुमारी एनी मैस्करीन : उन स्टोरों का मूल्य क्या है जो अब भी गोदामों में सड़ रहे हैं ?

श्री अलगेशन : हमारे स्टोर सड़ते नहीं हैं ।

कुमारी एनी मैस्करीन : जंगाल लग रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

चम्बल (मध्यभारत) के ऊपर पुल

*१५१५. **श्री आर० सी० शर्मा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा बम्बई राष्ट्रीय मार्ग पर मध्य भारत में चम्बल पुल के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिये और क्या कार्य उस दृष्टि से चल रहा है; और

(ग) क्या यह कार्य ठेकेदारों को दिया गया है या विभाग द्वारा ही कराया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). निर्माण कार्य के लिये अभी ठेका दिया गया है और आशा है कि यह फरवरी, १९५८ के अन्त तक समाप्त हो जायेगा ।

श्री आर० सी० शर्मा : इस पुल की लम्बाई और चौड़ाई कितनी होगी और यह पानी के स्तर से कितना ऊंचा होगा ?

श्री अलगेशन : मेरे पास लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि के बारे में जानकारी नहीं है ।

सड़कों का निर्माण

*१५१६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन** मंत्री २३ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९२७, भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से उत्तर प्रदेश की उन चार सड़कों को सुधारने के बारे में कोई निश्चय किया गया है जिन के बारे में यह कहा गया था कि विषय विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को उनमें से प्रत्येक सड़क के लिये कितना अनुदान दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) घरासु-भटवारी और बदरीनाथ-माणा प्रत्येक अश्वपथ को सुधारने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को ४ लाख रुपये का अनुदान देना प्रस्तावित किया गया है, गिरगांव-दूंग और ग्यारव्यांग-लिपुलेख अश्वपथ के लिये कोई अनुदान देना प्रस्तावित नहीं किया जा सका ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जो अनुदान दिया गया है वह किन शर्तों पर दिया गया है, अर्थात क्या राज्य सरकार को भी कोई रकम खर्च करनी पड़ेगी ?

श्री अलगेशन : यह पूरा अनुदान है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्रालय को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि जिन सड़कों के लिये अनुदान स्वीकार किये गये हैं उन के एस्टीमेट और प्लान स्वीकार करने में बड़ी देरी हो जाती है, जिस की वजह से कि वास्तविक निर्माण कार्य में बहुत अड़चन पड़ती है । क्या इस बारे में कोई खास कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : वास्तव में हमारी शिकायत यह है कि राज्य सरकारें ये प्राक्कलन जल्दी

नहीं भेजती रहीं, ताकि हम उन्हें पारित कर सकें। गत वर्ष हम ने विभिन्न राज्य सरकारों पर जोर देने के लिये कि ये प्राक्कलन यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र भेजे जायें, ताकि कार्य पूरे किये जा सकें, एक सम्मेलन भी बुलाया था।

परिवार आयोजन

*१५१७. **श्री डाभी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २९ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परिवार आयोजन की मदन-तरंग प्रणाली प्रयोगात्मक रूप से सफल सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक; और

(ग) सन्तति निग्रह की कृत्रिम प्रणालियों की तुलना में यह कितनी प्रभावोत्पादक है और इस के लाभ क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जब तक मदनतरंग प्रणाली के सम्बन्ध में किये गये प्रयोगों में इकट्ठी की गई सामग्री को और इस के परिणामों को आंका न जाये यह कहना संभव नहीं है कि यह प्रणाली सफल हुई है या नहीं।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

श्री डाभी : १७ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि 'मदनतरंग प्रणाली' पतियों को पसन्द नहीं। क्या सरकार ने इस का कारण जानने का प्रयत्न किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि भारत में परिवार आयोजन के लिये 'मदनतरंग' प्रणाली आवश्यक है और क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि देश चाहता है कि परिवार आयोजन के तरीके शीघ्र से शीघ्र सफल हों?

राजकुमारी अमृतकौर : 'मदनतरंग' प्रणाली को परिवार आयोजन का एक तरीका मान लिया गया है।

मोटर गाड़ियों का धुआं

*१५२१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये डीज़ल बसों का धुआं पैट्रोल से चलने वाली कारों के धुएं से अधिक हानिकर है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) ऐसी कोई जांच नहीं की गई।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

सरदार हुक्म सिंह : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि कलकत्ता निगम और बंगाल के परिवहन प्राधिकार के बीच इस बात पर झगड़ा हुआ था कि कार्बन-डाइआक्साइड छोड़ने वाले डीज़ल इंजन अधिक हानिकर हैं या मानाक्साइड छोड़ने वाले पैट्रोल से चलने वाले इंजन ?

श्रीमती चन्द्रशेखर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। किन्तु मेरे विचार में डीज़ल इंजन या पैट्रोल इंजन द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन मानाक्साइड का एक ही प्रभाव होता है।

सरदार हुक्म सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार्य-क्रम के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य सरकारें वैज्ञानिकन की योजनाओं को शुरू कर रही हैं और अधिकतर इंजन डीज़ल इंजन होंगे, क्या पहले इस बात की जांच करना वांछनीय नहीं है कि डाईआक्साइड छोड़ने

वाले डीज़ल इंजन समाज के स्वास्थ्य के लिये अधिक हानिकर तो नहीं हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : कुछ गवेषणा की गई है और नवीनतम जानकारी यह है कि विस्तृत जांच से ज्ञात हुआ है कि डीज़ल गैस स्वास्थ्य के लिये हानिकर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व प्रयोगों से डीज़ल इंजन की गैस में कार्बन मानाक्साइड की मात्रा ठीक ठीक ज्ञात की गई थी और यह सिद्ध हुआ था कि यह केवल नाममात्र ही होती है।

गेहूं खंड

*१५२२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बनाये गये खुले गेहूं के खंड में जिस में उत्तर प्रदेश और बिहार सम्मिलित हैं मिताहार सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिये गये ह;

(ख) क्या इस खंड के अन्दर मूल्य निश्चित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह कितना है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) गेहूं के लाने ले जाने पर सब खंड सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं और अब उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों का कोई खुला गेहूं खंड नहीं है। बिहार की सरकार ने ११ दिसम्बर, १९५४ को और उत्तर प्रदेश की सरकार ने २१ दिसम्बर, १९५४ को मिताहार के प्रतिबन्ध हटा लिये थे।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार के और यू० पी० के अलावा दूसरे इलाकों में व्हीट का दाम कितना है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : व्हीट का दाम तो हर एक जगह में अलग अलग है। यह प्रश्न तो आस्टेरिटी मेज़र्स का है। गेहूं पर से नियंत्रण हटने के बाद यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० एन० दास : क्या खंडीय प्रतिबन्धों के हटाये जाने के बाद खाद्यान्नों के मूल्यों की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उस से क्या पता चलता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बहुत से स्थानों पर यह गिर गये थे, किन्तु अब ये स्थिर हो रहे हैं।

गोरखपुर श्रम समिति

*१५२३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री २३ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर श्रम सम्बन्धी त्रिदलीय समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं; और

(ख) क्या भारतीय खान संस्था ने इन सिफ़ारिशों की प्रतिकूल आलोचना की है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५४**]

(ख) सरकार को भारतीय खान संस्था द्वारा की गई किसी प्रतिकूल आलोचना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : विवरण से प्रकट होता है कि कार्य के स्थानों पर गोरखपुर श्रम संस्था के अधीन कल्याण पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। क्या ये पदाधिकारी उन पदाधिकारियों के अतिरिक्त हैं जिन्हें कोयला खान कल्याण निधि संस्था के अधीन वहां नियुक्त किया गया है ?

श्री खंडूभाई देसाई : यदि पूर्व सूचना दी जाये, तो मैं जानकारी दे सकूंगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार दो मंत्रणा समितियां बनाई गई हैं । इस समिति में अखिल भारतीय कार्मिक संघ सम्मेलन के प्रतिनिधि क्यों सम्मिलित नहीं किये गये ?

श्री खंडूभाई देसाई : संभवतः खान मज़दूरों का ऐसा कोई संगठन नहीं है, जिसके कारण उन्हें समिति में प्रतिनिधित्व दिया जा सके ।

असैनिक उड्डयन

***१५२५. चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन के स्तरों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संस्था की सिफ़ारिशों को सरकार ने इंडियन एयर-लाइन्स में कहां तक क्रियान्वित किया है;

(ख) इस की अन्य सिफ़ारिशों के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस पर कितना खर्च हुआ है या होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५५]**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार भारतीय विमान निगम में चालकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये उन्हें सर्विस प्रशिक्षण देना वांछनीय समझती है ?

श्री राजबहादुर : इस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं । ऐसा किया जा रहा है ।

जापान से रेलवे इंजन आदि

***१५२७. श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे इंजनों के लिये भारत सरकार ने किन्ही जापानी कारखानों को ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस का नाम क्या है;

(ग) इस कारखाने द्वारा कितने इंजन बनाये जायेंगे; और

(घ) इंजनों की लागत क्या होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५६]**

श्री भागवत झा आज़ाद : ये इंजन कब तक भारत में आ जायेंगे ।

श्री अलगेशन : प्राप्ति की तिथियां निश्चित कर दी गई हैं । कुछ इंजन प्राप्त हो चुके हैं; अन्य करार में दी गई प्राप्ति की तिथियों को प्राप्त होंगे । प्राप्ति की तिथियां मेरे पास हैं । कुछ सितम्बर १९५४ म प्राप्त हुए थे और कुछ अक्तूबर १९५४ में ।

श्री भागवत झा आज़ाद : कितने इंजन अब तक प्राप्त हो चुके हैं ।

श्री अलगेशन : मेरे पास एक लम्बा विवरण है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसे पढ़ना आवश्यक नहीं । वास्तविक प्रश्न यह है कि करार को क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं ।

श्री अलगेशन : जी हां ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि करार के अधीन कितने भारत में आ चुके हैं और कितने अभी आने हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप करार को पढ़ें । उत्तर यह है कि इस में दी गई तिथियों के अनुसार प्राप्तियां हो रही हैं । करार के विस्तार में जाने का कोई लाभ नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : करार की शर्तों के अनुसार सब इंजन अभी नहीं आये । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने आ चुके हैं और कितने अभी आने हैं ?

श्री अलगेशन : यदि माननीय मंत्री अलग प्रश्न पूछें, तो मैं बता दूंगा ।

पहाड़ भत्ता

***१५३०. डा० राम सुभग सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला और कांगड़ा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के रेलवे कर्मचारियों ने सरकार से अधिक पहाड़ी भत्ते के लिये प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) अधिक भत्ते की राशि क्या होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह मामला विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो हिल एलाउंस का प्रश्न है, क्या किन्हीं निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर इस का निर्णय किया जाता है या जिस जिस इलाके से मांग आती है उसी प्रकार उन्हें स्वीकार करते जाते हैं ?

श्री अलगेशन : केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों को जो भत्ते दिये जाते हैं और राज्य सरकारों द्वारा इन स्टेशनों के वर्गीकरण को ध्यान में रखा जाता है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार केवल शिमला और कांगड़ा में स्थित या देश के सभी पहाड़ी स्थानों पर स्थित कर्मचारियों को पहाड़ी भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : भत्ते बहुत से पहाड़ी स्टेशनों पर दिये जाते हैं किन्तु शिमला और कांगड़ा में ये हाल में काफ़ी बढ़ा दिये गये हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार अन्य पहाड़ी स्थानों में स्थित कर्मचारियों को पहाड़ी भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्री अलगेशन : हम अन्य पहाड़ी स्थानों पर भी भत्ते देते हैं ।

रेलवे असिस्टेंट सर्जन

***१५३१. श्री रनदमन सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग में सेवायुक्त असिस्टेंट सर्जन नान गजटेड माने जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि रेलवे में इनके बराबर की दूसरी जगहें भी गजेटेड नहीं हैं ।

श्री रनदमन सिंह : अन्य विभागों में जब यह पोस्ट गजेटेड मानी जाती है, तो इन को रेलवे विभाग में भी गजेटेड मान लेने में क्या अड़चन है ?

श्री अलगेशन : भाग 'ग' राज्यों के असैनिक विभागों में श्रेणी १ के सहायक सर्जनों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के मार्फत की जाती है, परन्तु यहां उन की भर्ती रेलवे सेवा आयोग के मार्फत होती है । इस के अतिरिक्त उन को सिविल सर्जन के पद पर तरक्की दे दी जाती है जब कि रेलवे के श्रेणी १

के सहायक सर्जनों की तरक्की सहायक मैडिकल आफिसर के पद पर होती है, जो कि एक गजेटेड सर्विस है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं ने कहा, रेलों में समान पद के अन्य कर्मचारी गजेटेड नहीं समझे जाते, बल्कि गैर-गजेटेड श्रेणी में आते हैं।

डा० रामा राव : क्या यह सच है कि अन्तर केवल यह है कि रेलों के डाक्टरों को कुछ सुविधायें मिल जाती हैं और यदि हां, तो रेलवे विभाग इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार क्यों नहीं करता ?

श्री अलगेशन : आपत्ति केवल यही है कि इसी प्रकार के अन्य कर्मचारी गैर-गजेटेड माने जाते हैं और यदि हम इस श्रेणी को गजेटेड बना दें तो इस से उलझनें पैदा हो जायेंगी।

प्रतिकर सम्बन्धी दावे

*१५३३. **कुमारी एनी मैस्करीन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२, १९५३ और १९५४ में क्रमशः सरकार ने दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले प्रतिकर दावे निपटाने में मुकदमेबाजी पर कितना खर्च किया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

कुमारी एनी मैस्करीन : मैं जानना चाहती हूं कि सरकार एक दावा निपटाने में कितना समय लेगी ?

श्री अलगेशन : यह सब कुछ उस प्रतिवेदन में बताया गया है, जो कि हाल ही में माननीय सदस्यों को भेजा गया है।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या सरकार ने यह जान लिया है कि दावे तय करने के खर्चे प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : हम मुकदमेबाजी पर खर्चा कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को यह भी बता देना चाहता हूं कि दावे तय करने में जो समय लगता है, वह भी कम किया जा रहा है।

गन्ने के कृषकों के लिये प्रशिक्षण

*१५३५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिसम्बर, १९५४ में या जनवरी, १९५५ में गन्ने के कृषकों को कोयम्बटूर में एक सप्ताह का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे कृषक किन-किन राज्यों के थे; और

(ग) उन को क्या क्या सुविधायें दी गई थीं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) दिसम्बर, १९५४ में कोयम्बटूर की गन्ने की किस्म सुधारने की केन्द्रीय संस्था में एक कृषक सप्ताह का आयोजन किया था ताकि वे संस्था के खेतों में प्रयोग में लाये गये गन्ने कृषि के सुधरे हुए ढंगों का प्रेक्षण कर सकें।

(ख) बम्बई, मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन तथा मध्य प्रदेश। गन्ना पैदा करने वाले अन्य राज्यों से कृषक नहीं आ सके।

(ग) कृषकों को इस संस्था के प्रत्येक विभाग में होने वाले कार्य का प्रेक्षण करने की सारी सुविधायें दी गई थीं।

श्री विभूति मिश्र : जिन फार्मरों को सरकार ने ट्रेनिंग के लिये भेजा है वह छोटी छोटी खेती करने वाले किसान हैं या बड़ी बड़ी खेती करने वाले किसान हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तफसील तो मेरे पास नहीं है, मगर हम छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं करते हैं। जिन को ज़्यादा

ज्ञान लेने की जिज्ञासा है उन को हम मदद देते हैं कि वह आयें ।

श्री विभूति मिश्र : जब अगली बार ट्रेनिंग दी जाय तो क्या सरकार इस बात का ख्याल करेगी कि जो छोटे छोटे गरीब किसान देहातों में खेती करने वाले हैं उन को ट्रेनिंग के लिये भेजे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह कोई ट्रेनिंग के वास्ते नहीं है, यह तो महज जो प्रैक्टिकल कल्टिवेटर्स हैं उन को यह दिखाने के लिये कि इन्स्टिट्यूट में क्या होता है और इसलिये कि जो नये तरीके हैं वह उन को बतलाये जायें, उन को बुलाया जाता है । यहां कोई लम्बी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं होती है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अलगू राय शास्त्री के नाम में एक अल्प सूचना प्रश्न था । किन्तु मैं देखता हूं कि वे सभा में उपस्थित नहीं हैं । अतः उस के उत्तर को कार्यवाही के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्न के उत्तर की कोटि में ही रखा जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उड़ती मछली

*१४८२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक चाल वर्ष के दौरान में कारोमण्डल तट के पास कितनी उड़ती मछलियां (परावई कोला) पकड़ी गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : सन् १९५४ में १,८३५ टन ।

अमरीका से गेहूं

*१४८६. **श्री हेडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४–५५ में अमरीका से एक लाल किस्म का गेहूं मंगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना गेहूं मंगाया गया है और उस की क्या लागत है; और

(ग) क्या भारत में गेहूं की कमी है और यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १५–३–१९५५ तक अमरीका से लाल किस्म का लगभग १३,८०० टन गेहूं मंगाया गया । मल्य और भाड़ा सहित लाल किस्म के संख्या २ के गेहूं का भूमिगत मूल्य लगभग १५ रुपये ३ आने प्रति मन आता है ।

(ग) भारत में गेहूं की कमी है । कितनी मात्रा में गेहूं का आयात किया जायेगा, यह बात अगले महीने की फसल पर निर्भर है ।

क्षय रोग

*१४८९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ आयर्वेदिक और सिद्ध वैद्यों ने सरकार के पास यह अभ्यावेदन भेजा है कि उन्होंने कुछ ऐसी औषधियों का आविष्कार किया है जिन से प्रचण्ड रूप में बढ़े हुए क्षय रोग का भी इलाज हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो उन की क्या संख्या है और वे किन किन राज्यों के हैं; और

(ग) उन के अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां ।

(ख) कुल नौ; (पश्चिम बंगाल से एक, उत्तर प्रदेश से चार, बम्बई से एक, राजस्थान से एक, पेप्सू से एक और पंजाब से एक) ।

(ग) प्रार्थियों को यह परामर्श दिया गया था कि वे सम्बद्ध राज्य के चिकित्सा प्राधिकारी से मिलें ।

वर्दियां

*१४९३. **ठाकुर ग्रुगल किशोर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के विभिन्न श्रेणियों के यातायात कर्मचारियों को किस किस प्रकार की वर्दियां दी जाती हैं; और

(ख) प्रत्येक प्रकार की वर्दी का औसत मूल्य क्या होता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). रेलवे के यातायात कर्मचारियों के लिये विभिन्न प्रकार की तथा श्रेणियों की जो वर्दियां नियत की जाती हैं, उन में कई बातों का ध्यान रखा जाता है, अर्थात् यह कि एक कर्मचारी को किस प्रकार का कार्य करना है, वह किस वेतन-क्रम में है, किस प्रकार की जलवायु में उसे काम करना पड़ता है, इत्यादि । रेलवेज़ के महा प्रबन्धकों को वर्दी सम्बन्धी ये नियम बनाने के पूरे अधिकार हैं कि काम के समय रेलवे कर्मचारियों द्वारा क्या कपड़ा अथवा चीज़ पहनी जानी चाहिये । दो पुनर्वर्गीकृत रेलवे विभागों में विस्तृत नियमों पर पुनर्विचार किया जा चुका है । अन्य रेलवे विभागों में यह काम पुनर्वर्गीकरण के बाद किया जा रहा है । वर्दी की प्रत्येक चीज़ की औसत लागत भी इस पर निर्भर है कि प्रयोग में आने वाली चीज़ किस प्रकार की है और उस के बनवाने की क्या लागत पड़ती है, इत्यादि, इत्यादि । बाजार के भावों और स्वीकृत टेन्डरों में बताये गये मूल्यों के आधार पर वर्दी की लागत प्रति वर्ष बदलती रहती है । प्रत्येक वेतन-क्रम के कर्मचारियों के लिये वर्दियों के प्रकार तथा उन की प्रचलित लागत के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में जितना श्रम पड़ेगा, उतना उस से लाभ नहीं होगा ।

आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात

*१४९५. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में आस्ट्रेलिया से कुल कितना गेहूं तथा गेहूं का आटा मंगाया गया था; और

(ख) उन के लिये कुल कितना मूल्य दिया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) लगभग १·९७ लाख टन गेहूं । गेहूं का आटा बिल्कुल नहीं मंगाया गया था ।

(ख) लगभग ६२८ लाख रुपये ।

वन श्रमिकों की सहकारी संस्थायें

*१४९७. **श्री रनदमन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं के विकास के लिये कोई धन-राशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इस को किस रूप में उपयोग में लाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

चीनी का आयात

*१५००. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ फरवरी, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन भारतीय तथा विदेशी वाणिक् संघों के द्वारा १९५३–५४ में चीनी मंगाई गई थी, उन से प्रतिभूति

निक्षेप के रूप में कितनी धनराशि एकत्र कर ली गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : २६'१९ लाख रुपये ।

चीनी साफ करने के कारखाने

*१५०२. **डा० जे० एन० पारिख** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से १९५४ तक भारत में चीनी का प्रति व्यक्ति द्वारा उत्पादन तथा उपभोग कितना हुआ; और

(ख) बम्बई और सौराष्ट्र में चीनी साफ़ करने के जो दो कारखाने स्थापित किये गये हैं, क्या उन से शुद्ध की गई चीनी की देश की मांग पूरी हो जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) चीनी और साथ ही साथ गुड़ तथा खंडसारी चीनी के बारे में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ख) अभी तक चीनी साफ करने का कोई कारखाना स्थापित नहीं किया गया है । चीनी साफ करने के एक या दो कारखानों की स्थापना के लिये अनुमति देने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

त्रिपुरा की कच्ची सड़कें

*१५०३. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **परिवहन** मंत्री ६ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतल्ला (त्रिपुरा) में कितनी कच्ची सड़कों का अभी पक्का होना शेष है;

(ख) उन सड़कों को पक्का बनाने का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा; और

(ग) इस नगर में सड़कों के निर्माण कार्य में क्या क्या कठिनाइयां हैं ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

बोंगाई गांव तथा फकीरा ग्राम के स्टेशन

*१५०५. **श्री ब्रह्म चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ दिसम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बोंगाई गांव तथा फकीरा ग्रामों के स्टेशनों तथा यार्डों को नया रूप देने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इन निर्माण-कार्यों पर कितना खर्च होगा, इस के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और काम को प्रारम्भ करने के थोड़े समय के बाद ही उस की स्वीकृति मिल जाने की आशा है ।

प्रति व्यक्ति कर

*१५०६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहलेजा घाट तथा उस के निकटवर्ती स्थानों के निवासियों को उत्तर पूर्व रेलवे पर दीघा घाट अथवा महेन्द्र घाट को पार करने के लिये प्रति व्यक्ति –/४/– (चार आने) अथवा उस से अधिक देने पड़ते हैं; और

(ख) यदि हां, तो १९५३ और १९५४ में इस से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे विभाग पहलेजा घाट और दीघा घाट अथवा महेन्द्रु घाट के बीच एक किनारे से दूसरे किनारे तक के यातायात बुक नहीं करता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रेलवेज

*१५०९. **श्री दशरथ देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में त्रिपुरा राज्य में रेलों के विकास के लिये वहां की सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार त्रिपुरा और आसाम के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने का विचार करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में निर्माण हेतु नई लाइनों के चुनने के समय इस प्रस्थापना पर विचार किया जायेगा ।

भोपाल में सड़कें

*१५१४. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल राज्य की सड़क परिवहन योजना में सरकार द्वारा कुल कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) इस संगठन के अंशधारियों के नाम क्या हैं, और प्रत्येक ने अब तक कितनी राशि लगाई है; और

(ग) इस संगठन को अब तक कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). राज्य सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है ।

अंशदायी स्वास्थ्य योजना

*१५१८. { **श्री झूलन सिंह :**
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के लिये, जो कि एलोपैथिक रीति से अपना इलाज करवाना नहीं चाहते, अंशदायी स्वास्थ्य योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने का क्या आधार है; और

(ख) कर्मचारियों के वेतनों में से जो अनिवार्य रूप से कमी कर ली जाती है क्या उस के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) अंशदायी स्वास्थ्य योजना दिल्ली और नई दिल्ली के केन्द्रीय असैनिक सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिये चालू की गई है और व्यक्तिगत छट देने से योजना नहीं चल सकेगी ।

(ख) जी हां, योजना के चालू होने के बाद तुरन्त ही कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

डाक और तार विभाग में शिष्टाचार सप्ताह

*१५१९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २३ से २९ दिसम्बर, १९५४ तक डाक और तार विभाग द्वारा आयोजित शिष्टाचार सप्ताह के दौरान में दी गई सुविधाओं से कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : २३ दिसम्बर, १९५४ से २९-१२-१९५४ तक मनाये गये नम्रता सप्ताह में समस्त भारत में सब मिला कर ४३,०४८ व्यक्तियों ने डाक-घरों, तार-घरों व टेलीफोन एक्सचेन्जों का निरीक्षण किया ।

पर्यटक यातायात

*१५२०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त विधान बनाना चाहती है कि उस कर के अतिरिक्त, जो कि उस राज्य में दिया जाता है, जहां से पर्यटक दल ने अपनी यात्रा प्रारम्भ की हो, अग्रेतर कर दिये बिना पर्यटकों

की गाड़ियां भारत के अनेक राज्यों में आजादी से आ जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यह विधान कब बनाना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पर्यटकों की गाड़ियों को स्वतन्त्र रूप से आने जाने की सुविधायें देने के लिये कुछ उपायों पर, जिन में दोहरे कर से छट का प्रश्न भी सम्मिलित है, राज्य सरकारों के परामर्श के साथ सक्रिय विचार किया जा रहा है । इस समय कोई वैधानिक कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सहकारी कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण

*१५२४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये पंजाब सरकार को अभी तक कितनी धनराशि सहायता रूप में दी गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): पंजाब सरकार को कोई धनराशि नहीं दी गई है क्योंकि सहकारी प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय समिति को उस ने जो योजना प्रस्तुत की थी, वह उस के पास वापिस भेज दी गई है ताकि उस में समिति द्वारा अपेक्षित कुछ संशोधन किये जा सकें ।

चावल की खेती का जापानी ढंग

*१५२६. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में देश की कुल कितनी भूमि में जापानी ढंग से चावल का कृषिकर्म हो रहा है;

(ख) दस एकड़ से कम भूमि के कितने भू-स्वामी हैं जिन्होंने यह ढंग अपनाया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभी तक ६,९४,७६४·३० एकड़ भूमि का समाचार मिला है ।

(ख) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकारों से यह सूचना एकत्र करने में काफी श्रम तथा समय लगेगा और उस से उतना फायदा नहीं होगा ।

दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन के कनैक्शन

*१५२८. **डा० सत्यवादी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५४ को टेलीफोन कनैक्शन के लिये दिल्ली और नई दिल्ली के कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे;

(ख) १९५४–५५ में प्रति मास औसतन कितने टेलीफोन कनैक्शन दिये गये; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में जिस प्रार्थनापत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई, वह किस तिथि को प्राप्त हुआ था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिल्ली में 'अपना टेलीफोन अपनाओ' सूची में ३०७ और 'अपना टेलीफोन न-अपनाओ' सूची में १९५२ । नई दिल्ली में इन की संख्या क्रमशः ८९ और १५०८ है ।

(ख) चालू साल में मासिक औसत ५२ ।

(ग) अपना टेलीफोन अपनाओ सूची : १८-३-१९५४

अपना टेलीफोन न-अपनाओ सूची : २९-३-१९५४

'अपना टेलीफोन न-अपनाओ' सूची की तिथि से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उस तिथि से बाद के प्रार्थनापत्रों पर फोन नहीं दिये गये हैं, क्योंकि 'अपना टेलीफोन न-अपनाओ' सूची की कतिपय श्रेणियों में बाद की तिथियों में तो प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे, उन के लिये टेलीफोन मंत्रणा समिति की सिफ़ारिशों के अधीन टेलीफोन दिये गये थे ।

यह आशा है कि लगभग दो साल के अन्दर टेलीफोन की स्थिति ठीक हो जायेगी, यद्यपि नई दिल्ली में यह तीन महीने में ही कठिनाई दूर हो जायेगी ।

त्रिपुरा में रेलवे लाइन

*१५२९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पाथरकांडी से धर्मनगर तक रेलवे लाइन के विकास करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में निर्माण हेतु नई लाइनों का चुनाव करते समय पाथरकांडी से धर्मनगर तक रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

नौवहन सेवाएं

*१५३४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जब यात्रियों और माल के उन भारतीय पोतों ने जो पश्चिम तट पर चलते हैं पुर्तगाली पत्तनों पर जाना बन्द कर दिया है तो एक पुर्तगाली पोत समवाय ने पाकिस्तान अभिकरण के अधीन कराची से गोआ और श्रीलंका की सर्विस आरम्भ कर दी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हां श्रीमान् ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*१५३६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कर्मचारियों निमित्त राज्य बीमा योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारी हैं;

(ग) कितने कारखानों को विमुक्ति दी गई है; और

(घ) इन विमुक्त उद्योगों में कितने कर्मचारी हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना १७ मई १९५३ से पंजाब के निम्नलिखित औद्योगिक केन्द्रों में लागू की गई है :

(१) अम्बाला ।
(२) लुध्याना ।
(३) जालन्धर ।
(४) अमृतसर ।
(५) बटाला ।
(६) अब्दुल्लापुर जगाधरी ।
(७) भिवानी ।

(ख) लगभग ३२,००० कर्मचारी ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ की धारा ७३च और ९० के अधीन और पंजाब सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा ८७ के अधीन विमुक्तियां दी हैं । राज्य में विमुक्त किये गये कारखानों की कुल संख्या ४४ है । उन उद्योगों के कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस के अतिरिक्त उन कारखानों को जिन में मुख्य नियोक्ता ने १० से कम व्यक्तियों को नियुक्त किया हो, चाहे उन के क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या २० या उस से अधिक भी हो, अधिनियम अधीन विमुक्त किया गया है ।

रात को विमान द्वारा डाक व्यवस्था

*१५३७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन रात को विमान द्वारा

डाक व्यवस्था में डाक के कुल भार को कम करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी करने का विचार है ;

(ग) इसे कब लागू किया जायेगा; और

(घ) रात को विमान द्वारा डाक व्यवस्था में यात्रियों के यातायात पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). रात की डाक व्यवस्था में डकोटा विमान के कुछ भार में से ७०० पाऊंड भार १ मार्च १९५५ को कम कर दिया था।

(घ) रात्रि के प्रत्येक विमान में यात्रियों के स्थानों में से प्रायः ३ या ४ स्थान कम कर दिये जायेंगे ।

पुल तथा ढांचा प्रमाप समिति

*१५३८. **कुमारी एनी मैस्करीन**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुल तथा ढांचा प्रमाप समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस समिति पर होने वाले व्यय की औसत क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(ख) क्योंकि इस समिति के सदस्य सब रेलवे के सेवायुक्त पदाधिकारी हैं अतः जब वे बैठकों में आते हैं उस समय उनके दैनिक भत्तों के अतिरिक्त इस समिति पर और अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाता।

रेलवे न्यायाधिकरण

४२८. **श्री पी० सुब्बा राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के वेतन क्रमों के बारे में जिस सम्बन्ध में संघ ने अभ्यावेदन भेजा था, न्यायाधिपति संकर सरन के एक-व्यक्ति-प्रधान न्यायाधिकरण ने कोई निर्णय दिया है;

(ख) क्या स्टेशनों का स्तर ऊंचा करने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा जून १९५४ में दी गई मंजूरी को लागू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संयुक्त मंत्रणा समिति ने स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों को २५ प्रतिशत तक उच्च दर्जा कर देने की जो सिफारिश की थी उसे न लागू करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) न्यायाधिकरण ने अभी कोई नियमित बैठक नहीं की और न कोई सिफारिशें की हैं ।

(ख) और (ग). रेलवे विभागों से प्राप्त हुई जानकारी से पता चलता है कि बहुत से रेलवे विभागों में आदेशों को लागू किया गया है और अन्य विभागों में इन्हें लागू किया जा रहा है ।

(घ) संयुक्त मंत्रणा समिति की सिफारिशों को उन में सरकार ने यह रूपभेद कर के कि १००–१८५ रुपये के वेतन-क्रम के स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर ६४–१७० रुपये के वेतन-क्रम वालों के १२ १/२ और २५ प्रतिशत के बीच होने चाहियें, स्वीकार कर लिया था। इस सम्बन्ध में अक्तूबर १९ ५०

में आदेश निकाला गया था और रेलवे विभागों ने इन्हें लागू किया था ।

दिल्ली बीकानेर विभाग में शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बे

४२९. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्मियों में दिल्ली बीकानेर के रेलवे विभाग में यात्रा करने वाले लोगों को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस लाइन पर शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बा वाली रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक आरम्भ करने की आशा है; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार की इस विषय पर विचार करने की इच्छा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). बीकानेर डाक गाड़ियों संख्या ४०१/४०२ में जो २ अप्रैल से दिल्ली से और ३ अप्रैल से बीकानेर से चलनी आरम्भ होंगी, शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों की एक त्रय-साप्ताहिक व्यवस्था आरम्भ करने की आशा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा के लिये टेलीफोन कनैक्शन्स

४३०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या सचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सब उप-डिवीज़न मुख्यालयों को अग्रतल्ला नगर के साथ टेलीफोन सम्पर्क द्वारा मिलाने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब आरम्भ होने की आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, उप-डिवीज़न मुख्यालयों को या तो सीधे अग्रतल्ला के साथ या किसी और सुविधाजनक स्टेशन द्वारा, टेलीफोन की मुख्य लाइन से मिलाया जायेगा ।

(ख) धर्मनगर को पहले ही २२-२-१९५५ में मिलाया जा चुका है, आशा है कालासाहर को अप्रैल १९५५ में मिला दिया जायेगा; और शेष सात उप-डिवीज़न नगरों को मिलाने की प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे दावे

४३१. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में हुई रेल दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों और उन के उत्तराधिकारियों और उन पर निर्भर व्यक्तियों द्वारा किये गये दावों का न्यायनिर्णय करने के लिये कितने दावे आयुक्त नियुक्त किये गये हैं और उन में से प्रत्येक का क्षेत्राधिकार और अभिधान क्या है;

(ख) उपरोक्त कालावधि में प्रत्येक घटना के सम्बन्ध में कितने दावे किये गये और वे दावे कितनी राशि के लिये हैं;

(ग) आयुक्तों में से प्रत्येक ने उक्त वर्षों में कितने दावों का निर्णय किया है और कितनी कितनी राशि की आज्ञप्ति दी है;

(घ) ऐसे कितने दावे हैं जिन का अभी तक निर्णय नहीं हुआ और वे कितनी राशि के हैं; और

(ङ) रेलवे को इन न्यायनिर्णयों की कार्यवाहियों पर कितना व्यय करना पड़ा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

वर्ष	दावों की संख्या	दुर्घटना	क्षेत्राधिकार	अभिधान
१९५२-५३ .	१	१८-५-५२ को उत्तर रेलवे में पालना और बीकानेर रेलवे स्टेशनों के बीच	संसार के किसी भाग से भी प्रतिकर दावे भेजे जा सकते हैं	दावे आयुक्त
१९५३-५४ .	३	१. १३-६-५३ को दक्षिण रेलवे में संख्या ११४४ यात्री-माल गाड़ी और ३३०३ माल गाड़ी के बीच	" "	" "
		२. १४-१-५४ को भटिंडा और फसमंडी के बीच उत्तर रेलवे पर	" "	" "
		३. उत्तर पूर्वी रेलवे में जगतबेला पर ३१-३-५४ को	" "	" "
१९५४-५५ .	२	१. २-५-५४ को उत्तर-पूर्वी रेलवे पर बेट्टिया और चन्दरिया के बीच	" "	" "
		२. २७-९-५४ को मध्य रेलवे में ३१९ अप सिकन्दराबाद काज़ीपेट एक्सप्रेसगाड़ी के साथ	" "	" "

टिप्पणी : छोटी घटनाओं से पैदा होने वाले दावों के लिये प्रत्येक के क्षेत्राधिकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में पदेन दावे आयुक्त भी नियुक्त किये गये हैं।

(ख) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

ज़िला मुख्यालयों में ट्रंक टेलीफोन कनेक्शन्स

४३२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रज्य में, राज्यानुसार उन ज़िलों के नाम क्या हैं जहां ट्रंक टेलीफोन कनेक्शन्स हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य के उन ज़िला नगरों के नाम क्या हैं जहां ट्रंक टेलीफोन कनेक्शन्स नहीं हैं; और

(ग) उन ज़िला नगरों के (राज्यानुसार) नाम क्या हैं जिन में क्रमानुसार १९५३ में और अब तक १९५४-५५ में ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). ये ब्योरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५९]**

कर्मचारियों के क्वार्टर

४३३. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्रों में श्रेणी ४ के कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों में :

(१) छत वाली और बिना छत की जगह,

(२) शौचालय,

(३) गुसलखाने और नल,

(४) बिजली लगाने, और

(५) सफाई के प्रबन्ध करने

के बारे में सरकार द्वारा उपबन्धित नीति का ब्योरा क्या है; और

(ख) एक श्रेणी के क्वार्टरों की विभिन्न किस्मों में उपरोक्त सुविधाएं देने के सम्बन्ध में भेद-भाव करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दिल्ली और नई दिल्ली के क्षेत्रों में श्रेणी ४ के कर्मचारियों के क्वार्टरों में सुविधाओं का उपबंध करने के बारे में सरकार द्वारा उपबन्धित नीति यह है कि जैसा सारी भारतीय रेलों में होता है, उन के लिये एक ही किस्म के क्वार्टर अर्थात् किस्म १ के क्वार्टर बनाये जाने चाहियें। किस्म १ के क्वार्टरों में निम्नलिखित सुविधाएं हैं :—

(१) छत वाली और बिना छत के जगह ३०० वर्ग फुट, ६ फुट चौड़े खुले विरांडे की झुकी हुई छत और २२० वर्ग फुट का आंगन;

(२) लगभग ५ फुट×४ फुट का शौचालय;

(३) गुसलखाना और एक नल;

(४) बिजली लगी हुई—बिजली के दो प्वाइंट; और

(५) सफाई के प्रबन्ध—सिवाये उन स्थानों के जहां पानी ले जाने की व्यवस्था नहीं है सब ही स्थानों में फ्लश प्रणाली है और जहां फ्लश-प्रणाली नहीं है वहां से मैला उठा ले जाने के प्रबन्ध हैं।

(ख) नये क्वार्टरों के अन्तिम परिमाणों के अनुसार उपरोक्त सुविधाओं की प्रबन्ध-व्यवस्था की गई है। परन्तु श्रेणी ४ के कर्मचारियों के पुराने प्रकार के क्वार्टरों में ये पूरी सुविधायें नहीं हैं परन्तु नीति के रूप में धीरे धीरे आजकल के स्वीकृत परिमाणों के अनुसार इन क्वार्टरों में भी सुविधायें दी जा रही हैं।

गांव को जाने वाली सड़कें

४३४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या परिवहन मंत्री २३ दिसम्बर १९५४ के तारांकित प्रश्न सं० १६१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंचवर्षीय योजना के अधीन गांव को जाने वाली सड़कों के निर्माण के लिये बिहार राज्य को दिये गये ऋण और अनुदानों का उपयोग किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : दिये जाने वाले ३ लाख रुपये के अनुदान में से ४४,४२३ रुपये तक के अनुदानों से सम्बन्धित ११ निर्माण कार्यों की मंजूरी दी गई है। शेष अनुदान की प्रस्थापनायें अभी आनी हैं।

रेलवे कर्मचारी

४३५. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों के अवशेष की

कुल राशि क्या है जो विभिन्न कारणों से विभागीय अधीक्षक नई दिल्ली ने रोक लिया है ;

(ख) यह बकाया कितने कर्मचारियों को दिया जाना है;

(ग) किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला बकाया अधिकतम कितने समय से पड़ा है; और

(घ) इन बकायों का कब तक भुगतान करने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

मध्य भारत के नगरों में तार-घर

४३६. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाद, मेहगांव, अम्बा, जोरा, साबलगढ़, विजयपुर और शिवपुर में तार-घर खोलने के लिये जिनकी स्वीकृति बहुत पहले दी जा चुकी थी विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन स्थानों में तार-घर कब तक खोले जाने की आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जहां तक मेहगांव, गोहाद और अम्बा का प्रश्न है अभी कुछ सामग्री प्राप्त होनी शेष है। नवीन लाईनों को लगाने तथा तार-घर खोलने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है जिससे कि कार्य १९५५-५६ में शीघ्र ही समाप्त हो सके।

जहां तक जोरा, साबलगढ़, विजयपुर और शिवपुर का सम्बन्ध है इनके मूल्य-निरूपण की अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है तथा इन कार्यों की विस्तार पूर्वक व्याख्या का पुनःनिरीक्षण किया जा रहा है ।

नासूर

४३७. **श्री डाभी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतांने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार की नासूर से सम्बन्धित विश्व के प्रख्यात विशेषज्ञों में एककी अध्ययन के आधार पर इस राय का पता है कि फेफड़ों के नासूर और अत्याधिक धूम्रपान के निश्चित सांख्यिकीय सम्बन्ध ज्ञात हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) सरकार को विदित है कि कभी कभी फेफड़े के नासूर और अत्याधिक धूम्रपान में सम्बन्ध बताने के लिये सांख्यिकीय और प्रयोगात्मक आंकड़े रखे गये हैं। तो भी अब प्रस्तुत साक्ष्य से कोई स्वीकृत निष्कर्ष नहीं निकला ।

(ख) इस बात का कोई दृढ़ प्रमाण न होने के कारण कि धूम्रपान से किस प्रकार फेफड़े का नासूर हो जाता है और वह किस मात्रा तक होता है सरकार तब तक प्रतीक्षा करना और अपनी राय को रक्षित रखना अधिक अच्छा समझती है जब तक इस सम्बन्ध में और अधिक निष्कर्षपूर्ण प्रमाण नहीं मिल जाते ।

उचित फसल योजना

४३८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने १९५३ और १९५४ में उचित फसल योजना के सम्बन्ध में क्या कार्य ही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न खाद्यान्नों और कपास, पटसन, गन्ना और तेल के बीजों

जैसी व्यापारिक फसलों के उत्पादन की वृद्धि के कतिपय भली प्रकार निश्चित लक्ष्यों का उपबन्ध किया गया है और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें वित्तीय सहायता और अन्य उचित प्रोत्साहन दे रही हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि उत्पादन की वृद्धि के उद्देश्य जिस मात्रा तक पूरे होंगे उसी मात्रा तक देश की आवश्यकताओं के सर्वथा अनुकूल समझी जाने वाली फसलों की किस्में बन जायेंगी ।

भारत की वर्तमान कृषि अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में अपेक्षित नमूने की फसल प्राप्त करने के लिये जिस बात की आवश्यकता है वह सम्भवत: इतना उत्पादन का सख्त नियंत्रण नहीं वरन् प्रोत्साहन या अन्य ढंगों से विकास के सामान्य उपाय करना है । इन उपायों में निम्न सम्मिलित हैं :—

(१) ग्राम संस्था बनाना, जो ग्राम की आवश्यकताओं के अनुकूल ग्राम के लिये अत्यन्त उपयुक्त फसल के नमूनों की योजना बनाये;

(२) चकबन्दी के उपाय;

(३) अन्य भूमि सुधार उपाय;

(४) सहकारी फार्मिंग की वृद्धि करना; और

(५) टेक्निकल सहायता और पथ-प्रदर्शन ।

विभिन्न राज्यों में उन की आवश्यकताओं के अनुसार ये सब उपाय अपनाये जा रहे हैं। इस के अतिरिक्त देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लागू करने और विस्तार सेवा संस्थाओं की स्थापना से कृषि का अधिक उचित आधार पर संगठन करने में सहायता मिलेगी और उस से फसलों की उचित योजना के लिये आवश्यक परिस्थितियां पैदा होंगी ।

नई रेलवे लाइनें

४३९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीपुर से सागौली तक पूर्वोत्तर रेलवे के लालगंज, साहगंज और गोविन्दगंज से होती हुई नई रेलवे लाइन निकालने के लिये सरकार से जनता तथा बिहार सरकार ने मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलवे लाइन को निकालने की योजना बना रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हाजीपुर से सागौली तक नयी रेल की लाइन बनाने के लिये जनता की ओर से अभी कुछ दिन पहले एक आवेदन-पत्र मिला है । लेकिन बिहार सरकार ने इस लाइन को दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाने की सिफारिश नहीं की है ।

(ख) नहीं ।

पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज

४४०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अब कितने टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं; और

(ख) उस राज्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने ऐसे एक्सचेंज स्थापित किये जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ४७ ।

(ख) अब तक खोले गये १७
जितने खोलने की आशा है ८

पंजाब में उप-डाकघर

४४१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में ज़िला वार कितने ऐसे उप-डाकघर हैं जो किराये के मकानों में ह;

(ख) क्या सरकार का इन कार्यालयों के लिये विभागीय भवन निर्माण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की आशा है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो उस के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पंजाब राज्य में ज़िला वार उन उप-डाकघरों की संख्या निम्न है जो किराये के मकानों में हैं :

ज़िला का नाम	किराये के मकानों में स्थित उप-डाकघर
अम्बाला	४७
गुड़गांव	२०
रोहतक	२१
होश्यारपुर	३०
अमृतसर	४३
करनाल	१६
गुरदासपुर	२१
शिमला	११
जालन्धर	४२
कांगड़ा (धर्मशाला)	३०
हिस्सार	१६
फिरोज़पुर	२५
लुधियाना	२२
कुल	३४७

(ख) जी हां । इन कार्यालयों के लिये प्रत्येक कार्यालय के दर्जे, स्थान की कमी की मात्रा और निधि की उपलब्धि की मात्रा पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार विभागीय भवनों का निर्माण किया जायेगा ।

(ग) मांग की अविलम्बनीयता के अनुसार और निधियां उपलब्ध होने पर प्रत्येक वर्ष कुछ भवन निर्माण किये जाते हैं । अविलम्बनीयता का निर्णय अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली यातायात सेवा

४४२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९५४ को और उस के पश्चात् बसों की बारम्बारता में वृद्धि के फलस्वरूप दिल्ली यातायात सेवा की बसों को कितने अतिरिक्त मील चलने पड़ते हैं;

(ख) १ दिसम्बर, १९५४ से इन बसों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है;

(ग) तब से कितनी बसें चलनी बन्द हुई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ८ दिसम्बर, १९५४ को जिस दिन भाड़े की समय-सारिणी लागू की गई बस सेवा की बारम्बारता में वृद्धि कर दी गई थी । इस के फलस्वरूप अनुसूचित दैनिक यात्रा में १४०० मील की वृद्धि हुई है ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) कोई नहीं ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

४४३. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ में, पंजाब में, न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ के अधीन कितने अभियोग चलाये गये;

(ख) कितने मामलों में दण्ड दिया गया; और

(ग) कितने मामलों में अपराध सिद्ध नहीं हुआ ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) कोई नहीं, जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में डाकघर भवन

४४४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४–५५ में पंजाब में डाकघरों के लिये भवन निर्माण के हेतु कितनी राशि का उपबन्ध किया गया;

(ख) ज़िलावार कितनी राशि नियत की गई; और

(ग) उन डाकघरों के नाम क्या हैं जिन के लिये ऐसे अनुदानों की मंजूरी दी गई थी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६०**]

पंजाब में मलेरिया नियंत्रण

४४५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि पंजाब में मलेरिया नियंत्रण एकक का क्या कार्यक्रम है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : इस समय पंजाब राज्य में सात मलेरिया नियंत्रण एकक काम कर रहे हैं । इन सात एककों का स्वरूप तथा उन्होंने जितने क्षेत्रों मे, जितनी जन संख्या करनी है वे निम्न हैं :

विभाग	कार्य क्षेत्र (वर्ग मील)	जितनी जनसंख्या की रक्षा करनी है	कुल जनसंख्या
१. गुड़गांव एकक			
गुड़गांव ज़िला	१७७६.३	७,१६,०८९	१०,००,०००
रोहतक ज़िला	५९०.०	२,८३,९११	
२. करनाल एकक			
रोहतक ज़िला	८२६.६	३,७७,९१६	१०,००,०००
करनाल ज़िला	१७२६.०	६२२,०८४	
३. अम्बाला एकक			
करनाल ज़िला	५४२.०	१,८८,०३०	१०,००,०००
अम्बाला ज़िला	९६०.०	४,२४,४८१	
होश्यारपुर ज़िला	७८५.०	३,८७,४८९	

विभाग	कार्य क्षेत्र (वर्ग मील)	जितनी जनसंख्या की रक्षा करनी है	कुल जनसंख्या
४. जालंधर एकक			
लुध्याना ज़िला . .	६८८.३	३,८५,६९०	१०,००,०००
जालन्धर ज़िला . .	३८०.१	३,०१,००२	
होश्यारपुर ज़िला . .	५५८.०	२,७१,३६१	
अमृतसर ज़िला . .	६०.९	४१,९४७	
५. कांगड़ा एकक			
कांगड़ा ज़िला . .	३०२०	५,६४,०६०	१०,००,०००
गुरदासपुर ज़िला . . (पठानकोट और गुरदासपुर तहसीलें)	७१२	४,३५,९४०	
६. गुरदासपुर एकक			
गुरदासपुर ज़िला .	५६०.०	३,२४,०६०	१०,०१,११८
अमृतसर ज़िला .	९७१.०	९,७७,०५८	
७. फिरोजपुर एकक			
अमृतसर ज़िला .	२८.०	१३,०३७	१०,००,०००
फिरोज़पुर ज़िला .	२५८०.०६	७,३१,९६३	
हिसार ज़िला .	१३०६.०	२,५५,०००	
कुल . .	१८०७०.२६	७०,०१,११८	

अब तक मलेरिया से लगभग ३४ लाख लोगों की रक्षा करना संभव हुआ है । आशा है कि १९५५ में मलेरिया से रक्षित करने के क्षेत्र को काफी विस्तृत किया जायेगा ।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

४४६. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२, १९५३ और १९५४ में पंजाब के उपनगरों में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के आवास के लिये क्वार्टर निर्माण करने के हेतु कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ख) इन वर्षों में राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तुतः कितनी कितनी राशि व्यय की गई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). पंजाब में क्वार्टरों के निर्माण के बारे में सब परियोजनाओं की जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६१]**

उर्वरकों के लिये ऋण

४४७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५४ में पंजाब राज्य में गन्ना उत्पादकों को उर्वरकों के लिये "फसल

के पश्चात् चुकाये जाने वाले" ऋण दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब सरकार ने १९५४ में लगभग ४·४ लाख रुपये की कीमत का १३८४ टन अमोनियम सल्फेट और १३ टन सुपरफासफेट, राज्य के गन्ना उत्पादकों को फसल के पश्चात् चुकाये जाने वाले ऋण के रूप में दिये थे। राज्य में सब फसलों के लिये अमोनियम सल्फेट तथा सुपरफासफेट वितरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९५४ में पंजाब सरकार को कुल ६५·६६ लाख रुपया अल्पकालीन ऋणों के रूप में दिये थे ।

तटीय परिवहन व्यापार

४४८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि स्टीमरों के तटीय परिवहन व्यापार को नियमित बनाने के लिये सरकार कोई विधान बनाना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : स्टीमरों के तटीय परिवहन व्यापार का विनियमन नौवहन नियंत्रण अधिनियम, १९४७ द्वारा किया जाता है जिस की कालावधि मार्च १९५६ के अन्त तक बढ़ा दी गयी है । इस बीच इस अधिनियम के उपबन्धों को एकीकृत आई० एम० एस० विधेयक जो अभी बन रहा है, में सम्मिलित कर देने का विचार है ।

ब्यावर रेलवे स्टेशन

४४९. पंडित एम० बी० भार्गव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यावर से १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४ (३१ दिसम्बर १९५४ तक) यात्री तथा परिवहन से क्या आय हुई;

(ख) क्या यह सच है कि (१) ब्यावर रेलवे स्टेशन के तृतीय श्रेणी और उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालयों में स्वच्छता सम्बन्धी कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, (२) ब्यावर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर कोई छत नहीं है, और (३) कई वर्षों से जनता के अभ्यावेदनों को टाला जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो संभवतः कब तक यह सुधार किये जायेंगे; और

(घ) अजमेर राज्य के किन स्टेशनों को १९५५–५६ के निर्माण कार्यक्रम में, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर छत बनाने तथा तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अन्य सुविधायें देने के लिये, सम्मिलित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ब्यावर रेलवे स्टेशन से यात्रियों तथा परिवहन से प्राप्त आय इस प्रकार है :—

१९५२–५३	यात्रियों से	४,३४,९०३ रुपये
,,	अन्य गाड़ियों से . . .	६८,३७० रुपये
..	माल से	१९,३४,१६२ रुपये
१९५३–५४	यात्रियों से	४,२१,८६७ रुपये
,,	अन्य गाड़ियों से	८०,७७८ रुपये
,,	माल से	१३,१५,१५८ रुपये
१९५४–५५ (दिसम्बर ५४ तक)	यात्रियों से	३,३०,८४३ रुपये
,,	अन्य गाड़ियों से	५७,६७७ रुपये
,,	माल से	११,१५,७५७ रुपये

(ख) (१) ब्यावर रेलवे स्टेशन के तृतीय श्रेणी और उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालयों में शौचालयों की व्यवस्था कर दी गयी है पर उन में फ्लश टट्टी की व्यवस्था नहीं है ।

(२) रेलवे प्लेटफार्म के काफी भाग पर छत बनवाने का काम चल रहा है ।

(३) यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) ब्यावर में स्वच्छता प्रबन्ध सम्बन्धी विकास तब तक नहीं हो पायेगा जब तक कि वहां जल संभरण की व्यवस्था नहीं हो जायेगी, इस के सम्बन्ध में प्रस्थापनाएं परीक्षणाधीन हैं ।

प्लेटफार्मों की छतों के बनाने का काम दो महीने में पूरा हो जायेगा ।

(घ) अजमेर राज्य में १९५५–५६ के निर्माण कार्यक्रम में, रेलवे प्लेटफार्मों पर छत बनवाने के लिये, किसी स्टेशन को सम्मिलित नहीं किया गया है । १९५५–५६ में यात्रियों की अन्य सुविधाओं का कार्यक्रम निम्न स्टेशनों पर होगा :—

(१) अजमेर—नलों द्वारा ऊंचाई पर पानी पहुंचाने और अतिरिक्त स्नानागारों की व्यवस्था करने के प्रबन्ध में सुधार ।

(२) मंगलियावास—

(क) प्याऊ

(ख) शौचालयों का सुधार

(ग) १३ बेन्चों की व्यवस्था

(घ) प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों में बिजली लगवाना ।

(३) मदार—

(क) टिकट घर

(ख) ६ बेंचें

(ग) २ फुहारे वाले नल ।

साम्प्रदायिक रक्षण

४५०. **डा० सत्यवादी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये संकल्प संख्या १६।१०।४७ ई० एस० टी (आर), दिनांक २१ अगस्त, १९४७ के अनुसार केन्द्रीय सेवाओं में भारती के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक रक्षकों को श्रम मंत्रालय के अधीन शिमला के श्रम विभाग में लागू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो श्रम विभाग में प्रथम श्रेणी की कितनी नौकरियां निकाली गयीं और उन में से कितनी अनसूचित जातियों के लिये रक्षित की गयीं;

(ग) यदि प्रथम श्रेणी का कोई पद अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये रक्षित रखा गया था तो क्या उस पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति नियुक्त किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख). जी हां । अक्तूबर १९४६ में श्रम विभाग के लिये स्वीकृत प्रथम श्रेणी के चार पदों में से दो पदों को अलग रख दिया गया, एक को अक्तूबर १९४६ में एक निश्चित कालावधि के लिये और दूसरी को अप्रैल १९४७ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरा गया । अप्रैल १९४७ में शेष दोनों पदों को घटा कर द्वितीय श्रेणी के पद बना दिया गया । अतः श्रम विभाग में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार के लिये प्रथम श्रेणी का कोई पद रक्षित नहीं किया गया ।

विद्यमान आदेशों के अधीन विभाग में निदेशक और सांख्यिक के दो पद ही प्रथम श्रेणी के पद हैं जिन्हें साम्प्रदायिक रक्षण के लिये मंत्रालय के अन्य प्रथम श्रेणी के पदों के साथ वर्गीकृत कर लिया गया है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

छोटे पत्तन

४५१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पूर्ण विकसित तथा अल्प विकसित छोटे पत्तनों की संख्या क्या है; और

(ख) यह किन राज्यों में स्थित हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारत के तट पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं में कुल १५४ छोटे पत्तन हैं पर पूर्ण विकसित और अल्प-विकसित में उन का वर्गीकरण करना कठिन है ।

(ख) इन छोटे पत्तनों को विभिन्न राज्यों में निम्न प्रकार बांटा जा सकता है :—

राज्य का नाम	छोटे पत्तनों की संख्या
कच्छ	६
सौराष्ट्र	२९
बम्बई	८० (लगभग)
त्रावनकोर-कोचीन	६
मद्रास	२५
आन्ध्र	५
उड़ीसा	३
कुल योग	१५४

रेलवे पथ

४५२. **श्री ब्रह्म चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ और १९५४ के बीच आई नदी (आसाम) में बाढ़ का उच्च तल क्या था;

(ख) १९५२ की बाढ़ के बाद रेलवे प्राधिकार ने रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की;

(ग) १९५४ की बाढ़ के पश्चात् लाइनों को अस्थायी प्रकार से पुनः लगवाने पर क्या व्यय हुआ और स्थायी प्रकार से लगवाने पर क्या व्यय हुआ;

(घ) अगली बरसात से पहले लाइनों को फिर से स्थायी रूप से बिछाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि लाइनों को स्थायी रूप से बिछाने का कार्य बरसात के पूर्व पूरा नहीं होता तो क्या रेलवे ने लगातार साल भर यातायात जारी रखने के लिये कुछ उपाय किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आई नदी की बाढ़ का उच्चतल १९५२ और १९५४ में क्रमशः १८५·५ और १८६·५ था ।

(ख) रेलवे लाइनों के बीच जहां दरारें पड़ गयी थीं उन को ठीक किया गया और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये नदी के चढ़ाव की ओर का बांध जो बाढ़ के पानी से डूब गया था, को और ऊंचा किया गया ।

(ग) अस्थायी रूप से लाइन बिछाने का व्यय ६ लाख रुपये है और स्थायी रूप से लाइन बिछाने का अनुमित व्यय ११ लाख रुपये है ।

(घ) काम जोरों से चल रहा है और बरसात से पूर्व काम समाप्त करने का प्रबन्ध कर दिया गया है । अब तक १० प्रतिशत प्रगति हो चुकी है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय नौवहन

४५३. श्री के० सी० सोधिया : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय नौवहन में लगे हुए भारतीय नौवहन का (प्रति समवाय) कुल टनभार क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस टन भार में क्या वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इसे तटीय व्यापार की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त समझा जाता है और, यदि नहीं, तो कितनी वृद्धि की आवश्यकता है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आवश्यक जानकारी का एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६२**]

(ख) कुल ५४,४१८ पंजीकृत टन ।

(ग) और (घ). जैसा कि संलग्न विवरण से पता चलेगा, तटीय व्यापार में इस समय कुल पंजीकृत टनभार २,६७,६६२ साधारण पंजीकृत टन है । ऐसा अनुमान है कि तटीय व्यापार की वर्तमान सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, जैसा कि पंच वर्षीय योजना में निश्चित किया गया है, लगभग ३ लाख पंजीकृत टनभार पर्याप्त होगा । लक्ष्य तक पहुंचने के निमित्त टनभार प्राप्त करने के लिये भारतीय नौवहन समवायों को ऋण दिये जा रहे हैं ।

रेलवे कर्मचारियों का वेतन

४५४. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टरों और स्टेशन मास्टरों का प्रशिक्षण काल, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व गार्डों के प्रशिक्षण काल, कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों से अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन क्रम उन के कर्तव्यों के ही अनुरूप है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चूंकि इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र अन्योन्याश्रित नहीं हैं, अतः उन के कर्तव्यों आदि की कोई निश्चित तुलना नहीं की जा सकती ।

(ख) जी हां ।

रेलवे कर्मचारी

४५५. पंडित एम० बी० भार्गव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पश्चिमी रेलवे के बेतार के तार चालक कर्मचारियों, जो अब उत्तर रेलवे में काम कर रहे हैं, के सेवा अभिलेख अभी भी कुछ मामलों में अपूर्ण हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी हां, इन बेतार के तार चालक कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों में पूर्ण जानकारी नहीं थी और इस सम्बन्ध में उत्तर और पश्चिमी रेलवे में पत्र व्यवहार हो रहा है । आवश्यक जानकारी के प्राप्त होते ही इन्हें तैयार कर दिया जायेगा ।

घी का उत्पादन

४५६. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री विश्व नाथ राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में देश में कुल कितने घी का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार घी उत्पादकों को कोई विक्रय सम्बन्धी सुविधायें देती है; और

(ग) क्या सरकार देश में घी का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई आन्दोलन करने जा रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) पशु गणना के आधार पर भारत में १९५१ में घी का अनुमित उत्पादन १०४·४८ लाख मन था । वर्ष-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) कृषि-उपज के क्रमस्थापन तथा चिह्नण अधिनियम के अधीन इस चीज़ पर एगमार्क लगाया जाता है । शुद्धता और गुण प्रकार का विहित मान घी के विपणन में सहायता करता है ।

(ग) जी नहीं । देश में पशुओं के विकास और सुधार के लिये चलाई जाने वाली अनेक योजनाओं से दूध के उत्पादन में वृद्धि होगी अतः परिणामस्वरूप देश में घी में भी वृद्धि होगी ।

हाथियों द्वारा फसल की बरबादी

४५७. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष महारानी के हाथियों द्वारा जारनी-वोचांई (त्रिपुरा) के कृषकों की फसल की घोर बरबादी की सूचना जिलाधीश को दी गयी है;

(ख) क्या कृषकों ने फसल के लिये प्रतिकर की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

रेलवे कर्मचारी

४५८. **श्री एम० एन० सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में १९४८ से १९५४ तक कितनी बार अन्य मंत्रालयों के कर्मचारी भाग लेने के लिये आमंत्रित किये गये थे और उन्होंने कितनी बार वास्तव में भाग लिया;

(ख) उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे कितने व्यक्तियों ने भाग लिया और कितने सफल हुए; और

(ग) क्या अन्य मंत्रालयों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिये रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). रेलवे में तीसरे दर्जे के कर्मचारियों को तरक्की देने के लिये कोई परीक्षा नहीं ली गयी । लेकिन क्लर्क से असिस्टेन्ट बनाने के लिये क्लर्कों की योग्यता आंकने के विचार से दिसम्बर, १९५३ और सितम्बर, १९५४ में दो बार टेस्ट लिये गये । पहले टेस्ट में उत्तर रेलवे के एक कर्मचारी को बैठने की आज्ञा दी गयी जो डाइरेक्टर जनरल, सिविल

एविएशन के दफ्तर में डेपुटेशन पर काम कर रहा है, दूसरे टेस्ट में उसी रेलवे के एक दूसरे कर्मचारी को बैठने की अनुमति दी गयी थी, वह पुनर्वास मंत्रालय में डेपुटेशन पर काम कर रहा है ।

(ग) ऐसा कभी नहीं हुआ है ।

रेलों पर भोजन व्यवस्था

४५९. **श्री बी० एन० कुरील** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अन्नपूर्णा भोजन-व्यवस्था सेवा को सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं भोजन के डिब्बों (डाइनिंग कारों) में चालू करने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जी नहीं ।

भारत-नार्वे प्रतिष्ठान के लिये टेलीफोन दिया जाना

४६०. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर कोचीन राज्य में नीनडाकरा के भारत-नार्वे प्रतिष्ठान के मुख्यालय ने टेलिफोन लगाये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है; तथा

(ख) क्या टेलिफोन दिये जाने के लिये उन पर कोई विशेष शर्तें लगाई गईं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । उन्होंने छः बाह्य तथा दो आन्तरिक एक्सटेंशन तथा क्विलोन के मुख्य एक्सचेंज से दो सम्पर्क लाइनों वाली एक निजी शाखा के लिये आवेदन किया है ।

(ख) जी नहीं । इस के विपरीत, उक्त विभाग ने किराया लेने तथा प्रत्याभूति देने की प्रणाली में रियायतें दी हैं, तथा सरकारी विभागों के से आधार पर ही उसे लागू कर दिया है ।

अल्प सुचना प्रश्न और उत्तर

उत्तर प्रदेश में फसलों को हानि

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. श्री अलगू राय शास्त्री : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में मार्च, १९५५ के प्रथम सप्ताह में ओले पड़े थे;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से जिलों में रबी की फसल को गहरी क्षति पहुंची थी;

(ग) किन-किन ज़िलों में इस का अत्यधिक प्रभाव पड़ा;

(घ) कुल कितनी क्षति हुई;

(ङ) क्या क्षति-ग्रस्त व्यक्तियों को कोई सहायता दी गई है; और

(च) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (च). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६३**]

लोक सभा

वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड २, १९५५)

(१४ मार्च से ३१ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवम सत्र, १९५५

(खंड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

विषय-सूची

(खण्ड २, अंक १६ से ३०--१४ मार्च से ३१ मार्च, १९५५)

अंक १६--सोमवार, १४ मार्च, १९५५

	स्तम्भ
राजा त्रिभुवन का निधन	१४८१--८४
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	१४८४--१५७८
श्री जवाहरलाल नेहरू	१४८४--९८
श्री एन० सी० चटर्जी	१४९९--१५०५
श्री एच० एन० मुकर्जी	१५०६--१२
श्री अशोक मेहता .	१५१२--१८
श्री पाटस्कर . .	१५१८--४७
श्री फ्रैंक एन्थनी	१५४७--५२
डा० कृष्णस्वामी . .	१५५२--५९
श्री सी० सी० शाह . . .	१५५९--६७
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५६७--७८

अंक १७--मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

राज्य-सभा से संदेश . .	१५७९--८०
पटल पर रखा गया पत्र--	
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार), १९५५, भाग १ .	१५८०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--आठवां प्रतिवेदन----उपस्थापित	१५८०
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंप गया	१५८०--१६८२
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५८१--८४
श्री गाडगील .	१५८४--८९
श्री तुलसीदास	१५८९--९६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१५९६--९९
श्री वेंकटरामन	१५९९--१६०५
पण्डित ठाकुर दास भार्गव .	१६०५--१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१६१८--२२
श्री पुन्नूस	१६२२--२६

स्तम्भ

श्री बी० एस० मूर्ति . . . . . १६२६—२८
श्री पी० एन० राजभोज . . . . . १६२८—३५
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . . १६३५—५३
श्री बर्मन . . . . . १६५३—५५
श्री एस० एन० दास . . . . . १६५५—६१
श्री राघवाचारी . . . . . १६६१—६३
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . १६६३—७९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . १६८२

अंक १८—बुधवार, १६ मार्च, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता बन्दरगाह में काम बन्द हो जाना १६८३

पटल पर रखे गये पत्र—

जापान के रेशम उद्योग के बारे में समाचार पत्रिका . . १६८४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना १६८४

राज्य सभा से सन्देश . . १६८४-८५

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षता विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया . . . १६८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेईसवां प्रतिवेदन

—उपस्थापित १६८५

गेहूं के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में वक्तव्य . . १६८५—८७

१९५५-५६ का सधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १६८७—१७७०

अंक १९—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . १७७१—७२

अनुपस्थिति की अनुमति . . १७७२—७३

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त १७७३—१८५६

अंक २०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५ । स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
पांडिचेरी में हड़ताल . . . . . १८५७—६३
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १८६३—१९०१
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . १९०१—०२
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—
(नई धारा १५क का रखा जाना)—विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत १९०२—३३
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . . १९०२—०५
श्री डी० सी० शर्मा . . . . १९०५—०९
श्री केशवैयंगार . . . . १९०९—१२
श्री साधन गुप्त . . . . १९१२—१५
श्री आर० आर० शास्त्री . . १९१५—२४
डा० सत्यवादी . १९२५—२७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . १९२७—२८
श्री खंडूभाई देसाई . . . १९२८—३२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा ५ का संशोधन)—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त १९३३—४६
श्री यू० सी० पटनायक . . . १९३३—३९
श्री बोगावत . . . . . १९३९—४१
श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . १९४१—४६
श्री भागवत झा आज़ाद . १९४६

अंक २१—शनिवार, १९ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
कलकत्ता पत्तन में हड़ताल . . १९४७—४९
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ . . . १९४९
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . १९५०—२०७५
राज्य सभा से सन्देश . २०७५—७८

अंक २२—सोमवार, २१ मार्च, १९५५ स्तम्भ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २०७७

१९५५-५६ के लिये साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—समाप्त . . . . . २०७७—२१२९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २१२९—२१७५

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . २१२९—३४, ३५

श्री अमजद अली . . २१३४—३५

श्री यू० एम० त्रिवेदी . . २१३५—३९

श्री वेंकटरामन् २१३९—४३

कुमारी एनी मैस्करीन . . . . २१४३—४५

पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . २१४५—६२

श्री तुषार चटर्जी . . . . . २१६२—६४

डा० सुरेश चन्द्र . . . . . २१६४—६८

श्री राघवाचारी . . . . . २१६८—७०

श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . २१७०—७२

श्री कानूनगो . . . . . २१७३—७५

खण्ड २ से ७क . . . . . २१७५—९०

अंक २३—मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . २१९१—९३

फ्रन्टियर मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . . . २१९३—९४

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . . २१९४—२२०२

खण्ड १ और ८ से १५ . . . . . २१९४—२२०२

पारित करने का प्रस्ताव २२०२

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी २२०२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ९९—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . २२०३—८८

मांग संख्या १००—संभरण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०१—अन्य असैनिक निर्माण-कार्य . . २२०३—४६

मांग संख्या १०२—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०३—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २२०३—४६

	स्तम्भ
मांग संख्या १३६—नई दिल्ली पर पूंजी व्यय .	२२०३—४६
मांग संख्या १३७—भवनों पर पूंजी व्यय . . .	२२०३—४६
मांग संख्या १३८—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२२०३—४६
मांग संख्या ६४—श्रम मंत्रालय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२२४५—८८
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफतर तथा पुनस्संस्थापन .	२२४५—८८
मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा .	२२४५—८८
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२२४५—८८
कोयला खानों में दुर्घटनायें . .	२२८७—९८

अंक २४—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गय पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३७वें अधिवेशन में गये हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन . . .	२२९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	२२९९
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२३००
सभा का कार्य . . .	२३००—०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२३०२—२४२०
मांग संख्या ६९—श्रम मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनस्संथापन.	२३०२—३६
मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा . .	२३०२—३६
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	२३३६—२४२०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२३३६—२४२०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२३३६—२४२०

अंक २५—गुरुवार, २४ मार्च, १९५५ ।

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर की शुद्धि २४२१

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—

पुरःस्थापित . . २४२१—२२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— २४२२—२५५४

मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . २४२२—४०

मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . २४२२—४०

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २४२२—४०

मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय २४२२—४०

मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय २४३९—२५५४

मांग संख्या ४२—वन २४३९—२५५४

मांग संख्या ४३—कृषि . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २४३९—२५५४

अंक २६—शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५ ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . २५५६—९६,२६१०-११,२६५९—६४

मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . २५५६—६८

मांग संख्या ४२—वन . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४३—कृषि . . . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . २५५६—६८

मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २५५६—६८

मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . . २५५६—६८

मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . २५५६—६८

मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४

मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौ सेना २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायु बल २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पारित २५९७—२६१,०२६११—१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २६१६

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१६—१९
मूल्यों के असंतुलन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१९—२५
नदी घाटी योजनाओं के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया . . . २६२५—६०

अंक २७—सोमवार, २८ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५२-५३ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन २६६५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . २६६५—६६
राज्य सभा से सन्देश . . . २६६६—६७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . २६६८—२७७६
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौ सेना . २६६८—२७७६
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुबल . २६६८—२७७६
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २६६८—२७७६
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . . २६६८—२७७६

अंक २८—मंगलवार, २९ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . २७७७-७८
आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . २७७८
राज्य सभा से सन्देश . . . २७७८-७९
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . २७७९

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२७७९—२८९४
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें क्रियाकारी सेना . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	२७८१—२८००
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें क्रियाकारी—वायु बल	२७८१—२८००
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें अक्रियाकारी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२७९९—२८९४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार घर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२७९९—२८९४

अंक २९—बुधवार, ३० मार्च, १९५५ ।

राज्य सभा से सन्देश	२८९५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन —उपस्थापित	२८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२८९५—२९१८
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२८९५—२९१४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . .	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय .	२८९५—२९१४

	स्तम्भ
मांग संख्या ४६—स्वास्थ्य मंत्रालय	२९१४—४७
मांग संख्या ४७—चिकित्सा सेवायें	२९१४—४७
मांग संख्या ४८—लोक स्वास्थ्य	२९१४—४७
मांग संख्या —स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२९१४—४७
मांग संख्या १२४—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	२९१४—४७
मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय .	२९४७—९८
मांग संख्या ७७—भारतीय भू-परिमाप . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७८—वानस्पतिक सर्वेक्षण . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७९—प्राणकीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८०—भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८१—खानें . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ८२—वैज्ञानिक गवेषण	२९४७—९८
मांग संख्या ८३—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	२९४७—९८
मांग संख्या १३०—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२९४७—९८

अंक ३०—गुरुवार, ३१ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	२९९९
राज्य सभा से सन्देश	२९९९—३०००
वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया	३०००
हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . .	३०००-०१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३००१
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . .	३००१-०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २१—आदिम जाति क्षेत्र .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २२—वैदेशिक कार्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २३—पांडिचेरी राज्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २४—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या ११३—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३०८२

GIPD—HS—41 LSL—13-8-55—240

लोक सभा

शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-३ म० प०

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों के बारे में चर्चा की जायेगी । मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिये कहूंगा । मेरे विचार में वे लगभग आधा घंटा या इससे कुछ अधिक समय ही अपने उत्तर के लिये लेंगे ।

उसके बाद सभा में रक्षा मंत्रालय की मांगों के बारे में चर्चा प्रारम्भ होगी और तत्पश्चात् संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने वाल विधेयक पर चर्चा की जायेगी ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मेरा यह सुझाव है कि इस पर २-३० बजे चर्चा प्रारम्भ की जाये, जबकि गैर सरकारी कार्य शुरु होता है, क्योंकि सारे सदस्यों से सम्बन्धित होने के कारण यह विधेयक भी गैर सरकारी कार्य की कोटि में ही आता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक सरकारी है, यद्यपि इससे संसद् के गैर-सरकारी सदस्यों को भी लाभ होगा । कुछ भी सही मैं इसको २-३० बजे ही ले लूंगा ।

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें* खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के बारे में

खाद्य तथा कृषी मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इस मंत्रालय की मांगों सम्बन्धी कल की चर्चा में, इस सभा के जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, उनमें से अधिकांश ने स्वर्गीय रफी अहमद किदवई के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की । उनका उत्तराधिकारी होने के नाते उनके द्वारा किये गये कार्य का अनुमान मैं औरों से बहुत अच्छी तरह लगा सकता हूं । आज हम जो खाद्य की स्थिति दृढ़ देख रहे हैं, यह उनकी साहसिक तथा कल्पनायुक्त नीति का ही परिणाम है । मैं भी श्री रफी अहमद किदवई के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

माननीय सदस्यों ने जिस सद्भावना पूर्ण ढंग से इन मांगों के बारे में चर्चा की है उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं । जो प्रस्थापनायें की गई हैं, उनमें से अधिकांश रचनात्मक हैं । मेरे सहकारी डा० पी० एस० देशमुख ने उठाई गई अधिकांश बातों का उत्तर दे दिया है । फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि मंत्रालय उनके सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करेगा

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तावित ।

[श्री ए० पी० जैन]

और हम उनके सुझावों के अनुसार कार्य करने का भरसक प्रयत्न करेंगे ।

कल चर्चा के दौरान प्रत्येक सदस्य ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय का निर्देशन किया । मैं भी उसी विषय पर बोलना चाहता हूं । वह महत्वपूर्ण प्रश्न कृषि उत्पादों के मूल्यों के स्थिर करने के बारे में है । इसके सम्बन्ध में सभा के भीतर और बाहर दोनों जगह बड़ी चिन्ता है । मैं उस चिन्ता का पूरी तरह से अनुभव करता हूं । वस्तुतः यह मेरा भरसक प्रयत्न रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में जहां तक सम्भव हो, मूल्यों को गिरने से रोका जाये । किन्तु मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण समस्या पर शान्तिपूर्वक विचार करें । मैं यह बताना चाहता हूं कि खाद्यान्नों के मूल्य कितने गिरे हैं ।

खाद्यान्नों के थोक मूल्यों की सूचक अंक के अनुसार कुल २१ प्रतिशत भाव गिरे हैं । विशेष खाद्यान्नों के बारे में, चावल का भाव गत वर्ष १८ प्रतिशत गिरा है, गेहूं का भाव १३ प्रतिशत, ज्वार का भाव ४१ प्रतिशत और बाजरा २१ प्रतिशत । यदि ये मूल्य उन निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के साथ ही साथ गिरते, जिनका कि कृषक उपभोग करते हैं, तब अधिक चिन्ता की बात नहीं होती । किन्तु केवल इतना ही नहीं हुआ है कि उन निर्मित वस्तुओं के मूल्य, जिनका कि कृषक उपभोग करते हैं, गिरे नहीं है, अपितु कुछ चीजों के मूल्य बढ़ गये हैं ।

मैं अपने सहकारी, माननीय वित्त मंत्री का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अन्त में मोटे और बीच के कपड़े पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने की प्रस्थापना को वापिस लेने का निश्चय किया क्योंकि सामान्यतः कृषक ही इस प्रकार के कपड़े का उपभोग करते हैं । मेरे साथी माननीय रेलवे मंत्री ने खाद्यान्नों तथा उर्वरकों के आने जाने के सम्बन्ध में जो रियायतें प्रदान की हैं, उनसे भी यह प्रकट हो जायेगा कि सरकार को मूल्यों की इस गिरावट के बारे में कितनी चिन्ता है ।

कल जो सदस्य मूल्यों के स्थिर करने के बारे में बोले, उनमें से अधिकांश सदस्यों ने प्रायः यह सोचा कि सरकार को बाजार में जाकर बड़ी मात्रा में खरीद करनी चाहिये । सभा के एक सदस्य, सरदार लाल सिंह ने यह बताया कि अमरीका में क्या किया गया है और उन्होंने यह सुझाव दिया कि मूल्यों के स्थिर करने की नीति के सम्बन्ध में हमें अमरीका का ही अनुकरण करना चाहिये । मेरा यह निवेदन है कि भारत की परिस्थितियां अमरीका की परिस्थितियों से बहुत भिन्न हैं । जो कुछ उनके लिये लाभकारी है, उसका हमारे लिये भी लाभकारी होना आवश्यक नहीं है । हमें अपने अलग उपचारों का पता लगाना है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मैं कुछ बातें बता हूं जिनसे यह पता चल जायेगा कि अमरीका और हमारे देश की परिस्थितियों में क्या अन्तर है । अमरीका की कुल राष्ट्रीय आय लगभग ३,५७० अरब डालर है, जिसमें कृषि उत्पाद से अमरीका को २१३ अरब डालर की आय होती है । अर्थात कृषि क्षेत्र से अमरीका को जो आय होती है, वह कुल राष्ट्रीय आय की केवल ६ प्रतिशत है । अमरीका का कुल वार्षिक आयव्ययक ७१५ अरब डालर का होता है । इस प्रकार, कृषि से होने वाली कुल आय वहां के आयव्ययक की केवल ३० प्रतिशत है । इन आंकड़ों की भारत

के आंकड़ों से तुलना करने पर हम देखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये से कुछ ही कम है, जिसमें ५,००० करोड़ रुपये की आय केवल कृषि उत्पाद से होती है। दूसरे शब्दों में, कृषि से जो आय होती है, वह कुल राष्ट्रीय आय की लगभग ५० प्रतिशत है और हमारे वार्षिक आयव्ययक की ११०० प्रतिशत है। इन आंकड़ों से यह प्रत्यक्ष है कि यदि हम अमरीका की पद्धति पर मूल्यों के स्थिर करने की कोई योजना चलायें, तो पहले हमें उसको वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी, या कम से कम कृषि क्षेत्र से ठोस रूप में उसको वित्तीय सहायता देनी होगी, किन्तु यह उपचार कुछ भी लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। अमरीका से कुछ कृषि उत्पाद का आयात करने के लिये एक मामले की बातचीत करते हुये हमने देखा कि सी० सी० सी० के रजिस्टरों में जिस कृषि उत्पाद का मूल्य ४०० लाख डालर दर्ज था, उसका मूल्य बाजार में २४० लाख डालर रह गया था। अर्थात्, पुस्त मूल्य तथा बाजार के मूल्य में जो यह लगभग १६० लाख डालर का अन्तर था, उतने का नुक़सान हो गया। इस बात को संकेत रूप में लेकर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम इस प्रकार की हानियों को उठाने के योग्य हैं। यह उसका एक पहलू है।

अपनी कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था और अमरीका की कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था में भेद दिखाने वाली दूसरी बात यह है कि वहां की कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था में अनिवार्य रूप से अतिरिक्त निधि प्राप्त होती है। अपने यहां की कृषि सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था तुलनात्मक प्रकार की है। भले ही कुछ खाद्यानों का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता हो और कुछ का कम, किन्तु सम्पूर्ण स्थिति को देखते हुये यह पता चलता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार भी अतिरिक्त निधि प्राप्त नहीं होती है और वह भी तब जब कि भारत में लगभग १६०० से १७०० कैलोरोज का ही उपभोग होता है और आदमी को पूर्ण वस्थ रखने के लिये कम से कम २८०० कैलोरोज की आवश्यकता है। अतः हमारे भोजन में आवश्यक तत्त्वों की कमी रहती है। गूंजाइश हमारे यहां केवल और अधिक खपत की ही नहीं वरन् और अच्छे प्रकार के खाद्यों की भी है। यदि किसी वस्तु का अभाव है तो वह है जनता की क्रय शक्ति। वित्त मंत्री ने आगामी वर्ष के लिये ३०० करोड़ रुपये से भी अधिक के घाटे के आयव्ययक का उपबन्ध किया है। वित्तीय पंच वर्षीय योजना में विकास योजनाओं पर मेरा अनुमान है कि हमारा खर्च लगभग १००० करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा।। मैं समझता हूं कि घाटे की अर्थ व्यवस्था से तथा विकास योजना पर हम जो रुपया खर्च करेंगे उससे जनता को पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति मिल जायेगी। हमारे कृषि क्षेत्र की समस्याओं में से कुछ के हल करने का यही एकमात्र उपाय है।

कृषि जन्य उत्पादों के मूल्य में जो एक बारगी भारी गिरावट आई है उसका ठीक ठीक उपचार खोजने के लिये हमें इसके कारणों का पता लगाना चाहिये। जब हमने नियंत्रण हटाये थे तो यह आशा तो हमें भी थी कि कृषि जन्य उत्पादों के मूल्यों में कुछ गिरावट होगी और वह स्वागत करने की बात होती। परन्तु दुख का विषय यह है, कि जो गिरावट हुई है वह एक समान नहीं हुई है और आवश्यकता से अधिक हुई है। जब भाव गिरते हैं तो कोई संचय नहीं करता है। दस बारह वर्ष के नियंत्रण काल में खुले बाजार या चोर बाजार में बेचने के लिये लोगों ने गोदामों में जो बहुत भारी राशियों का संचय कर रखा था भाव गिरने के कारण वह माल भी बाजार में आ गया है।

[श्री ए० पी० जैन]

उदाहरण के लिये दालों को ही लीजिये । नियंत्रण से पहले हम चना तथा दाल की भारी राशियों का निर्यात किया करते थे। परन्तु दस बारह बर्ष जब तक नियंत्रण रहा हम ने ऐसा कोई भी निर्यात नहीं किया। इस लिये विदेशों के बाजारों से अब हमारा सम्पर्क बिल्कुल कट चुका है । इस के अतिरिक्त देशी राज्यों के प्रान्तों में मिल जाने से भी कुछ अन्तर पड़ा है क्योंकि देशी राज्यों का आर्थिक ढांचा बहुत ही पिछड़ा हुआ था। वहां प्रायः वस्तु विनिमय की व्यवस्था प्रचलित थी । पहले वहां मूल्यों के कम होने की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता था तथा इसके अतिरिक्त अतिरेक वहां बहुत कम होता था ।

सभा को ज्ञात होगा कि दिसम्बर मास में सरकार ने घोषणा की थी कि कृषकों को सहायता देने के लिये वह कुछ मोटे अनाजों का क्रय करेगी । सरकार ने घोषणा की थी कि वह ज्वार पांच रुपये आठ आने मन मक्का पांच रुपये आठ आने मन तथा बाजरा छः रुपये मन क्रय करेगी । परन्तु मुझे यह मानना पड़ेगा कि कृषक को हमारे विनिश्चय का पूरा पूरा लाभ नहीं पहुंच पाया है क्योंकि मोटे अनाज की अधिकांश मात्रा बाज़ार में आ चुकी थी । इस बार भी सरकार यह विनिश्चय कर चुकी है कि जिन मण्डियों में गेहूं का भाव दस रुपये मन से भी नीचे गिर रहा है वहां सरकार गेहुं क्रय करेगी । अब की बार हमने सतर्कता के साथ काम किया है और बाजार में फसल आने के पहले ही हमने ऐसा एलान कर दिया है । विभिन्न बाजारों में हम क्रय का भी प्रबन्ध कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार गेहूं का भाव दस रुपये मन से नीचे नहीं गिर पायेगा और गेहूं उपजाने वालों को कम से कम दस रुपये मन के दाम अवश्य मिल जायेंगे ।

पुराने देशी राज्यों में यह समस्या बहुत ही उग्र रूप में है । हमारे मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने तथा योजना आयोग ने संयुक्त रूप से इस पर विचार किया तो हम इस निर्णय पर पहुंचे कि इन क्षेत्रों की क्रय शक्ति को बढ़ाना ही इसका एकमात्र उपाय हो सकता है । जहां परिवहन की कठिनाइयां हैं, हम सड़कें बना रहे हैं । इसके अलावा भी हम विकास कार्यों को आरम्भ कर रहे हैं जिस से कि जनता को काम मिले और वह खाद्यों पर अधिक धन व्यय कर सके ।

मध्य प्रदेश में गेहूं का भाव होशंगाबाद में १२ रुपये ८ आने, और जिला यवतमाल में १० रुपये ४ आने मन है जब कि वार्धा में १६ रुपये ६ आने, बालाघाट में १७ रुपये ८ आने तथा घोंडा गांव में २१ रुपये मन है । मैं ने राज्य के खाद्य मंत्री से इस असमानत के सम्बन्ध में परामर्श किया और हम इसा निर्णय पर पहूंचे कि इस का कारण है परिवहन तथा समुचित विपणन सुविधाओं का अभाव । पिछड़े हुये क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिये हम ने जो तरीक़े अपनाये हैं उन में से यह भी एक है ।

भारत की कृषि व्यवस्था का यह सब से बड़ा दुर्भाग्य है कि कृषक उस समय विक्रय करता है जब भाव सब से कम होते हैं और वह क्रय करता है उस समय जब भाव सब से ऊंचे होते हैं, परन्तु हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब हम ने इस समस्या को निश्चित रूप से हल करने का निर्णय कर लिया है ।

सभा को ज्ञात होगा कि रिजर्व बैंक ने ग्राम ऋण का सर्वेक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी । उसके प्रतिवेदन पर भारत के रिजर्व बैंक तथा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विचरकिया जा रहा है । यह एक

बहुत ही व्यापक प्रतिवेदन है । इसकी मुख्य विशेषताय यह हैं कि रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों पर ग्राम-ऋण के प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व होगा । अभी तक ग्राम ऋण भूमि की जमानत पर दिया जाता था इस लिये मध्यम वर्ग के तथा निम्न वर्ग के कृषकों को यह सुविधा कभी मिल ही नहीं पाती थी । इस प्रतिवेदन में जो सुझाव दिया गया है उसके अनुसार ग्राम ऋण फ़सल की जमानत पर दिया जायेगा । फसल का सर्वेक्षण किया जायेगा और कितनी फसल होने की सम्भावना हो सकती है इस का भी अनुमान लगाया जायेगा । उस अनुमान का कुछ अंश कृषक को अग्रिम भुगतान के रूप में दिया जायेगा । इस प्रकार ऋण व्यवस्था से न केवल बड़े कृषक वरन् मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के कृषक भी लाभ उठा सकेंगे । इस फ़सल का विपणन सहकारी ऋण समितियों द्वारा करना होगा और यह गोदाम में रखी जायेंगी । प्रस्थापना यह है कि अखिल भारतीय महत्व की मंडियों, राज्यों के महत्व की मंडियों तथा छोटे छोटे बाजारों में, जहां कृषक सामान्यतः अपना अनाज बेचते हैं, बहुत से गोदाम बनाये जायेंगे । इन गोदामों में कोई भी किसान अपना अनाज जमा कर के एक रसीद प्राप्त कर सकेगा । उसके बाद वह उसके आधार पर ऋण प्राप्त कर सकेगा । इस प्रकार मूल्यों सम्बन्धी जो प्रधान कठिनाई होती है वह नहीं हुआ करेगी ।

इम्पीरियल बैंक को अपने अधिकार में लेने तथा उस को भारत के राज्य बैंक में बदल देने के विनिश्चय की इस सभा में घोषणा की जा चुकी है । मैं आशा करता हूं कि इस के लिये अपेक्षित विधान इस सभा में पुरःस्थापित कर दिया जायेगा । सहकारी विपणन, परिष्करण तथा गोदाम व्यवस्था की जांच मेरे मंत्रालय में की जा रही है और हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में हम सम्पूर्ण तथा विस्तृत योजना सभा के सामने प्रस्तुत कर देंगे ।

खाद्यों के मूल्यों को सहारा देने के लिये तथा समय और स्थान की दृष्टि से मूल्यों की असमानताओं को ठीक करने के लिये हमने जो उपाय किये हैं उन में कुछ यह हैं । इन के अतिरिक्त, निर्दिष्ट बाजारों में हमने निम्नतम मूल्य पर कृषकों से प्रत्यक्ष रूप से क्रय करना आरम्भ कर दिया है ।

इस के लिये एक और ढंग हमने यह अपनाया है कि हम निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं । मूंगफली की फसल १९५२–५३ में चौपट हो गई थी इसलिये भाव बढ़ गये थे । जून, १९५३ में मूंगफली के निर्यात पर निषेध लगा दिया गया था जो लगभग एक वर्ष तक रहा । १९५३–५४ में फसल अच्छी हुई इसलिये निषेध हटा लिया गया । पहले भाव उतरने लगे थे परन्तु निर्यात की आज्ञा जारी होते ही फिर स्थिर हो गये । १९५५ में फसल के अच्छी होने की सम्भावना ह इसलिये मूल्यों में एक बार फिर उतार दिखाई पड़ने लगा है । हमने १,२४,००० टन मूंगफली का तेल, तथा २०,००० टन हाथ से चुनी हुई विशेष प्रकार की मूंगफली के निर्यात की आज्ञा जारी कर दी । निर्यात शुल्क भी ३५० रुपये से घटा कर १०० रुपये प्रति टन कर दिया है । पहले निर्यात का अभ्यंश केवल स्थापित निर्यातकों को ही दिया जाता था परन्तु अब की हमने मूंगफली का तेल निकालने वालों को भी वही सुविधायें दी हैं । हमने यह भी आज्ञा जारी कर दी है कि कुछ विशेष पत्तनों से ही नहीं वरन् प्रत्येक पत्तन से अभ्यंश का निर्यात किया जा सकेगा । इस का परिणाम यह हुआ है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में मूंगफली का मूल्य बहुत बढ़ गया । मार्च म मूंगफली का मूल्य ९२० रुपये प्रति

[श्री ए० पी० जैन]

टन हो गया जब कि जनवरी में प्रति मन ३० रुपये १० आने और फरवरी में ३४ रुपये १४ आने था ।

इसी प्रकार मैं दालों को लेता हूं । पिछले दस वर्षों में दालों का निर्यात नहीं किया गया था । जून १९५४ के अन्त में थोड़ा सा निर्यात हुआ था । उस के बाद हम ने १५,००० टन अभ्यंश (कोटे) के निर्यात की अनुमति दी और हाल ही में हम ने ५०,००० टन के निर्यात की अनुमति दी है । चने का निर्यात निर्बाध होता है । मुझे कुछ व्यापारियों से गैर-सरकारी तौर पर ज्ञात हुआ है कि वे विदेशी बाजारों में चने के निर्यात के लिये बातचीत चला रहे हैं । पिछले वर्षों में हम काफ़ी चना निर्यात करते थे और हमें आशा है कि इस वर्ष भी हम यथेष्ठ निर्यात कर सकेंगे ।

कण्ट्रोलों से हमारी निर्यात-नीति बहुत प्रभावित रही है । मैं ने विभिन्न वस्तुओं के प्रमुख व्यापारियों का एक शिष्ट मण्डल विदेशों में भेजने का निश्चय किया है । इस से वे विदेशी बाजारों से वह सम्पर्क पुनः स्थापित कर सकेंगे जो कंट्रोल के कारण टूट गया था ।

जहां तक देशी बाजार का प्रश्न है मैं एक समिति नियुक्त करना चाहता हूं जो विभिन्न कृषि सम्बन्धी उत्पादनों तथा अनाज के दामों के चढ़ाव उतार का अध्ययन करेगी ।

यह समिति खाद्यान्नों सम्बन्धी सभी समस्याओं का समाधान कर सकेगी ।

कृषक जितने अनाज की खपत करता है उसके मूल्य को कम करने का भी हम विचार कर रहे हैं । उसे किस प्रकार सस्ते दामों पर अनाज मिल सकता है इस में हम अभी तक सफल नहीं हुये हैं । केवल खाद के दाम कुछ सस्ते हुये हैं । मैंने अन्य मंत्रालयों से भी कृषकों को कम मूल्य पर अनाज देने के तरीकों के सम्बन्ध में परामर्श मांगा है ।

अनाज के इन गिरते हुये मूल्यों से मुझे वास्तव में चिन्ता हो रही है । हम रुई के मूल्य के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान दे रहे हैं । एक गांठ का मूल्य ४९५ रुपये है ।

छोटी पूनी की रुई के निर्यात को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और अधिक कोटा निर्यात किये जाने की आशा है । इन गिरते हुये मूल्यों को रोकने के लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करें जिससे कि हमें लाभ हो सके ।

अन्त में मुझे यही कहना है कि हमारी खाद्य स्थिति बहुत अच्छी है । मोटे अनाज का आयात हम ने बहुत समय पहले ही रोक दिया था । हम चावल का आयात करना भी नहीं चाहते हैं । पूर्व निश्चयों के अनुसार हम थोड़ा सा गेहूं अवश्य मंगा रहे हैं और संयुक्त राज्य के सहायता-कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें कुछ गेहूं मिलता है ।

इस प्रकार आयात किये गये गेहूं से हमारी खाद्य स्थिति और भी दृढ़ हो जायगी ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : इस गेहूं के दाम क्या होंगे ?

श्री ए० पी० जैन: इस विषय में बातचीत चल रही है और गेहूं खरीदना सरकार के सहायता कार्यक्रम का अंग है । यह गेहूं बाजार में बेचने के लिये नहीं होगा बल्कि स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये होगा । अमरीका में जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन है उस से हम लाभ उठाते हैं और अपनी

विकास योजना का प्रबन्ध करते हैं अतः खाद्यान्नों के मूल्यों में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे स्थायी परिवर्तन नहीं हैं । जब लोगों के पास धन अधिक होगा और स्थिति साधारण हो जायगी तब ये सब कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : कृषि सम्बन्धी मूल्यों में स्थायित्व लाने के लिये योजना आयोग ने एक समिति नाने को कहा था । क्या वह बना ली गई है ?

श्री ए० पी० जैन : सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । योजना आयोग ने उसे अव्यवहारिक समझ कर रद्द कर दिया है ।

सरदार लाल सिंह (फ़िरोज़पुर---लुधियना) : क्या गेहूं के आयात से 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री ए० पी० जैन : जहां तक गेहूं के आयात का प्रश्न है हम अपने पूर्व वायदों के अनुसार उसे अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिये मंगा रहे हैं । उससे कोई हानि नहीं होगी ।

सभापति महोदय : अब हम मांगों को लेते हैं ।

सभापति महोदय द्वारा समस्त कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये ग तथा अस्वीकृत हुये ।

सभापति महोदय द्वारा मांग संख्या ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, १२१, १२२ और १२३ मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

[अनुदानों की जो मांगें लोक-सभा द्वारा स्वीकृत की गईं वे नीचे दी जाती हैं---**सम्पादक, संसदीय प्रकाशन**]

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपय
४१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . .	५७,७४,००० ,,
४२	वन	८७,९४,००० ,,
४३	कृषि	१३,४९,२०,००० ,,
४४	असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . .	७१,५६,००० ,,
४५	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ।	५ २५,८९,००० ,,
१२१	वनों पर पूंजी व्यय	४०,३१,००० ,,
१२२	खाद्यान्नों का क्रय	७७,१३,००,००० ,,
१२३	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	६९,४०,६१,००० ,,

सभापति महोदय : अब रक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। इस के लिये आठ घंटे निश्चित किये गये हैं। कटौती प्रस्तावकों को पन्द्रह मिनिट और दल के नेताओं को यथावश्यक बीस मिनिट दिये जायेंगे।

इसके पश्चात् सभापति महोदय द्वारा रक्षा मंत्रालय की ये मांगें प्रस्तुत की गईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
११	रक्षा मंत्रालय . .	२८ १८,००० ,,
१२	रक्षा सवायें--क्रियाकारी—सेना .	१,४२,८९,१७,००० ,,
१३	रक्षा सवायें—क्रियाकारी—नौसेना.	११,६६,४०,००० ,,
१४	रक्षा सवाय--क्रियाकारी--वायु बल	३२,५२,७२,००० ,,
१५	रक्षा सवायें—अक्रियाकारी—व्यय	१४,९७,७९,००० ,,
१११	रक्षा पूजी व्यय.	२२,५८,६७,००० ,,

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या ५८५ से ५९६ तक हैं। मुझे सर्व प्रथम तो यह कहना है कि आज के अणु युग में केवल पुराने हथियारों से काम नहीं चल सकता है। हमें युद्ध से बचे रहने की अत्यन्त आवश्यकता है।

सरकार ने प्रादेशिक सेना बनाई है यह एक प्रशंसनीय कार्य अवश्य है किन्तु विधेयक द्वारा स्वीकृत उस की पूरी शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिये। उस में सैनिकों की संख्या में वृद्धि किये जाने की जरूरत है क्योंकि हमारा देश एक विशाल देश है।

हम प्रधान मंत्री के बहुत आभारी हैं जिन्होंने प्रादेशिक सेना परामर्शदात्री समिति का सभापति बन कर हमारा बहुत हित किया है। सरकार एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना भी बनाना चाहती है किन्तु उस में असैनिक संस्थाओं का पूर्ण सहयोग होना चाहिये। स्काउट एसोसियेशन, नेशनल राइफ़ल एसोसियेशन आदि संस्थायें इस कार्य में सहायक सिद्ध होंगी। दूसरी बात यह है कि सैनिक शिक्षा केवल एक या दो महीने तक देने से ही काम नहीं चलेगा। उस के लिये लम्बी अवधि होनी चाहिये।

प्रादेशिक निदेशालय के लिये ३५ लाख रुपये का उपबन्ध है किन्तु मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध और अधिक होना चाहिये। सारे देश में असैनिक रक्षा संगठन का जाल बिछा दिया जाना चाहिये। असैनिक संगठन पर केवल एक लाख रुपये व्यय करने से काम नहीं चलेगा। अब तो प्रादेशिक सेना निदेशालय में बड़े योग्य व्यक्ति काम कर रहे हैं और यदि उन्हें अधिक सहायता दी जाय तो देश का अधिक कल्याण हो सकता है।

हमारे देश में प्रायः यह समझा जाता है कि असैनिक रक्षा संगठन का कार्य सेना के कर्मचारियों को सौंपा जाना चाहिये, किन्तु यह एक भ्रांति है। ब्रिटेन में असैनिक रक्षा संगठन का प्रबन्ध असैनिक कर्मचारी ही करते हैं। वहां इस के अध्यक्ष लार्ड हाल्डेन हैं जो पहले एक वकील थे। हमारे यहां भी सौभाग्य से डाक्टर काटजू रक्षा मंत्री हैं और मुझे आशा है कि वह इस बात की ओर ध्यान देंगे।

इस के अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विज्ञान संगठन की संस्थापना करके एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। आज के वैज्ञानिक युग में इस की बड़ी आवश्यकता है। किन्तु केवल ५० व्यक्तियों से काम नहीं चलेगा। हमें ज्ञात हुआ है कि उस के लिये १५० व्यक्तियों का उपबन्ध किया गया है और इस वर्ष उस के लिये ११.०२ लाख रुपये की अनुमति दी गई है। यदि ऐसा है तो हमें आशा है कि इस उपबन्ध का निःसन्देह सदुपयोग किया जायगा।

रक्षा सेवा संगठन, का थोड़ा बहुत सम्बन्ध प्रविधिक संस्थापन से भी है। परन्तु मेरे विचार से इन दोनों में और अधिक सहयोजन होना चाहिये क्योंकि प्रविधिक विकास संस्थापन, हमारे उत्पाद के विकास तथा निरीक्षण से सम्बन्धित है।

मेरा एक और भी सुझाव है कि हमारे वैज्ञानिकों के साथ, सनिक पदाधिकारियों के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिये। हमारे वैज्ञानिकों का वेतन सैनिक पदाधिकारियों की तुलना में बहुत कम है। सुविधायें सैनिक पदाधिकारियों को अधिक दी जाती हैं। एक लैफ्टिनेन्ट को पहले दर्जे का रेलवे पास दिया जाता है जब कि उसी स्तर का वैज्ञानिक, जब तक कि उसका वेतन ८०० रुपये न हो, दूसरे दर्जे के पास का ही अधिकारी है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो हमारे वैज्ञानिक और अधिक उत्साह से कार्य करेंगे। मेरा विचार तीनों रक्षा सेवाओं के महत्त्व को कम करना नहीं है क्योंकि उनका अपना पुरातन गौरव है, परन्तु मैं उनसे अपील करूंगा कि वर्तमान स्थिति पर विचार करके, रक्षा संगठन की विज्ञान शाखा को भी उतना ही महत्त्व प्रदान करें जिससे कि वैज्ञानिक गवेषणा कार्य सुचारु रूप से चल सके।

दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय यह है कि रक्षा सेवाओं को विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों में भी समान रूप से भाग लेना चाहिये। इसलिये मैं रक्षा मंत्री तथा रक्षा संगठन मंत्री से आशा करता हूं कि वे रक्षा मंत्रालय की अन्य मंत्रालयों से समन्वय करने की ओर ध्यान दें तथा देश में हो रहे राष्ट्र निर्माण कामों पर भी ध्यान दें।

हमारे देश में लगभग २० युद्धास्त्र कारखाने हैं। हमें बताया गया है कि इन कारखानों में अधिकतम उत्पादन हो रहा है परन्तु मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। पिछले वर्ष श्री त्यागी जी ने बताया था कि .२२ राइफलें पुलिस चौकियों को दे दी जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति राइफ़ल चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है तथा एक कारतूस का मूल्य केवल एक आना होगा क्योंकि विदेशों से आयात किये गये भांडार में अतिरेक हो गया था। इस पर ६४ प्रतिशत सीमा शुल्क लगा, २२ प्रतिशत यातायात में व्यय हुआ और तो भी विक्रय केवल ६ रुपये ४ आने प्रति सौ कारतूस किया गया। परन्तु हमारे युद्धास्त्र कारखानों में बनाये गये कारतूसों का मूल्य १६ रुपये ८ आने प्रति सौ है जब कि इस पर यातायात तथा सीमा शुल्क आदि भी नहीं लगता है। मैं माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में कई बार लिख चुका हूं कि इन युद्धास्त्र कारखानों का उत्पादन

[श्री यू० सी० पटनायक]

किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है । और इनमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है । माननीय मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से मुझ से बातें करेंगे । मुझे पूर्ण आशा है कि मैं उन्हें यह विश्वास दिला दूंगा कि इन कारखानों में बहुत से सुधार किये जा सकते हैं । सरदार बलदेव सिंह समिति के प्रतिवेदन को गुप्त रखा गया है । उपरि व्यय क्यों अधिक होता है तथा इन युद्धास्त्र कारखानों के उत्पादन को किस प्रकार नियंत्रित रखा जाता है इस के सम्बन्ध में एक या दो उदारहण देता हूं । एक सिंचाई सुपरिन्टेण्डिंग असैनिक इंजीनियर इस विशाल संगठन के अध्यक्ष हैं । हम उनकी अर्हता जानना चाहते हैं कि एक सिंचाई इंजीनियर को किन विशेष अर्हताओं के कारण, ब्रिटिश पदाधिकारियों से बड़ी पदवी दी गई है । कुछ ब्रिटिश अधिकारियों में से कुछ पाकिस्तान चले गये हैं । युद्धास्त्र कारखानों के वरिष्ठतम भारतीय पदाधिकारी को सेवा-निवृत्त कर दिया गया है अथवा अवधि से पूर्व ही सेवा से अलग कर दिया गया है । एक अनुभवी भारतीय पदाधिकारी को इस प्रकार निकाला जाता है जब कि उन विदेशियों की सेवा अवधियां बढ़ाई जाती हैं जो यहां से निवृत्त हो कर अन्य देशों में सेवा करने के इच्छुक हैं ।

इसी प्रकार प्रविधिक विभाग में भी एक पदाधिकारी को, जिसने विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, एक वर्ष पूर्व निकाल दिया गया था । मैं अधिक ब्यौरे में जाना नहीं चाहता हूं । क्योंकि मुझे माननीय मंत्री से चर्चा का समय मिल चुका है ।

कई शस्त्रास्त्र भांडारों में बहुत सा शस्त्रास्त्र का सामान बन्द ही पड़ा है तथा उत्पादन बढ़ाया जा रहा है तथा अन्य वस्तुओं का क्रय किया जा रहा है । प्रश्न यही है कि जब हज़ारों कारखाने बन्द पड़े हैं तब करोड़ों रुपये का शस्त्रास्त्र क्यों मंगाया जाता है । इन पेटियों में बन्द शस्त्रास्त्रों का पुस्त-मूल्य ६१९ करोड़ रुपये है तथा ठीक मूल्य इससे दुगना है । ये बड़ी ही क़ीमती सामग्री है परन्तु दुर्भाग्यवश यह बेकार पड़ी है प्रायः इन को उत्सर्जन के योग्य घोषित कर दिया जाता है । इस प्रकार बिना किसी उपयुक्त योजना के हम आर्डर भेजते हैं । इसीलिये मेरा सुझाव है कि इन शस्त्रास्त्र कारखानों का समन्वय हो जाना चाहिये जिससे कि इनका उत्पादन भांडार व्यवस्था तथा उत्पादन का वितरण ठीक प्रकार से हो सके और हज़ारों करोड़ों रुपये के क़ीमती सामान को राष्ट्रीय हित के काम में लाया जा सके ।

युद्ध काल में शस्त्रास्त्र डिपो में १,२०० असैनिक पदाधिकारी थे, परन्तु इस समय उन की संख्या केवल ४०० है । इन ४०० में से तीन सौ की, १०-१५ वर्ष का अनुभव होने पर भी, सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है । केवल १०४ अथवा १०६ व्यक्ति स्थायी हैं । यही दशा अघोषित कर्मचारियों की भी है ।

इसलिये सभी का परस्पर समन्वय किया जाना चाहिये जिससे कि किसी भी सामग्री को अतिरेक घोषित करने से पूर्व सभी विभागों को उसकी जांच का अवसर मिल सके । मैं ने एक डिपो विशेष में ऐसी वस्तुयें देखी हैं जो नौसेना तथा वायुसेना के लिये उपयोगी थीं परन्तु वहां बेकार पड़ी थीं । आप इनका समन्वय भी नहीं करना चाहते हैं और न वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा इनकी जांच ही कराना चाहते हैं ।

मुझे प्रसन्नता है रक्षा मंत्रालय का प्रतिवेदन इस वर्ष गुप्त नहीं रखा गया है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि ब्रिटेन में जहां तक व्यय का सम्बन्ध है तीनों सेवायें

अपना अलग अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। में नहीं समझ सका कि सभी बातों को अन्य विभागों से गुप्त क्यों रखा जाता है। योजना विभाग में रक्षा योजना का सहयोजन क्यों नहीं हो सकता है ? अध्यापकों तथा फिजिकल ट्रेनिंग निर्देशकों का शिक्षा विभाग से समन्वय क्यों नहीं हो सकता है ? अणु शक्ति को प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा से क्यों समन्वित नहीं किया जा सकता है ? इसी प्रकार सभी विभागों में कुछ न कुछ समन्वय किया जा सकता है और इस के द्वारा राष्ट्र का जीवन ही बदला जा सकता है।

डा० एस० एन० सिन्हा (सारन--पूर्व) : रक्षा मंत्रालय के कार्यों के संक्षिप्त विवरण से लगभग सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ है। इस पर पूर्णतया विचार करने पर ज्ञात होता है कि हमारी सेनाओं ने बड़ी प्रगति की है। मैं छोटे छोटे विषयों पर कुछ न कह कर महत्वपूर्ण विषयों, जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना का निर्माण, रक्षा अकादमी का खडकवसला में खोला जाना, रक्षा उद्योगों का विकास, प्रयोग शालाओं का सफल संचालन, वायु सेना तथा नौ सेना का विकास, इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा।

सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा आय व्ययक में कुछ भी बढ़ोतरी किये बिना ही यह प्रगति की गई है। रक्षा व्यय में ६ करोड रुपये की बचत हुई है। यदि चार प्रतिशत के अन्तर पर गणना की जाये तो मूलधन लगभग १५० अथवा १६० करोड़ रुपये होता है। अग्रेतर जांच करने के पश्चात् मुझे ज्ञात हुआ कि यह बचत आवर्त्तक व्यय में हुई है और प्रारम्भिक व्यय में भी लगभग चार करोड़ रुपये की बचत हुई है। सशस्त्र बलों की कार्यपटुता में किसी प्रकार की शिथिलता आये बिना इतनी बचत करना सचमुच में एक सराहनीय कार्य है तथा इसका श्रेय हमारे रक्षा संगठन मंत्री श्री त्यागी को जाता है।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : इस बचत का सम्पूर्ण श्रेय मुझी को नहीं है। यह श्रेय मेरे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तथा सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं के मेरे अन्य साथियों तथा पदाधिकारियों को भी है।

डा० एस० एन० सिन्हा : मैं भी यही कहने जा रहा था कि इसका श्रेय पदाधिकारियों आदि को भी है तथा संभव है कि उनकी पदोन्नति कर दी जायेगी।

यदि देश की विशालता तथा रक्षा सेवाओं को सौपें गये उत्तरदायित्व के आधार पर रक्षा मंत्रालय को दी जाने वाली धनराशि का विचार किया जाये तो यह धनराशि, हमको बहुत कम प्रतीत होगी। परन्तु फिर भी कुछ व्यक्ति इससे बिल्कुल विपरीत विचारों का प्रतिपादन करते हैं। उनका कहना है कि हमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। परन्तु उनका यह तर्क दो आधारों पर व्यर्थ सिद्ध होता है। पहला यह है कि सुदृढ़ सशस्त्र सेना होने से कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता है और इससे राष्ट्र की सुरक्षा होगी। दूसरे सशस्त्र सेवायें देश के वातावरण तथा देश को इस प्रकार का बनाये रखती हैं जिससे कि युद्ध का भय नहीं रहता है।

सच तो यह है कि शांति काल में सशस्त्र सेवायें अनुशासनपूर्वक राष्ट्रीय जीवन व्यतीत करती हैं। यह केवल इस कारण सम्भव होता है क्योंकि उनको लगातार प्रशिक्षण दिया जाता रहता है।

श्री यू० सी० पटनायक ने बताया कि असैनिक संस्थाओं को भी रक्षा सम्बन्धी

[डा० एस० एन० सिन्हा]

विषयों में परामर्श देना चाहिये । परन्तु मेरे विचार से उनका मार्ग बदलना ठीक नहीं होगा । पिछले वर्ष भी चीन के उदाहरण दिये गये थे । चीन में तीन से पांच लाख तक सैनिक हैं । परन्तु रक्षा का अर्थ केवल जन शक्ति ही नहीं है, उसमें औद्योगिक संसाधनों तथा शस्त्रास्त्रों के भी प्रश्न सन्निहित हैं । मुझे सन्देह है कि चीन तीन से पांच लाख सैनिकों को नवीनतम राइफ़लें दे सकेगा । इतनी बड़ी सेना के लिये इतना उपबन्ध जुटाना उस के लिये असम्भव है । तुलना करना सदैव ही ठीक नहीं होता है परन्तु फिर भी, हम कह सकते हैं कि हमारा सामान्य सैनिक एशिया के किसी भी देश के सैनिक से युद्धकला में निपुण है ।

अब मैं युद्ध के कुछ नवीन शस्त्रास्त्रों के सम्बन्ध में कहूंगा । यह सच है कि हम बड़ी सैनिक शक्तियों की बराबरी नहीं कर सकते हैं तथा हम बराबरी करना चाहते भी नहीं हैं । क्योंकि हमारी समस्यायें भिन्न हैं । जब तक देश की सुरक्षा का सम्बन्ध है और अपनी स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता बनाये रखने का प्रश्न है हमारा वर्तमान रक्षा संस्थापन बहुत अच्छा है । उसमें केवल कुछ सुधारों की आवश्यकता है ।

अणु बमों, नये शस्त्रास्त्रों आदि के सम्बन्ध में सभी चर्चा करते हैं । कैप्टन लिडल हार्ट जैसे एक विशेषज्ञ का कथन है कि उसके पिछले ४० वर्षों के अनुभव अब व्यर्थ हो गये हैं । अमरीका तथा ब्रिटेन, जैसे बड़े राष्ट्रों का भी यही मत है कि पुरातन हथियारों तथा पुरानी चालों से कुछ नहीं किया जा सकता है । जहां तक नये शस्त्रास्त्रों का सम्बन्ध है, यूरोप के देशों की तुलना में हमारा देश शीघ्र नहीं जीता जा सकता है । ब्रिटेन के लिये केवल छः अणु बम अथवा उद्जन म पर्याप्त होंगे जब कि हमारे देश के लिये सौ बमों की आवश्यकता होगी । कुछ मास पूर्व यह प्रश्न उपस्थित हो चुका है कि एशिया के देशों को इन बमों द्वारा नहीं हराया जा सकता है । तथा इसीलिये हम पर कोई हमला भी नहीं कर सकता है ।

इन विचारों के आधार पर हमें अपने पुरातन शस्त्रास्त्र, जैसे सुन्दर वायु सेना, कार्यपटु नौ सेना तथा सुदृढ़ तोपखाना पर निर्भर रहना चाहिये । पिछले कुछ वर्षों में हमारे उद्योगों में बढ़ोतरी हुई है । इसलिये विदेशों से वायुयान तथा टैंक न खरीद कर हम अपने देश में, अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार इनका निर्माण कर सकते हैं ।

मैं एक उदाहरण देता हूं । जब जर्मनी टैंक नहीं बना सका तो उसने अन्य देशों में प्रयोग किये । उसके पदाधिकारी वहां गये तथा उस समय मैं उनका दुभाषिया था । सैन्टूरियन टैंक बड़ा भारी होता है तथा हमारे देश के पुलों पर होकर उसे नहीं ले जाया जा सकता है । उसका मूल्य लगभग १० लाख रुपये होता है । इसलिये हमें इसके स्थान पर दूसरे प्रकार के टैंक बनाने चाहिये जो हमारी वर्तमान दशाओं के अनुसार हों । अभी तक ब्रिटेन द्वारा बनाये गये टैंकों की ओर ही हमारा ध्यान गया है । परन्तु हमें दूसरे देशों की ओर भी ध्यान रखना चाहिये । किसी भी देश का विचार पहले के समान इस समय भारी टैंकों के निर्माण की ओर नहीं है । उसी धन राशि में अब वे २० अथवा ३० अथवा ५० टैंक बनाते हैं । हम उस प्रकार का ईंजन बना कर, अपनी देश की दशा के अनुसार उसका ढांचा बना सकते हैं । टैंकों के आधुनिकीकरण का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है । यदि रक्षा मंत्री अथवा उनक कोई

सलाहकार विदेशों में जाकर इस समस्या का अध्ययन करें तो मेरे विचार से अधिक उपयुक्त होगा । चूंकि यह ऐसा कठिन समय है जब कि सारी दुनिया में ऐसी गाड़ियों और शस्त्रास्त्रों का विकास हो रहा है, इसलिये हमें बहुत अधिक लाभ होगा । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि कम से कम एशियाई क्षेत्र में ये हथियार निर्णयात्मक होंगे ।

जहां तक सैनिक प्रशिक्षण और कर्मचारी वर्ग का सम्बन्ध है मुझे अपनी सेना पर अभिमान है । हमारे सैनिक संसार के किसी भी देश के सैनिकों से युद्धकला में अथवा अन्य गुणों में किसी प्रकार भी कम नहीं हैं । यदि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय तो वे उनसे भी श्रेष्ठ सिद्ध होंगे । संसार भर में हमारे सैनिकों के लिये बड़ा सम्मान है । हमारे गुरखा सैनिक संसार भर में कहीं भी नज़दीकी लड़ाई में सर्वोत्कृष्ट हैं ।

अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल बनने जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि हमारे सैनिक पदाधिकारियों न केवल हमारे नागरिकों को ठोस सैनिक प्रशिक्षण ही देंगे बल्कि उन्हें अच्छे नागरिक भी बनायेंगे ।

यहां मैं एक बात और यह कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बारे में सम्मिलित अन्तर्सेवा इतिहास विभाग द्वारा ब्रह्मा से वापसी, चिकित्सा सेवा प्रशासन, अराकान युद्ध आदि के विषय में २६ खंड तैयार किये जा रहे हैं । इस बारे में मुझे यह कहना है कि आज के दृष्टिकोण से वे कदाचित इतने महत्वपूर्ण न हों किन्तु इन ऐतिहासिक प्रतिवेदनों से ब्रिटिश पदाधिकारियों का सारा चित्र प्रत्यक्ष हो जायेगा ।

हमें यह देखना है कि काश्मीर में क्या हुआ । वहां हमने ऐसे अनेक काम किये हैं जिनको बाहरी देश नहीं जानते उदाहरणार्थ ज़ोजीला मोर्चे पर जनरल थिमैय्या इतनी ऊंचाई तक टैंक ले गये हैं जहां पहले वे कभी नहीं ले जाये गये थे । सेना विज्ञान और सेना-कौशल की दृष्टि से यह बहुत महत्व की बात है और इस प्रकार जनरल थिमैय्या ने हमारी सेना के गौरव में और सेना विज्ञान में वृद्धि की है । हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे देश में अनेक ऐसे थिमय्या हों जो विदेशी जनरलों से अधिक अच्छा काम कर सकें । अतः इन बातों का अवश्य संग्रह किया जाना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि यह सैनिक इतिहास उचित प्रकार से पढ़ाया जायगा ।

मेरा अन्तिम कथन यह है कि हमारे सशस्त्र बलों के वर्तमान पदाधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में हमने एक बहुत अच्छा हथियार निकाला है जिस पर देश की सुरक्षा के लिये हम निर्भर रह सकते हैं । हमारे रक्षा मंत्रालय का इतिहास एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है और वह देश के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है । अब समय आ गया है जब कि हम पूरे विश्वास के साथ "भारत की जन सेना" को सफलता के साथ आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहन दे सकते हैं ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक मध्य) : मैं रक्षा विभाग के कार्यों के बारे में संक्षेप में अपने दृष्टिकोण सभा के समक्ष रखना चाहता हूं । राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भवन निर्माण के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उसे देख कर मुझे हर्ष होता है । भारत सरकार के रक्षा विभाग से मेरी प्रार्थना है कि वह अपनी मूल प्रस्थापना पर क़ायम रहें और इस बात की ओर ध्यान दें कि वहां सैनिक छात्रों को तीनों शाखाओं में, अर्थात् सेना, नौ सेना और वायु बल का प्रशिक्षण दिया जाये ।

[श्री जी० एच० देशपांडे]

मुझे यह देख कर भी प्रसन्नता होती है कि राष्ट्रीय छात्र सैनिक दलों के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है । छात्र सैनिकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है और उन्होंने विकास शाखाओं में असैनिक कार्य भी किया है । अभी कुछ महीने पूर्व घोटी नामक महत्वपूर्ण ग्रामीण केन्द्र में बम्बई विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल के एक यूनिट ने बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य किया है । सारे तालुका में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और उस से सामाजिक कार्य की स्थानीय योजनाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला है । दूसरे क्षेत्रों में भी की जा रही कार्य-वाहियों का काफी विस्तार हुआ है और हमारी सेना में सर्वांगीण सुधार हो रहा है ।

अब मैं सभा के समक्ष दूसरा चित्र भी रखना चाहता हूं । देवलाली नामक एक बड़ सैनिक केन्द्र में एक तोपखाना स्कूल है जिसके लिये २६,००० एकड़ भूमि ली गयी है । वह ज़मीन १९४२ में या उसके एक वर्ष पूर्व अधिग्रहीत की गयी थी । एक या दो वर्ष तक उस ज़मीन का किराया भी दिया गया । तब अर्जन-कार्यवाहियां प्रारम्भ हुईं और रक्षा विभाग ने उन लोगों को किराया देना बन्द कर दिया । वह ज़मीन अब सेना के क़ब्ज़े में है । वर्षों तक हम रक्षा विभाग से भुगतान करने के लिये कहते रहे और मुझे यह कहते खेद होता है कि आज तक लोगों को पूरा प्रतिकर नहीं दिया गया है यद्यपि प्रतिकर का कुछ भाग कुछ लोगों को दे दिया गया है । मुझे इस बात की शिक़ायत नहीं है कि जमीनें ले ली गयी हैं किन्तु आप उन लोगों की दयनीय स्थिति पर विचार करें जिनकी जीविका का एकमात्र आधार वह ज़मीनें थीं और जिन्हें आज न कोई किराया मिलता है और न कोई मूल्य या कोई प्रतिकर ही मिला है ।

मैं रक्षा मंत्रालय के माननीय मंत्रियों को समझाना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी शिकायत है । यह १७ गांवों का और ५,००० परिवारों का प्रश्न है और २६,००० एकड़ भूमि के लिये प्रतिकर दिया जाना है । यह केवल प्रतिकर देने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें अन्यत्र कही पुनर्वासित होन में सहायता दे । मैं रक्षा विभाग से आग्रह करूंगा कि इस विषय में दक्षिणी कमान के एक सैनिक पदाधिकारी पर जो गम्भीर आरोप लगाये गये हैं उनके बारे में जांच की जाय । मुझे विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि इस अप्रिय विषय को शीघ्र समाप्त कर दिया जायगा, लोगों को तुरन्त पूरा पूरा प्रतिकर दिया जायगा और उनके भावी पुनर्वास में उन्हें सहायता दी जायगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : गत वर्ष हमने रक्षा-आय व्ययक की चर्चा पाकिस्तान-अमरीकी समझौते के आधार पर की थी, आज भी स्थिति में कुछ अधिक सुधार नहीं हुआ है क्योंकि आज एशिया युद्ध-कुचक्र का केन्द्र बन गया है जिसके परिणामस्वरूप फारमोसा समुद्र में खलबली मची हुई है । अभी हाल में बैंकाक में सीडो को अन्तिम रूप दिया गया है जहां यह स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि सिंगापुर बड़े बड़े सैनिक केन्द्रीकरणों का अड्डा बनेगा और आस्ट्रेलिया ब्रिटेन को सहायता देगा और श्री डलैस ने उन्हें प्रत्येक सहायता देने का वचन दिया है । इस पार्श्वभूमि में हमें रक्षा आयव्ययक पर विचार करना होगा ।

यह ठीक है कि पाकिस्तान-अमरीकी समझौते और काश्मीर की घटनाओं से इस बात की जानकारी बढ़ती जा रही है कि अमरीका पर निर्भर रहने के विषय में हमें

बहुत सतर्क और सावधान होना चाहिये आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुये यह आवश्यक है कि रक्षा का हमारा प्रतिरूप, जो मुख्यतः ब्रिटिश प्रतिरूप है और जो ब्रिटेन से प्राप्त होने वाली शिल्पिक सहायता पर निर्भर है, कुछ विभिन्न प्रकार का होना चाहिये । अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ नीतियां निर्धारित करने के साथ साथ इस पर भी विचार करना आवश्यक है कि उस प्रतिरूप में हम कहां तक, और किस प्रकार और किस गति से परिवर्तन करेंगे । अतः सब से आवश्यक बात यह है कि उसके प्रति हमारी सम्पूर्ण विचारधारा और दृष्टिकोण में ही परिवर्तन होना चाहिये ।

मैं ने रक्षा आय व्ययक सम्बन्धी अपन पहले भाषण में विदेशी सलाहकार और कर्मचारी वर्ग रखने की बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया था और सरकार को उसके बारे में चेतावानी दी थी । सरकार ने उस कथन की सत्यता का अनुभव किया है किन्तु आज भी उनकी संख्या कम नहीं है ।

पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था में यह आवश्यक है कि जानकार शिल्पिक कर्मचारी वर्ग हो किन्तु यह सभा और यह मंत्रालय इस बात का पुनर्विलोकन करें कि जो विशेषज्ञ हमें मिल रहे हैं वे हमारे रक्षा-उद्योगों को आगे बढ़ाने में वास्तव में कहां तक सहायता दे रहे हैं और उनके द्वारा दिये गये प्रशिक्षण से हमारे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कहां तक ज्ञान प्राप्त हुआ है जिससे कि वे धीरे धीरे रक्षा का अपना एक स्वतन्त्र ढंग निश्चित कर सकें और उसे विकसित कर सकें ।

गत वर्ष मैं ने कहा था कि हमें इस बात का भी अध्ययन करना चाहिये कि चीन में एक सब से अधिक शक्तिशाली और विकसित देश से किस प्रकार युद्ध किया जा रहा है और उत्तरी कोरिया इस बात के अनपेक्ष भी कि वह एक बहुत पिछड़ा देश है, क्यों सफल हुआ है । यदि उनके पास जनशक्ति है तो हमारे पास भी जनशक्ति है । मैं नहीं जानती कि उनके पास क्या क्या चीजें हैं इसकी जानकारी हमें दी जायगी अथवा नहीं । रक्षा के इन जैसे मामलों में लोग दूसरे देशों को यह जानकारी नहीं देते हैं कि उनके पास क्या क्या चीजें हैं । फिर भी हम उनके अनुभव को अपनी वर्तमान दशाओं में बुद्धिमानी पूर्वक क्यों न लागू करें और पिछले देश के उपयुक्त एक ढंग विशेष को विकसित क्यों न करे? यह एक ऐसी बात है जिस पर विचार किया जाना चाहिय प्रधान मंत्री ने कई बार यह कहा है कि नवीनतम शस्त्रों पर निर्भर रहने से कोई लाभ नहीं होगा और यदि हम उन पर ही धन खर्च करते चले जायें तो बहुत शीघ्र ही हमें यह प्रतीत होगा कि वे सभी हथियार पुराने हो गये हैं और तब हम इस स्थिति में नहीं होंगे कि अधिक धन खर्च कर सकें और यदि हमारे पास और अधिक धन व्यय करने को न हुआ तो हमारे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा । अतः इस पार्श्वभूमि में हमें सम्पूर्ण विषय पर चर्चा करनी होगी ।

१९५४-५५ में ३१ जनवरी, १९५५ तक ३३ सेना पदाधिकारी, २२ नौसेना पदाधिकारी और ५७ वायू बल पदाधिकारी १० सेना कनिष्ट कमीशन प्राप्त पदाधिकारी, ९ नौसैनिक छात्र, ७० खलासी और २४ वायुसैनिकों को प्रशिक्षण के लिये ब्रिटेन, अमरीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा भेजा गया । विभाजन के बाद ब्रिटेन में कुल १६१ नौसैनिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है । किन्तु अब भी नौसेना में ३३ ब्रिटिश पदाधिकारी हैं और उनके स्थान पर भारतीय कर्मचारियों को रखना है ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

अब इसके अतिरिक्त हम यह भी देखें कि ये विदेशी विशेषज्ञ कहां तक हमें सहायता दे सकते हैं। मैं चाहती हूं कि मंत्रालय इसका उत्तर दे। मैं चाहती हूं कि मंत्रालय इस बात को समझे कि यह हमारे लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हम यथा सम्भव शीघ्र स्वयं ही अपने वायुयान और अपने शिल्पिक कर्मचारी तैयार करें। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहती हूं कि राइफ़लें, कारतूस और हथगोलों को छोड़ कर अन्य कोई विशेष उल्लेखनीय चीज़ें भारत में नहीं बनायी गयी हैं। कानपुर के शस्त्रास्त्र कारखाने में ब्रेन गनें बनयी जाती हैं। मैं चाहती हूं कि मंत्रालय हमें यह बताय कि उसके आवश्यक भागों में से कितने भाग आयात किये जाते हैं और जिन को जोड़ कर ब्रेन गनें बनाई जाती हैं और कितने वास्तव में यहां तैयार किये जाते हैं। सभा के लिये यहां दिलचस्पी का विषय होगा। वास्तव में, १९५१ से, उन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है अथवा वह उसी स्तर पर है? हमें बताया गया है कि करीब करीब सभी रूपरेखायें ब्रिटेन से तैयार हो कर आती हैं।

आयुध कारखानों में अब भी ४५ ग़ैर-भारतीय हैं। उदाहरणार्थ, खमरिया और अंबरनथ में स्विस विशेषज्ञ हैं। वे कौनसी विशिष्ट वस्तुयें तैयार करते हैं? क्या यह तथ्य नहीं है कि एक स्विस संस्था को, बावजूद इसके कि उसने अपना ठेका पूरा नहीं किया था, एक बहुत बड़ी रक़म दी गयी थी? इन विदेशी विशषज्ञों का इस देश में कोई हित नहीं होना है और इसी कारण हमारी यह धारणा है कि यह बहुत आवश्यक और वांछित है कि उनके स्थान पर कार्यक्षम भारतीय इन्जीनियर और वैज्ञानिक रखे जायें।

गत वर्ष श्री त्यागी ने हमें बताया था कि विशाखापटनम् के जहाज़-कारखाने को कुछ जहाज़ों के लिये आर्डर दिया गया था। अतः हम जानना चाहते हैं कि क्या वे समुद्री जहाज़ हमें प्राप्त हुये हैं?

जहां तक मुझे पता है, हिन्दुस्तान शिपयार्ड में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों की अर्हतायें भी पूरी नहीं हैं, तीन-चार महीनों के बाद उनको बदल दिया जाता है और ठेके की शर्तें भी बदली जाती हैं। मैं मंत्रालय से इसका जवाब जानना चाहती हूं। रक्षा उद्योग का विकास एक महत्वपूर्ण बात है। औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में यदि हम आयव्ययक देखें, तो हमें पता लगेगा कि १९५३-५४ में इस मद में १२ लाख रुपया व्यय किया गया था, ५४-५५ में १.२५ करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है। संशोधित अनुमान ७५ लाख रुपये था। यह लगातार गिरावट क्यों हो रही है? विकास की इस अवस्था में जब कि देश में अधिकाधिक औद्योगिक विकास होना चाहिये, प्रति वर्ष क्यों गिरावट होती जा रही है?

अब हम युद्धास्त्र कारखानों के मामले को लेंग। एक पुनर्संगठन समिति बनाई गई थी। श्री यू० सी० पटनायक ने बताया कि समिति के प्रतिवेदन को गुप्त रखा गया है। मैं यह नहीं जानती कि इन कारखानों में किस प्रकार का सामान बनाये जाने की सिफारिश समिति ने की है। पर मैं समिति का प्रतिवेदन देखना चाहती हूं कि उसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं। जहां तक मुझे पता है, समिति ने उद्योगों के विकास की सिफारिश की है, पर फिर भी हम देखते हैं कि ५० प्रतिशत मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। हालांकि यह सच है कि कर्मचारियों की संख्या ७,००० से घटाकर २,००० या ३,००० कर दी गयी है पर यह लोग अधिकतर टेकनीशियन हैं और उनको अब भी बेकार

रहना पड़ता है। युद्धास्त्र कारखानों में सभी प्रकार के इंजीनियरिंग के सामान, ड्राइंग के यंत्र और दूरदर्शक यंत्र तथा सूक्ष्म दर्शक यंत्र और महत्वपूर्ण रसायन, आदि तैयार किये जा सकते हैं। उदारहणार्थ ई० एम० ई० वर्कशापों में आधुनिक मशीनें हैं और उनमें मशीनों के पुर्ज़े और बड़ी मोटरों ट्रकों के पुर्ज़े आदि बनाये जा सकते हैं।

मैं यह बताना चाहती हूं कि सभी चीज़ों को संगठित करना आवश्यक है और इसके लिये असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों के सहयोग की आवश्यकता है।

असैनिक कर्मचारियों की सेवाओं को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, यह बात भी खटकने वाली है। आश्चर्य है कि डेढ़ लाख लोगों को अस्थायी रखा जाता है। नवीनतम सिफारिश ४० प्रतिशत लोगों को स्थायी बनाने के लिये है। अक्तूबर में यह सिफारिश की गयी थी, पर कोई नहीं जानता कि इस मांग के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है कि तीन वर्ष से लगातार कार्य करने वालों को स्थायी बना दिया जाय।

रक्षा लेखों की भी अजीब स्थिति है। यहां पूर्व लेखा परीक्षण की प्रथा है। नई वेतन संहिता १-१-४७ या १-१-४८ से लागू हुई पर अनेक कर्मचारियों के वेतन अभी निश्चित नहीं किये गये हैं। किन्हीं किन्हीं मामलों में इतना विलम्ब कर दिया जाता है कि उसकी काल अवधि समाप्त हो जाती है और सारे मामले को फिर से भारत सरकार के सामने रखा जाता है।

हमें उन लोगों के प्रश्न पर भी ध्यान देना है जिनकी छंटनी की जाने वाली है, हम बता चुके हैं कि काम की कमी नहीं है पर वास्तव में कोई योजना नहीं है। निर्माण और आवासों के सम्बन्ध में जब इतने व्यय की आवश्यकता है तो फिर इतनी गिरावट क्यों है। उदारहणार्थ, १९५४–५५ के आय-व्ययक में बड़े निर्माण कार्य (सेना) के लिये १५ लाख रुपये हैं जब कि पुनरीक्षित अनुमान १२ लाख रुपये है। १९५४–५५ के पूंजी विनियोजन के अन्तर्गत ५ करोड़ रुपये की कमी है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं आय-व्ययक और भ्रष्टाचार को लेती हूं। १९५३-५४ में २३.५१ करोड़ रुपये की लागत का रक्षा सामान नीलाम के लिये घोषित किया गया था। वास्तविक मूल्य घट कर ७.४७ करोड़ रुपये हो गया था और विक्रय मूल्य केवल ५.२५ करोड़ रुपये था।

पानागढ़ में लोहे का कबाड़ बेचा जाने वाला था। अनुमानतः उसे १०० टन मान कर बेचा जा रहा था, पर वह ३०० या ४०० टन था। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसकी कोई जांच नहीं की गयी बल्कि सूचना देने वालों को आरोप पत्र दिये गये। इस प्रकार भ्रष्टाचार और अपव्यय से राजकोष को बड़ी हानि होती है।

सुरक्षा पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गयी है। साथ ही आग लगने की दुर्घटनायें भी बढ़ गयी हैं। फरवरी और मार्च के महीने में ज्यादातर आग लगती है और इसी समय के आसपास सामान की चेकिंग की जाती है। अतः जो सामान ग़ायब होता है उसे आग में जल गया बता कर काम चलाया जाता है। मैं कहना चाहती हूं कि रक्षा का स्वरूप बदला जाय। पदाधिकारियों और सेना के जवानों के बीच बहुत अन्तर न रखा जाय। कम वेतन पाने वाले कर्मचारी अधिक वेतन पाने वाले पदाधिकारी का नौकर न समझा जाय। उनमें बन्धुत्व होना चाहिये।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

अभी हाल में, बनाये गये समझौता संगठन की अन्तिम बैठक में कुछ बातों पर चर्चा की गयी और बैठक स्थगित कर दी गयी। पर राज्य-सभा में बैठक को भंग कर दिया गया। अतः अब रक्षा कर्मचारियों और रक्षा मंत्रालय के प्रशासकों को मिल कर परस्पर सहयोग से एक सामूहिक नीति निश्चित करनी चाहिये। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सैनिक और असैनिक दोनों ओर के श्रमिकों का पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त होगा।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्राक्कलनों या आलोचनाओं के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिये नहीं, बल्कि अपनी रक्षा-व्यवस्था की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

ऐसा करने से पूर्व, मैं माननीय सदस्य की उस बात के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जो अभी उन्होंने एक नये बन्धुत्व और एक नये स्वरूप के निर्माण के सम्बन्ध में कही है। मैं नहीं समझ सका कि नये स्वरूप से उनका क्या अभिप्राय है। नया स्वरूप तो होना ही चाहिये, वह किस प्रकार का हो, इस पर विचार करना है। पर अंगरेज़ों के समय के पुराने स्वरूप को, उसकी कुछ ऐसी बातों को छोड़ कर जो अच्छी थी, हम उसे समग्र रूप में नहीं अपना सकते, और अनुशासन तथा बन्धुत्व तो होना चाहिये। और जहां तक मुझे पता है, हमारी रक्षा सेवाओं में मामलों में काफी परिवर्तन हो गया है। वस्तुतः, मुझे यह कहना चाहिये कि मेरी यह इच्छा है कि असैनिक विभाग के विभिन्न पदों में भी उतना ही बन्धुत्व पैदा हो जाय जितना सैनिक विभाग में है।

कुछ महीनों पूर्व तक मैं रक्षा मंत्री का कार्य कर रहा था। इसके पूर्व भी जब से मैं प्रधान मंत्री बना मैं, अपने देश की रक्षा सेवाओं का बहुत ध्यान रखता हूं और जब मैं रक्षा मंत्री बना तो स्वभावतः मुझे इसका ध्यान रखना पड़ा और मैं इसके लिये अधिक समय देने लगा। मैं ने ऐसा इसलिये किया कि रक्षा का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे अपनी सेना, वायु बल और नौबल में कार्य करने वाले नवयुवकों में बड़ी रुचि है। मैं इन सेवाओं के किसी भी स्तर या किसी भी सेवा में काम करने वाले नवयुवकों से मिलने और उनसे बातचीत करके मामलों को तय करने में प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। उन की बौद्धिक दक्षता देख कर बड़ा हर्ष होता है। समग्रतः मुझे कहना चाहिये कि हमारी रक्षा सेवायें बहुत अच्छी हैं यद्यपि हमारे रक्षा विभाग की आलोचनायें की गयी हैं और उनमें से अनेक आलोचनायें ठीक भी हो सकती हैं, पर मैं तो अपने रक्षा विभाग को ठीक ही पाता हूं। हमें विस्तृत दृष्टिकोण से इसे देखना चाहिये और आगे आने वाली कठिनाइयों को देख कर निराश नहीं होना चाहिये। हमारा रक्षा विभाग कुशल और अच्छा है और हमारे व्यक्ति भी अच्छे हैं।

माननीया महिला सदस्या ने जहाज़ों के सम्बन्ध में कुछ कहा और मेरा नाम भी लिया। मैं उनकी बात समझ नहीं सका, पर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि हम ख़राब जहाज़ मंगा रहे हैं। मुझे स्मरण नहीं कि मेरी किस बात के सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा। पर नौबल में हमारे पास केवल एक ही बड़ा पोत था। वह एक पुराना युद्ध पोत था जिसे हमने पुराने रूप में लिया था। नये युद्ध पोत को लेने में बहुत धन की आवश्यकता पड़ती, अतः हमने प्रशिक्षण प्रयोजन के लिये —लड़ाई या इस प्रकार के अन्य कामों के लिये नहीं—इसे लिया था। यह

एक अच्छा सौदा था क्योंकि इसका उपयोग केवल प्रशिक्षण के लिये ही नहीं किया गया बल्कि संसार के विभिन्न भागों में जाने और अन्य शिल्पिक अभ्यासों के लिये भी इसका प्रयोग किया गया । इसने खूब काम दिया हम चाहते तो इसे न लेते और एक नया युद्ध पोत काफी धन लगा कर खरीदते पर हमने इसी को खरीदना ठीक समझा । नया युद्ध पोत खरीदना उस समय उचित नहीं था और अब भी मैं इसे उचित नहीं समझता ।

इससे यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि आधुनिक सेना, या नौबल या वायु बल के लिये शस्त्रों की आवश्यकता होती है । यह एक दूसरा प्रश्न है । इस प्रश्न के भी दो भाग हो सकते हैं । एक तो यह कि क्या वह देश रक्षा का अर्थ रक्षा ही समझता है या रक्षा से कुछ अधिक । प्रत्येक देश रक्षा और अपनी रक्षा सेवाओं की बातें करता है । पर इसका अर्थ अनिवार्यतः यह नहीं है कि देश अपनी रक्षा सेनायें केवल रक्षा के लिये ही रखते हैं । जहां तक भारत का सम्बन्ध है, जब हम सेना, या वायुबल या नौबल के सामान या शस्त्रों की बातें करते हैं तो हमारा अभिप्राय केवल रक्षा ही होता है । पर माननीय सदस्यों को यह विचार करना चाहिये कि हज़ारों मील की दूरी तक आक्रमण करने वाली सेना की दूसरी बात है । हमें हज़ारों मील दूर जा कर किसी पर आक्रमण नहीं करना है । अतः हम केवल उस सामान और उन शस्त्रों का ध्यान रखते हैं जो हमारी रक्षा के लिये ही आवश्यक हैं ।

इसके अतिरिक्त टेकनॉलोजी के विकास के इस युग में ऐसा कह जाता है कि अधिकांश सेनाओं के पास जो शस्त्र हैं वह रूढ़िगत और पुराने हैं, क्योंकि आनविक शक्ति सम्बन्धी नये शस्त्रों को प्रयोग में लाया जा रहा है । यूरोप अमरीका और अन्य देशों की सेनाओं के पास आणविक शस्त्र हैं । अतः कोई भी सेना या कोई भी रक्षा सेना रूढ़िगत (पुराने) और आधुनिक नये, दोनों प्रकार के शस्त्र नहीं रख सकती और किसी भी सेना को दोनों प्रकार के शस्त्रों के प्रयोगः का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता ।

आज हम संक्रमण काल से गुज़र रहे हैं । मैं नहीं समझता कि भविष्य क्या होगा । पर जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम आणविक शस्त्रों को पसन्द नहीं करते और न उसके पक्ष में हैं । न वे हमारे पास हैं न हम उन्हें चाहते ही हैं । अतः ये सब बातें रक्षा सम्बन्धी हमारी विचारधारा को स्पष्ट करती हैं कि हम केवल रक्षा चाहते हैं, आक्रमण नहीं, दूसरे उसी के उपयुक्त शस्त्र चाहते हैं और तीसरे, यथा सम्भव हम अपने लिये स्वयं शस्त्र और सामान पैदा कर सकें । स्पष्ट है कि हम इस कार्य को एकाएक नहीं कर सकते । पर, मैं यह कहना पसन्द करूंगा कि हम बाहर से बहुत बढ़िया शस्त्र लेने के बजाय स्वयं कुछ कम बढ़िया शस्त्र बनाना पसन्द करेंगे, क्योंकि उसमें हमें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है । इन सभी मामलों का सन्तुलन किसी-न-किसी प्रकार करना ही पड़ेगा, पर यह हमारा वृहद् साधन है ।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि अब तक दुर्भाग्यवश हम आदेशों के लिये सेना में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं । यह सच है कि हमने उनको कुछ बदल दिया है और माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि गणतन्त्र दिवस पर आदेशों के हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया था पर अभी सामन्यतः उनका प्रयोग नहीं किया जाता । मुझे आशा है कि शीघ्र ही इसे ठीक कर दिया जायेगा ।

रक्षा उद्योगों :—रक्षा के औद्योगिक पक्ष के विकास और रक्षा के वैज्ञानिक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

संगठन के विकास—को हम बहुत महत्व देते हैं। वास्तव में, दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। जहां तक हमारे रक्षा उद्योगों का सम्बन्ध है, हम उनका प्रयोग अधिकतर असैनिक कामों के लिये करते हैं, क्योंकि अन्यथा हमारी मशीनें बेकार पड़ी रहेंगी।

रक्षा मंत्रालय का वैज्ञानिक पक्ष बहुत बड़ा नहीं है तथापि यह बहुत अच्छे एवं सुयोग्य हाथों में है। अन्य लोगों ने भी, जिन्होंने रक्षा के वैज्ञानिक पहलू अथवा अन्य क्षेत्रों से वैज्ञानिक सरोकार रखा है, यह स्वीकार किया है।

हमारा पद-संज्ञा (पदवी) में कुछ परिवर्तन करने का विचार है। जिसके सम्बन्ध में मैं सभा को बतलाऊंगा सभा अथवा उसके कुछ सदस्य जानते होंगे कि पहिले तीनों सेवाओं में एक ही महाबलाधिकृत होता था। अंग्रेजी राज्य के दिनों में तीनों सेनाओं का महाबलिधिकृत वायसराय को कार्यपालिका परिषद् का उप-सभापति भी होता था। सामान्य रूप से रक्षा मामलों को छोड़ कर भी वह दूसरा पदाधिकारी समझा जाता था किन्तु यह पद्धति जारी न रह सकी, तथा १९४६ के उपरान्त इसमें कुछ परिवर्तन हुये। पहिला परिवर्तन यह हुआ कि, वह अगस्त, १९४६ से वायसराय की परिषद् के उप-सभापति नहीं रहे। वह केवल तीन सेनाओं के प्रधान सेनापति ही रहें। १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त है कुछ अग्रेतर परिवर्तन हुये। तदुपरान्त प्रत्येक सेवा अपने पृथक् सभापति के अधीन रखी गई। उनका इस प्रकार नामोदेश (नाम-संज्ञा) किया गया यथा भारतीय सेना के महा बलाधिकृत फ्लैग आफीसर कमांडिंग, शाही भारतीय नौ सेना तथा एयर मार्शल कमांडिंग, शाही भारतीय वायु सेना इन परिवर्तित अधिकारों को प्रगट करने के लिये अपने नामोद्देश के साथ उन्हें—कर्मचारियों का प्रधान—पद भी दिया गया कुछ महीनों पश्चात् तीनों सेवाओं में इन पदों को एकरूप बनाने के विचार से इन नामोद्देशों में कुछ परिवर्तन किया गया तथा उनको सेना कर्मचारियों के प्रधान तथा महाबलाधिकृत, नौ कर्मचारियों के प्रधान तथा भारतीय नौसेना के महा बलाधिकृत वायु कर्मचारियों के प्रधान तथा भारतीय वायुसेना के महाबलाधिकृत कहा गया। यह वर्तमान स्थिति है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हमने अनुभव किया कि ये नामोद्देश कुछ असंगत हैं। ये देश के परिवर्तन के अनुरूप नहीं है। विशेषकर नये संविधान के बनने पर, उसके अनुसार—जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं अनुच्छेद ५३(२) के अधीन राष्ट्रपति सर्वोच्च महाबलाधि कृत हैं।

[सामन्य रूप से प्रजातांत्रिक गठन में महाबलाधिकृतों को केवल कार्य-प्रवर्तन के लिये चुना जाता है। वे स्थायी प्रकार के नहीं होते हैं। मैं साधारणीकरण नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे शब्द प्रत्येक देश के लिये प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। कुछ देशों में हमने यह अनुभव किया कि वर्तमान नामोद्देश हमारे संविधान तथा प्रजातांत्रिक देशों में प्रचलिति प्रथा के अनुरूप नहीं है किन्तु कई महत्वपूर्ण बातें होनी थीं, इस लिये हम नामोद्देशों में परिवर्तन के लिये उपयुक्त अवसर को प्रतीक्षा में रहें।]

मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन परिवर्तनों के करने में कर्मचारियों के प्रधान (चीफ़ आफ स्टाफ़) अथवा महाबलाधिकृतों के प्राधिकारों अथवा पद को घटाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। उनका प्राधिकार जिसमें प्रवर्तन का प्राधि-

कार भी शामिल है वही रहा, किन्तु हमने यह अनुभव किया कि यह अच्छा होगा यदि भविष्य में महाबलाधिकृत शब्द को हटा कर उसे केवल कर्मचारियों को प्रधान ही कहा जाय । किन्तु इसे असंगत समझा गया इसलिये यह प्रस्ताव किया गया कि भविष्य में सेवाओं के प्रधान, सेना कर्मचारियों के प्रमुख, नौ कर्मचारियों के प्रमुख तथा वायु कर्मचारियों के प्रमुख कहे जायेंगे । कुछ दिनों के दौरान इस आशय के आदेश जारी हो जायेंगे ।

कुछ देशों में—अधिक प्रजातांत्रिक देशों में—रक्षा परिषदें हैं । उदारहणार्थ इंगलैंड में सेना परिषद्, वायु परिषद्, तथा एडमिरल का बोर्ड, आदि हैं, जो कि महाबलाधिकृत के कार्यों को करता है । निःसन्देह हमारे लिये भी ये परिषदें बनाना वांछनीय होगा । हम इस मामले पर ग़ौर करेंगे । हम तत्काल ही एक परिषद् नहीं बना सकते हैं। परिषद् हमारे ज्येष्ठ पदाधिकारियों के अनुभव एवं संचित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है । हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं तथा आशा है कि हम शीघ्र ही प्रत्येक सेवा के लिये ऐसी परिषदों का विकास कर लेंगे ।

सभा को स्मरण होगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ दिनों पश्चात् थोड़े दिनों के लिये सेना का महाबलाधिकृत, वायु सेना तथा नौ सेना के कर्मचारियों के प्रधान तथा महाबलाधिकृत अंग्रेज़ थे । कुछ समयोपरांत सेना में महाबलाधिकृत भारतीय हो गया । एक वर्ष अथवा उससे कुछ समय पूर्व वायु सेना में एक ज्येष्ठ भारतीय पदाधिकारी महाबलाधिकृत हो गया । इस समय केवल जल सेना में ही एक अंग्रेज़ अधिकारी हमारे कर्मचारियों का प्रधान तथा महाबलाधिकृत है । मैं यह कहना चाहूंगा कि इन अंग्रेज़ी पदाधिकारियों ने हमारी रक्षा सेवाओं में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है । उनके कार्य की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं । कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने उन सेवाओं — विशेषकर वायुसेना तथा जल सेना —के विकास का दायित्व सम्भाला क्योंकि वे अपेक्षाकृत अविकसित थीं । हमारे देश की सेना समुकित रूप से विकसित थी । सभी दिशाओं में सर्वांगीण सुधार हो रहा है । निःसन्देह कुछ समयोपरान्त जल सेना में भी सुधार हो जायेगा । सुप्रसिद्ध एडमिरल, जो हमारी जल सेना का नेतृत्व कर रहा है, भारतीय सेवा से निवृत्त हो कर कदाचित ब्रिटिश जल सेना में चला जाय तथा हमें वहां भी भारतीय पदाधिकारी* को नियुक्त करना होगा । यह प्रक्रिया पिछले दो वर्षों से चली आ रही है, जिससे कि हम अपने देशवासियों को प्रशिक्षित करने के लिये अनुभव प्राप्त ज्येष्ठ पदाधिकारियों का सर्वाधिक लाभ उठा सकें ।

सेना में हम लोग नितान्त स्वावलम्बी हैं । कुछ समय से हम वायु सेना के मामले में भी स्वावलम्बी हो गये हैं । जलसेना में भी हम शीघ्र स्वावलम्बी हो जायेंगे । मैं पुनः दोहरा दूं कि हमने जो नामोद्देश निश्चित किये हैं, और जिनसे कि सेवाओं के प्रधान भविष्य में सेना, जल सेना तथा वायु सेना के कर्मचारियों के प्रभुत्व कहलायेंगे, हम उनके प्राधिकार अथवा पद को घटाना नहीं चाहते हैं । तत्पश्चात् हम प्रत्येक सेवा के लिये परिषद् बनाने के प्रश्न पर विचर कर रहे हैं । वही वह कार्य करेगी जो सामान्यतः एक महाबलाधिकृत करता है ।

*यह वक्तव्य बाद में प्रधान मंत्री द्वारा संशोधित हुआ देखिये इसी वाद-विवाद का स्तम्भ—२६१० ।

सभापति महोदय: मैं अवशेष सात मिनटों का उपयोग वेतन इत्यादि के विधेयक के लिये करूंगा।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३--(धारा ६ आदि का संशोधन)

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): इसमें मुझे एक महत्वपूर्ण संशोधन करना है।

सभापति महोदय: यह संशोधन मंजूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह आज ही प्राप्त हुआ है जब कि इसे एक दिन पूर्व प्राप्त होना चाहिये था।

श्री रामजी वर्मा (ज़िला देवरिया--पूर्व) खड़ हुये—

सभापति महोदय: क्या वह संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री पी० एन० राजभोज खड़े हुये—

सभापति महोदय: मैं किसी और सदस्य का नाम ले रहा हूं और वह बाधा डाल रहे हैं। मैं श्री रामजी वर्मा से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद ही चर्चा या खण्ड का प्रश्न उठेगा।

श्री रामजी वर्मा (ज़िला देवरिया—पूर्व): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १, पंक्ति १२, में "first class pass" ["पहले दर्जे का पास"] शब्दों के स्थान पर "first class pass with a third class pass" ["पहले दर्जे का पास तीसरे दर्जे के पास सहित"] शब्द आदिष्ट किये जायें।

मैं ने यह अमेंडमेंट इसलिये मूव किया है कि जब यह ऐक्ट बना था उस समय उसमें यह था कि सैकिंड क्लास पास मिलेगा। लेकिन रेलवे बोर्ड ने सैकिंड क्लास पास का अर्थ यह किया कि वह सैकिंड क्लास का टिकट होगा। यह जो रेलवे बोर्ड ने पार्लियामेंट के ऐक्ट का इंटरप्रिटेशन दिया, यह ग़लत था उसको यह अधिकार नहीं था कि वह पास को टिकट में बदल दें। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हाउस में यह बात साफ़ हो जाय कि हमको फर्स्ट क्लास का पास मिले और हमको अपने साथ साथ थर्ड क्लास में किसी आदमी को भी ले जाने का अधिकार हो। (हंसी) यह हंसने की बात नहीं है। लोग समझते हैं कि थर्ड क्लास में सरवेंट ही होना चाहिये। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वह मेरा साथी होगा, मेरा मददगार होगा, मेरा सहायक होगा। यह न समझा जाय कि अगर मैं ने उसको "आदमी" कहा है तो उसका मतलब नौकर ही समझा जाय। मैं चाहता हू कि हमको एक आदमी अपने साथ ले जाने की इजाज़त दी जाय। मैं समझता

हूं कि इसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। हाउस को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि सब लोग इसको चाहते हैं इतना कह कर मैं अपने अमेंडमेंट को पेश करना चाहता हूं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय: "आदमी" से मुराद "मैन" है या इसमें "औरत" भी शामिल है ?

श्री राम जी वर्मा: मेरा मतलब कामरेड से है, इसमें जो आ जाय।

श्री पी० एन० राजभोज खड़े हुये।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य इतने अधीर न हों। मैं यह प्रस्ताव मतदान के लिये सभा के समक्ष रखूंगा।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): कृपया हिन्दी में बोलिये। मैं हमेशा हिन्दी में अपनी बात कहता हूं, आप भी कृपया हिन्दी में अपनी बात कहिये।

सभापति महोदय: मुझे माननीय सदस्य की बात समझ में नहीं आती। मैं यह संशोधन मतदान के लिये रख रहा हूं और वह बाधा डाल रहे हैं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ:

> पृष्ठ १, पंक्ति १२ में "first class pass" ["पहले दर्जे का पास"] शब्दों के स्थान पर "first class pass with a third class pass" ["पहले दर्जे का पास तीसरे दर्जे के पास सहित"] शब्द आदिष्ट किये जायें।

श्री पी० एन० राजभोज: कभी कभी इस तरह का कनफ्यूज़न हो जाता है, आपकी अंग्रेज़ी हम समझ नहीं पाते और जिस तरह हमारे मौलाना साहब हिन्दी, उर्दू का मिक्सचर बनाते हैं और उससे तक़लीफ़ हो जाती है, उसी तरह कभी कभी तक़लीफ़ हो जाती है। ऐसा कह कर मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हू, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह बड़ी इज्ज़त की कुर्सी है और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन इतना ज़रूर निवेदन करूंगा कि जिनकी हिन्दी ठीक नहीं है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये बल्कि उनको सम्हालना चाहिये और समझाने की कोशिश करनी चाहिये।

अब मैं जो मंत्री महोदय ने सैलरीज़ एण्ड अलाउन्सेज़ आफ मेम्बर्स अमेंडमेंट बिल रक्खा है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सब जानते हैं कि जो सरकारी अफ़सरान फर्स्ट क्लास में जाते हैं, उनको चपरासी और सर्वेंट साथ में ले जाने का अख्तियार रहता है और भी काफी सहुलियतें उनको मिलती हैं। मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है लेकिन पार्लियामेंट के मेम्बर की पोज़ीशन उनसे कहीं ऊंची है, एक एम० पी० की पोज़ीशन और प्रैस्टिज़ का ख्याल रखते हुये यह जरूरी हो जाता है कि उनको साथ में सर्वेंट ले जाने की सुविधा दी जाय। एक पार्लियामेंट के मेम्बर को सब जानते हैं कितना काम करना पड़ता है, जगह जगह दौरा करना पड़ता है और पार्लियामेंटरी वर्क के सिलसिले में दुनिया भर का काम करना पड़ता है और लिखना पढ़ना पड़ता है। इसलिये यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सफर में फर्स्ट क्लास के पास के साथ हमको एक सर्वेंट का पास भी मिलना चाहिये। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि अब मैं और स्वामी रामानन्द तीर्थ पठानकोट एक्सप्रेस से बम्बई जा रहे थे, मनमाड़ पर वह तो उतर गये। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, पहले तो नींद नहीं आई लेकिन नासिक के बाद थोड़ी नींद आ गई और उस वक्त मेरे कम्पार्टमेंट में कोई चोर घुस आया और जागने पर मुझे मालूम हुआ

[श्री पी० एन० राजभोज]

कि मेरे सामान इत्यादि की चोरी हो गयी है, मेरी घड़ी और दूसरी चीज़ें चोरी चली गयीं, मैं ने फौरन उसकी इत्तिला कल्याण पुलिस में की ।

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : क्या विधेयक के साथ इसका कोई सम्बन्ध है ?

सभापति महोदय : यदि उन के साथ नौकर होता तो उन का कोट या और कोई चीज़ इस तरह चोरी नहीं चले गये होते ।

श्री पी० एन० राजभोज : मंत्री महोदय कृपा करके शान्ति और धीरज रक्खें और जो मैं कहता हूं उसे सुनें । हां, तो मैं बतला रहा था कि जब इज्जतपुरी और कल्याण के बीच में नींद आगई तो उसी समय कोई चोर मेरे डिब्बे में घुस आया और मेरा सामान चोरी करके ले गया । सी० आई० डी०, पुलिस कुछ नहीं कर सके, सुरक्षा का ऐसा इन्तजाम होता है और मुझे तो कहने पर बाध्य होना पड़ता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल हमारे यहां हो रहा है । चोरी आदि से हिफ़ाज़त करने के लिये भी हम लोगों को सर्वेंट मिलना ज़रूरी है, उसके रहते हम कम-से-कम रात भर आराम से सो तो सकेंगे और हमारा सामान तो बर-क़रार रहेगा । हमारी पुलिस का इन्तज़ाम ठीक नहीं है ।

एयर कंडीशन के बारे में मेरा कहना यह है कि पहले ऐयर कंडीशन का जो किराया था, वह कम था, अब किराया बढ़ गया है । सरकार उसी हिसाब से हमारी तरफ़ से पैसा ले, ।

सभापति महोदय : श्री आर० डी० मिश्र ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं ने बोलना बन्द नहीं किया है ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं दूसरे माननीय सदस्य का नाम ले चुका हूं । वह एक बार नीचे बैठ कर फिर उठे हैं अब वह कृपया बैठ जायें ।

श्री पी० एन० राजभोज: चूंकि आप खड़े हो गये थे, इसलिये मैं बैठ गया था ।

सभापति महोदय: किन्तु वह भाषण समाप्त कर के एक बार नीचे बैठ गये । उन्हें बैठना नहीं चाहिये था ।

श्री पी० एन० राजभोज: मुझे सिर्फ़ एक बात कहनी थी ।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य नीचे बैठ जायें ।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्द-शहर) : तरमीम की ताईद में मैं कुछ कहना चाहता हूं और वह यह कि जब हमने यहां पर यह पास किया कि एक पार्लियामेंट के मेम्बर को सेकेंड क्लास का पास दिया जाय तो उसका मतलब एक पास था । इससे पहले हमारे कांस्टीट्यूशन में यह लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स को सब से ऊंचा दर्जा मिलेगा और सब जगह पर सबसे ऊंचा दर्जा उन्हें मिलता है । हिन्दुस्तान में सबसे ऊंचा दर्जा एयर कंडीशन है परन्तु उनको उस दर्जे का एलाऊंस नहीं दिया गया । हम लोग फर्स्ट क्लास पाते थे । पिछली मर्तबा हमको यह यक़ीन दिलाया गया कि अब रेलवे में फर्स्ट क्लास नहीं रहेगा और हम चाहते भी यही थे कि हमारे यहां पर जितनी ऐसी भेद वाली चीज़ें हैं वे दूर की जायें और यह क्लासिफ़िकेशन—फर्स्ट क्लास, सैकेंड क्लास और थर्ड क्लास का खत्म किया जाय । लेकिन हमारा रेलवे बोर्ड और हमारे

अफ़सरान चाहते हैं कि यह क्लासिफ़िकेशन ख़त्म न किया जाय, लिहाज़ा वह इस तरीक़े का रास्ता अख्तियार करते हैं कि जिससे हम उनको खत्म न कर सकें। रेलवे में यह तीन श्रेणियां—क्लास—फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रेलवे बोर्ड ने बना दी हैं, और हम लोगों को मजबूर होकर वह क्लासिफिकेशन मानना पड़ता है,। फिर हमें यह यक़ीन दिलाया गया कि पूरी रेलवे में फर्स्ट क्लास तोड़ा जा रहा है और हमें यह जान कर खुशी हुई कि चलो यह क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। जब पार्लियामेंट के मेम्बर्स को रेलवे का पास देने का सवाल दरपेश आया तो सेकेंड क्लास कर दिया गया, क्योंकि यह हाएस्ट क्लास हो गया था, थोड़े दिन बाद अब वह क्लास फिर फर्स्ट क्लास का कर दिया गया है। कुछ समझ में नहीं आता है कि यह बारबार अदलबदल क्यों करते हैं, कभी फर्स्ट क्लास बनाते हैं और कभी सेकेंड क्लास कर देते हैं। अब हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी क़ायम करने जा रहे हैं लेकिन रेलवे में फिर से सेकेंड क्लास का फर्स्ट क्लास बनाया जाना समझ में नहीं आता। इसी प्रकार पहले इन्टर क्लास तोड़ा गया था फिर कुछ दिन बाद उसे फिर चालू किया गया।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य पहले नीचे बैठ जायें। इस तरह हाथ से इशारे का क्या लाभ। क्या वह यह चाहते हैं कि मैं ही बैठ जाऊं। सभा के समक्ष यह प्रश्न है कि क्या यह संशोधन कि "फर्स्ट क्लास पास" के स्थान पर "फर्स्ट क्लास पास थर्ड क्लास पास सहित" स्वीकार्य है? माननीय सदस्य यहां रेलवे का इतिहास बता रहे हैं। प्रश्न तो शब्दों के बदले में शब्द रखने का है। वह कृपया संगत बातें बतायें।

श्री आर० डी० मिश्र : मेरे यह सब बतलाने का मतलब यह था कि हम यह नहीं चाहते थे कि यह फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और सैलरीज़ एण्ड अलाउंसेज आफ मेम्बर्स बिल के अमेंडमेंट की मुसीबतें हमारे सामने आयें। हमारे रेलवे मिनिस्टर चाहते तो एयर कंडीशन क्लास को फर्स्ट बना देते और इस बिल के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब यह सेकेंड क्लास पास हुआ तो रेलवे रूल्स के मुताबिक़ यह मालूम पड़ा कि जो फ़र्स्ट क्लास के पास पाने वाले हैं उनको दो सर्वेंट्स एलाऊ होते हैं और जो सेकेंड क्लास के पास होल्डर्स हैं उनको एक सर्वेंट एलाऊ होता है। रेलवे बोर्ड के पास लिखा गया कि जब एक सैकेंड क्लास पास पार्लियामेंट ने पास किया है तो उसने रेलवे कर्मचारियों को यह क्यों लिखा कि यह पास सेकेंड क्लास टिकट समझा जाय, उसे एक पास का ही प्राविज़न रखना चाहिये था। पार्लियामेंट तो ऑल पावरफुल है, उसको ही यह पावर डिसाइड करने की है कि हम थर्ड क्लास में ही सफर करेंगे, तो उसे ऐसा करने से कौन रोक सकता है। हमें अख्तियार है कि हम कहें कि हमें सेकेंड क्लास पास मिलेगा, हम तय कर सकते हैं कि हमें दो नौकर मिलेंगे, एक नौकर मिलेगा या हमें यह भी अख्तियार हासिल है कि हम तय कर दें कि एक भी नौकर नहीं मिलेगा, सिर्फ सेकेंड क्लास पास मिलेगा। हमारी सावरन् पार्लियामेंट है और हमें सब अख्तियार हासिल हैं और मैं चाहता हूं कि हाउस का इस बारे में यह डिसीयन हो कि एक सेकेंड क्लास के पास के साथ हमें एक नौकर का भी पास मिले। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बारे में जो कुछ भी फैसला हो वह हम करें और रेलवे बोर्ड को कोई अख्तियार नहीं है कि वह पास के सम्बन्ध में यह निश्चय करे कि यह टिकट समझा जायगा। मैं इसे पार्लियामेंट की तौहीन समझता हूं। इसीलिये म समझता हूं कि इस ऐमेण्डमेंट के ऊपर हाउस फैसला दे, सावरेन पार्लियामेंट के मेम्बर अपनी राय दें कि वह अपने साथ सर्वेंट

[श्री आर० डी० मिश्र]

चाहते हैं या नहीं । इस पर आप का फ़ैसला होना चाहिये, यह नहीं कि रेलवे बोर्ड के कोई अफसर यह तय करें कि हम ने जो पास दिया है उस के खिलाफ उसको टिकट बना दें । मैं इस को हाउस की तौहीन समझता हूं । मैं समझता हूं कि जब कि हम को यह पास दिया गया है तो जब हम त्रिवेन्द्रम या किसी दूसरी जगह जा कर घूमना चाहें उस समय हमारे साथ नौकर ज़रूर होना चाहिये जो कि हमारा कपड़ा और बिस्तरा वगैरह उठाये और हम को आराम मिले । अगर हम कोई जगह देखना चाहते हैं, भाखरा नंगल डैम देखने के लिये जाना चाहते हैं, त्रिवेन्द्रम जाना चाहते हैं, और अगर हम अकेले ही सेकेंड क्लास में जा कर बैठ जायें और जब उतरें तो कंधे पर बिस्तरा लाद कर ले जायें, तो यह बड़ी गलत बात है । सेकेंड क्लास में नौकर ज़रूर होना चाहिये । लेकिन अगर हाउस यह समझता है और हमारे मिनिस्टर साहब यह समझते हैं कि नौकर नहीं होना चाहिये, तो यह तय कर दिया जाय, लेकिन फैसला हाउस का होना चाहिये कि नौकर साथ रहे या नहीं । वैसे मैं इस बात को ताईद करता हूं कि हमारे साथ एक व्यक्ति ज़रूर होना चाहिये ।

सभापति महोदय: यह प्रश्न कि तीसरी श्रेणी का पास दिया जाय अथवा नहीं, बहुत साधारण प्रश्न है, इसके लिये चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं चाहता हूं कि सदस्य लोग मतदान कर के इस प्रश्न का निपटारा कर दें ।

श्री एम० एल० द्विवेदी (ज़िला हमीरपुर) : कुछ सदस्य लोग अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहते हैं ।

सभापति महोदय: यदि सदस्य ऐसा चाहते हैं तो मैं बाधा डालना नहीं चाहता हूं । मैं केवल यही चाहता हूं कि इसमें अधिक समय व्यय न किया जाय ।

श्री आर० आर० शास्त्री (ज़िला कानपुर—मध्य) : जो संशोधन पेश किया गया है, मैं उस की सख्त मुखालिफ़त करता हूं । यह इस लिये कि यहां पर जो दलीलें पेश की गई हैं कि पार्लियामेंट के मेम्बरों को सफर करते समय सर्वेंट भी मिलना चाहिये, उस की कोई आवश्यकता नहीं है । बल्कि मैं तो यह महसूस करता था कि हाउस के मेम्बरान इस बात को महसूस करेंगे कि जब कभी हम लोग कोई मुख्य बहस करते हैं तो हमेशा यह सवाल पेश होता है कि देश के भले के लिये कौन सी चीज़ है । हम देश के गरीबों की बात करते हैं, दूसरों की बात नहीं करते हैं। हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि किसी तरीक़े से हमारा जीवन वही होना चाहिये जो कि यहां के साधारण नागरिकों का जीवन है । मैं समझता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य यहां पर आये हुये हैं सभी सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में घूमते रहे हैं । किसान मज़दूरों का काम करते रहे हैं । मैं इस बात की आवश्यकता नहीं समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंट के मेम्बर जब कभी देश का दौरा करें और गरीब भाइयों के बीच में जायें तो वह फर्स्ट क्लास में जो जाते हैं, वह तो जायें, लेकिन साथ में किसी को सर्वेंट के तौर पर ले जायें । मैं इस की क़तई ज़रूरत नहीं समझता हूं और मैं समझता हूं कि सभा इस संशोधन को, निश्चित रूप से, नहीं पास करेगी ।

सभापति महोदय: मैं समझता हूं कि इस मामले पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है । अब मैं इसे सभा के समक्ष रखना चाहता हूं । क्या माननीय सदस्य इस पर ज़ोर दे रहे हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं एक मिनट से अधिक नहीं लेना चाहता ।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: सभापति जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस बात पर ज़ोर नहीं देता कि थर्ड क्लास का अतिरिक्त पास मेम्बरों को दिया ही जाय । अगर देने की ज़रूरत न हो तो न दिया जाय, लेकिन मैं यह उचित नहीं समझता कि एक ही चीज़ के दो माने निकाले जायें । फर्स्ट क्लास का पास वाले अधिकारियों के साथ दो सर्वेंट्स जा सकते हैं, उस के बाद सेकेंड क्लास के पास वालों के साथ एक नौकर जा सकता है लेकिन सदस्यों के पासों के सम्बन्ध में यह अर्थ नहीं लगाया जाता । मेरी समझ के अनुसार तो एक ही मतलब निकल सकता है कि पार्लियामेंट के मेम्बर देश के सब से बड़े नागरिक कहलाते हैं, अगर हम लोगों को चाहियें कि इस अतिरिक्त पास का उपयोग न करें अथवा उसे वापस कर दें । यह दूसरी बात है लेकिन हमेशा के लिये एक निश्चित पालिसी होनी चाहिये । भले ही आप नौकर साथ ले जाने की सुविधा दें या न दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात को साफ कर दिया जाय कि सदस्यों के पासों और अन्य पासों में भेद न किया जाये ।

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के बारे में एक सुझाव रखना चाहता हूं । संसद् के पहिले सत्र के दौरान में संसद् के सचिव ने सभी सदस्यों को इस आशय का परिपत्र भेजा था कि वे अपने भत्तों में कटौती चाहते हैं अथवा वेतन प्रणाली चाहते हैं..... ।

सभापति महोदय: सदस्य महोदय अपने को संशोधन तक ही सीमित रखें और असंगत बातों का ज़िक्र न करें ।

श्री वीरस्वामी : वेतन विधेयक के उपबन्धों के अनुसार सदस्य को अनुपस्थित अवधि में भी दैनिक अथवा यात्रा भत्ता, दोनों में जो कुछ भी कम राशि होगी, दी जायेगी.....।

सभापति महोदय: हम केवल इस संशोधन पर विचार कर रहे हैं कि तृतीय श्रेणी का पास दिया जाय, अथवा नहीं । यदि वे संशोधन पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अन्यथा मैं उनसे बैठ जाने को कहूंगा ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं साम्यवादी दल की ओर से इस संशोधन का पुरज़ोर विरोध करता हूं । संसद्-सदस्य होने के नाते हमें कई सुविधायें प्राप्त हैं । अपने देश वासियों की दुरावस्था को देख कर हमें ऊंची श्रेणी में यात्रा करने का आग्रह नहीं करना चाहिये ।

सेवक के लिये, तीसरी श्रेणी के अतिरिक्त पास की मांग नितांत वाहियात है । संसार के किसी भी देश में कदाचित् ही ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, और विशेषकर ऐसे गरीब देश में जैसा कि भारत है ।

हमें अपनी सुविधा देखने के साथ ही करोड़ों देशवासियों की अवस्था की ओर भी देखना चाहिये कि वे इस योग्य हैं भी कि हमें सुविधा दे सकें ।

मैं अपने तथा अपने दल की ओर से इस संशोधन का पूर्णतः विरोध करता हूं जिस के द्वारा इस गरीब देश में भी विलासिता का उपबन्ध किया गया है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मेरे साथी ने जो विधेयक पुरःस्थापित किया है, वह बड़ा सरल है और, वास्तव में, टेकनीकल है, क्योंकि रेलवे में नाम तथा पदवी में कुछ परिवर्तन हो रहा है और वही परिवर्तन इसमें यहां

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

रखा गया है । इसके अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं है । जिसे गलती से पहले द्वितीय श्रेणी कहा जाता था, क्योंकि पहले प्रथम श्रेणी नहीं थी, उसे अब प्रथम श्रेणी कहा जायेगा । बात वही है । इसलिये उस विधेयक द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा—केवल इससे रेलवे के नियम तथा विनियम ठीक ढंग से उपयुक्त हो जायेंगे । इसलिये तर्क वितर्क की इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ।

जो संशोधन तृतीय श्रेणी के किराये वाले किसी संसद् सदस्य के नौकर को द्वितीय श्रेणी में सहयात्रा करने के लिये रखा गया है मुझे ऐसा प्रतीत होता है..इस सम्बन्ध में आप भी निर्णय करें कि क्या इस प्रकार के टेकनीकल विधेयक में यह संशोधन रखा जाना ठीक है..कि इस समय वह बिल्कुल अनुचित है । यहां हम यह विचार कर रहे हैं कि केवल एक नाम को बदल दिया जाये, किन्तु दूसरी ओर कुछ सारवान तथा महत्व की बात इस विधेयक में लाई जा रही है । यदि हमने उसे लाना है तो इस पर सभा को उचित रूप में पूर्व सूचना आदि से विचार करना चाहिये, किन्तु इस प्रकार से इसे लाना अनुचित है ।

यदि केवल इस संशोधन के गुणावगुण पर हमें विचार करना हो तो इस समय मैं विरोधी माननीय सदस्य से सहमत हूं कि गुणावगुण के आधार पर यह उचित संशोधन नहीं है । यहां रेलवे अधिकारियों तथा अन्य लोगों से तुलना करना ठीक नहीं है । पहली बात तो यह है कि रेलवे पदाधिकारी रेलवे में ही रहते हैं और वे निरन्तर रूप में वहां रह रहे हैं और उनका समस्त घरबार, इत्यादि चलता फिरता रहता है । खैर उससे भी अलग, मेरे विचार में नौकर रखने का काम एक अस्थाई समय तक के लिये रहने वाला है—क्योंकि इस समय भारत में आदमी सस्ते हैं और हम उन्हें अपने पास रखते हैं और वे काम भी करवाते हैं जो हमें स्वयं ही करने चाहियें । दूसरे देशों में—मैं समाजवादी तथा साम्यवादी देशों के बारे में नहीं कह रहा—नौकर बहुत ही कम मिलते हैं ।

इंग्लैंड में आपको बड़ी कठिनाई से नौकर मिल सकता है और अमरीका जैसे अमीर पूंजीवादी देश में भी ऐसा ही स्थिति हैं, क्योंकि वहां पर आदमी सस्ते नहीं हैं । लोग अपना अपना काम स्वयं करते हैं । और मैं समझता हूं कि हमारे लिये, संसद्-सदस्यों के लिये, ऐसी बात को बढ़ावा देना ठीक नहीं होगा ।

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें

रक्षा मंत्रालय के बारे में मांगें—जारी

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्या आपकी आज्ञा से मैं पहले वक्तव्य की त्रुटि को ठीक करने वाला एक वक्तव्य दे सकता हूं जो कि अभी रक्षा प्राक्कलनों के बारे में मैं ने दिया था ?

सभापति महोदय: निस्सन्देह ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: अभी मैं ने रक्षा प्राक्कलनों पर बोलते हुये गलती से एक वक्तव्य* दिया जो ठीक नहीं था; इसलिये मैं तुरन्त ही इसे ठीक करना चाहता हूं ।

---

*देखिये इसी वाद-विवाद का स्तम्भ २५९६

जो कुछ मैं ने कहा था, मैं उस के बारे में सोच रहा था। उस समय मैं ने कहा था कि कुछ वर्ष पूर्व हमारी सेना में एक भारतीय कमांडर-इन-चीफ तथा चीफ आफ़ स्टाफ़ होते थे, हमारे विमान बल में, मैं ने कहा था, एक भारतीय एक वर्ष पूर्व था; और नौ सेना में मैं ने कहा था कि कुछ महीनों के बाद एक भारतीय चीफ़ आफ़ स्टाफ़ होगा। पिछला वक्तव्य ठीक नहीं है क्योंकि अभी इस में कुछ और समय लगने की सम्भावना है। विद्यमान एडमिरल के बाद फिर हमें कुछ समय के बाद एक इंगलिश एडमिरल रखना होगा और उसके बाद हमें आशा है कि हमारे हां भारतीय कमांडर होगा। मैं अपने वक्तव्य को इस लिये ठीक करना चाहता था ताकि कोई गलत धारणा न बनाई जाये।

संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

श्री रामजी वर्मा : संशोधन देने में जो मेरा अभिप्राय था वह मैं ने प्रकट कर दिया है। मेरा अभिप्राय थर्ड क्लास पास लेने से यह नहीं था कि हम कोई सरवेंट अपने साथ ला सकें। क्योंकि मैं अपना अभिप्राय प्रकट कर चुका हूं .....

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को भाषण देने की आज्ञा नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि क्या वह इसे वापस लेना चाहते हैं या नहीं ?

श्री रामजी वर्मा : जी हां, मैं अपना एमेंडमेंट (संशोधन) वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"खण्ड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १, नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं इस सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता, केवल एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जहां रेलवे नहीं, जैसे कि मनीपुर, आदि में, वहां की स्थिति क्या होगी--क्योंकि यह तो केवल रेलवे से ही सम्बन्धित है। इसलिये जो लोग वायु-यात्रा करते हैं क्या उन्हें भी किराया दिया जायगा ?

श्री सत्यनारायण सिंह: मुझे बताया गया है कि शीघ्र ही नियमों का पुनरीक्षण किया जा रहा है और तब इन सारी बातों पर विचार किया जायेगा। मैं नहीं बता सकता कि इस समय नियम क्या हैं।

श्री के० के० बसु : आप कहते हैं कि नियम बनाने के अधिकारों के अन्तर्गत आप इस मामले पर विचार करने के लिये सक्षम हैं—किन्तु...

श्री सत्यनारायण सिंह : वे नियम अब लागू होंगे।

सभापति महोदय: विधेयक केवल रेलवे यात्रा से सम्बन्धित हैं।

श्री के० के० बसु : मैं तो केवल इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : यह विधेयक तो केवल रेलवे यात्रा से सम्बन्धित है।

श्री के० के० बसु : यह ठीक है कि यह संशोधन केवल एक टैक्नीकल स्वरूप का है, किन्तु मैं तो इस बात का स्पष्टीकरण कराना चाहता था ।

श्री सत्यनारायण सिंह: जैसा कि मैं ने कहा है, सारे नियमों में संशोधन किया जा रहा है और हम इस मामले पर भी विचार करेंगे । यदि माननीय सदस्य समिति के पास एक ज्ञापक भेज दें तो समिति उस बात पर भी विचार करेगी ।

श्री पी० एन० राजभोज : जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूं । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहिबान अपने पास चार चार चपड़ासी और दूसरे सरकारी कर्मचारी क्यों रखते हैं । इसकी क्या आवश्यकता है ? मैं अमरीका गया था और मैं ने वहां देखा है एम० पीज को प्राइवेट सेक्रेटरी मिलता है, स्टेनोग्राफर मिलता है और टाइपिस्ट मिलता है । हम चाहते हैं कि हमें भी यहां पर कम-से-कम एक एक प्राइवेट सेक्रेटरी या स्टेनोग्राफर दिया जाये ।

हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने जो कुछ मेरे बारे में कहा है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे बड़ी बड़ी कोठियों में क्यों रहते हैं ? झौंपड़ियों में क्यों नहीं ठहरते ? थर्ड क्लास में जायें, आनन्द हो जायेगा । मैं उन से यह भी कहता हूं कि देश का उद्धार करने के लिये सच बोलना ठीक होता है । बगल में छुरी मुंह में राम राम, रघुपति राघव राजा राम, वाली बात नहीं होनी चाहिये । हम भी चाहते हैं कि हमें अपने देश के अन्दर सर्वेंट का यूज़ नहीं करना चाहिये । जैसा कि हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे, हम भी चाहते हैं कि हम अपने हाथ से काम करें । हम इसके खिलाफ़ नहीं हैं । लेकिन हमारे पास काम ज्यादा है । हमारे पास न कोई टाइपिस्ट होता है और न स्टेनोग्राफर होता है । इससे हमको काम में बहुत दिक्क़त होती है । आपने हमको एअरकंडीशन्ड की भी सहूलियत नहीं दी है । लेकिन अगर आप बंगले में न रह कर झोंपड़े में रहें तो मुझे भी आनन्द हो । कम्युनिस्ट भाई तो सब मज़ा करते हैं और हमारे लिये कहते हैं कि तुम थर्ड क्लास का विरोध करते हो । हम चाहते हैं कि सब को समानता मिले ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं छोटी बातें नहीं कहना चाहता । पार्लियामेंट के मेम्बर देश के प्रतिनिधि हैं और इसलिये अगर वे अपने भत्ते के लिये और थर्ड क्लास के लिये झगड़ा करें, यह मैं नहीं चाहता । लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने यहां आकर बड़ा तत्वज्ञान बताया है कि किसी को नौकर साथ नहीं लाना चाहिये । इस क्लास और नौकर के बारे में मैं एक बात आप से कहना चाहता हूं । यह खाली दिखाने के लिये और प्रस्ताव पास कराने के लिये कहा जा रहा है या वास्तव में उनका यही मतलब है ? क्या वास्तव में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस प्रकार की समाज-रचना करना चाहते हैं जिसमें कोई भी सरवेंट नहीं रखेगा और न रेल में सरवेंट ले जायगा । अगर ऐसा आप करें तब तो यह ठीक है ।

जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस बिल का विरोध करता हूं । मैं यह नहीं चाहता कि हमको फर्स्ट क्लास होना चाहिये । लेकिन आपने जो पद्धति निकाली है वह बड़ी अपमान-जनक है । मैं मद्रास जा रहा था तो मैं ने देखा कि अनन्तशयनम् अय्यंगार साहब तो सैंकिंड क्लास में जा रहे थे और सेक्रेटरी एअर कंडीशन्ड में जा रहे थे । यह क्लासेज़ की पद्धति तो आपने ही शुरू की है । मैं तो कहता हूं कि वोटर (मतदाता) सब से बड़ा है, हमें वोटर (मतदाता) के साथ बैठना चाहिये ।

परन्तु अभी इस प्रकार की समानता तो आप समाज में लाये नहीं हैं। आप अपने उपाध्यक्ष को तो सैकिंड क्लास में भेजते हैं और आपके अफसर एअर कंडीशन्ड में चलते हैं। इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप या तो समानता के आधार पर या प्रैक्टिकेबिलिटी के विचार से नियम बनाइये जिसमें ग को सुविधा मिले। इतनी ही मेरी प्रार्थना है।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

सभापति महोदय : इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

श्री वेलायुधन : श्रीमान्, अब तो हम पासों का उपयोग करते हैं, किन्तु नये नियमों के अन्तर्गत हमें कई फार्म भरने पड़ेंगे जो बहुत कठिन काम है। दूसरे, लम्बी रसीद भी रखी है जिसे भर कर देना है।

श्री सत्यनारायण सिंह : इस अधिनियम के अनुसार यह पुस्तक नहीं दी गई है। सभा को विदित है कि दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति है जिसमें सभी दलों के सदस्य हैं जो इन बातों पर विचार करते हैं। माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वह यह मामला उस समिति को सूचित करें। वहां इस पर चर्चा करनी अधिक संगत होगा।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या उस समिति के निर्णय सदस्यों को मानने पड़ते हैं। जब तक उनको नियमों में न रखा जाये तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं हो सकता।

श्री सत्यनारायण सिंह : संयुक्त समिति इस अधिनियम के अनुसार बनाई गई है। माननीय सदस्य को पता होगा कि कई बातें उस समिति को निर्दिष्ट की गई हैं। दोनों सदनों की यह एक स्थाई समिति है। इन सारे मामलों पर उस समिति में विचार किया जाता है। इसलिये मैं नहीं समझता कि कैसे इस के निर्णय दोनों सदनों पर प्रभावी नहीं हैं। यह बात मेरी समझ के बाहर है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री कासलीवाल (कोटा—झालावाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से, जो कि सभा में २३ मार्च, १९५५ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है"

यह प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को पहले से ही परिचालित किया गया है और कोई संशोधन भी प्राप्त नहीं हुये हैं—मुझे आशा है कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करेगी।

सभापति महोदय द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब सभा श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में श्री के० के० बसु के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी।

श्री नम्बियार अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री नम्बियार (मयूरम) : मुझे प्रसन्नता है कि आज इस समय माननीय श्रम मंत्री भी उपस्थित हैं ।

कल जब मेरे विधेयक पर यहां चर्चा हुई तो मैं यहां नहीं था किन्तु मैंने बड़े ध्यान से श्रम मंत्री तथा अन्य सदस्यों के भाषण पढ़े हैं । श्री डी० सी० शर्मा ने कहा है कि यदि ५ प्रतिशत सदस्यता को मान लिया गया तो एक एक उद्योग में बीस बीस कार्मिक संघ बनेंगे । श्री केशवैयंगार ने कहा है कि यदि यह विधि पारित हुई तो श्रमिकों के लिये बहुत बुरा होगा ।

मैं इन बातों को नहीं समझ सका हूं । खैर, श्री के० के० बसु के सुझावों से यह बात स्पष्ट है कि कार्मिक संघों को अनिवार्य मान्यता प्राप्त होनी चाहिये । उनके प्रतिनिधित्व का प्रत्येक विवाद किसी प्राधिकारी को सौंपा जा सकता है । वैसे सरकार यह उपदेश कर सकती है कि कार्मिक संघों की मान्यता के लिये किसी विधि की आवश्यकता नहीं, किन्तु ये सब बातें व्यर्थ हैं । इस देश में कार्मिक संघ आन्दोलन बहुत प्राचीन है और उसकी जागृति ने अब स्थिति उत्पन्न कर दी है कि ऐसा विधान बनाया जाये कि नियोजकों को कार्मिक संघों को अनिवार्य मान्यता देनी पड़े । क्या माननीय मंत्री इसके लिये सहमत हैं । भूतपूर्व श्रम मंत्री ने यही बात कई बार कही थी । इसके बाद भी त्रैपार्श्विक सम्मेलनों में कार्मिक संघों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकार किया है । इन सब बातों के होते हुये मैं नहीं समझ सकता कि सरकार ने कैसे अब उससे हट जाने का निश्चय किया है । क्या इसका कारण यह है कि एक मंत्री के बदल जाने पर सरकार की नीति ही बदल जाती है ? यदि ऐसी बात है तो इस सम्बन्ध में स्पष्ट कह देना चाहिये उन्हें श्रमिकों को दोष नहीं देना चाहिये उन्हें कह देना चाहिये कि इस देश के श्रमिक संगठित नहीं हैं तथा उन्हें संसद् में मान्यता के लिये नहीं आना चाहिये । सरकार को स्पष्टतया कह देना चाहिये कि वह इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं । क्या आवड़ी अधिवेशन का यही भाव है ? क्या समाजवादी ढंग का समाज श्रमिकों को अनेक मूलभूत अधिकार न देकर ही बनेगा ? मुझे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य चाहिये । हमें अनिवार्य मान्यता के प्रश्न पर वास्तविक दृष्टिकोण से विचार करना होगा । यह बात ग़लत है कि देश के श्रमिक सगठित नहीं हैं—वैसे तो तथाकथित पश्चिमी लोकतन्त्रात्मक देशों में इस सम्बन्ध में शत प्रतिशत सदस्यता नहीं है । यदि आप कहते कि ५ प्रतिशत सदस्यता नहीं है यदि आप कहते कि ५ प्रतिशत सदस्यता की शर्त कम है, १० प्रतिशत होना चाहिये तो मैं इस बात को समझ भी सकता—किन्तु . . . .

श्री झूलन सिंह (सारन—उत्तर) : मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम उसी विषय पर दोबारा चर्चा कर रहे हैं । क्या यह उचित है और क्या इसकी आज्ञा दी जायेगी ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह उठाया गया है कि विधेयक पर चर्चा करते समय वास्तव में इन सारी बातों का उल्लेख हो चुका है । मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि विधेयक तथा संकल्प में क्या अन्तर है ?

श्री नम्बियार : अन्तर केवल यह है कि विधेयक में ५ प्रतिशत सदस्यता की शर्त थी और संकल्प में वह भी नहीं है ।

सभापति महोदय : यदि यही अन्तर है तो मैं माननीय मंत्री की बात सुनूंगा ।

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : जिस विधेयक को सभा ने अस्वीकृत किया उसमें और अब श्री बसु द्वारा रख गये संकल्प में कोई अन्तर नहीं है । जैसाकि श्री नम्बियार

ने कहा है, यदि ५ प्रतिशत सदस्यता की सीमा बहुत कम है तो यदि इसे बढ़ा दिया जाये तो वह इसे स्वीकार कर लेंग। इसका अर्थ स्पष्ट है कि उस अस्वीकृत हुये विधयक तथा संकल्प में कोई भी अन्तर नहीं है। अन्त में मुझे वही बातें कहनी पड़ेंगी जो मैं ने उस समय कही थीं जब विधेयक पर अन्तिम चर्चा हो रही थी।

श्री वेंकटरामन (तंजोर) : मैं आपका ध्यान नियम संख्या ३२१ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका आशय यह है कि किसी प्रस्ताव द्वारा सभा में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जिसके बारे में सभा ने उसी सत्र में निर्णय किया जा चुका हो।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री को सुनने के बाद मैं ने इस पर विचार किया है और श्री नम्बियार के अनुसार भी केवल ५ प्रतिशत सदस्यता के अतिरिक्त इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि विधेयक तथा संकल्प दोनों का अभिप्राय एक ही सा है इस लिये मैं यह मानता हूं कि नियम ३२१ के अनुसार इस पर चर्चा प्रतिषिद्ध है।

अब हम अगले संकल्प पर विचार करेंगे।

श्री नम्बियार : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

सभापति महोदय: मैं ने जब सभी लोगों की रायें पूछीं तो उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ और मैं ने अपना विनिर्णय सुनाया। विनिर्णय ग़लत हो या ठीक—किसी भी स्थिति में विनिर्णय है।

मूल्यों के संतुलन के बारे में संकल्प

श्री अमजद अली (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि कृषि वस्तुओं तथा कच्चे औद्योगिक माल की क़ीमतों के गिरने से देश के मूल्यों में उत्पन्न हुये असंतुलन को दूर करने के लिये तथा....."

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु कहना चाहता हूं कि वैसे तो हम अपने मंत्रालयों के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार की चर्चा का स्वागत करते हैं, किन्तु मेरे विचार में यह संकल्प खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर के वाद-विवाद के समान है, विशेषकर जब कि मूल्यों के सम्बन्ध में एक से अधिक कटौती प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। अतः मैं आपका विनिश्चय चाहता हूं कि क्या हमने आज ही उसी प्रकार के विषय पर चर्चा नहीं की; और मेरे वरिष्ट साथी माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक व्यापक वक्तव्य भी दिया। यदि इस पर भी मुझे एक वक्तव्य देने को कहा गया तो वह भी ठीक उससे मिलता जुलता ही होगा जैसा कि अभी सभा में दिया जा चुका है और वादविवाद भी हो चुका है और साथ ही कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत भी हो चुके हैं। मेरे विचार में इस संकल्प पर भी पहले संकल्प के समान ही आपत्ति है।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की कुछ मांगों के कटौती प्रस्ताव.....

सभापति महोदय: सब से पहले प्रस्तावक महोदय अपने विचार प्रकट करें।

श्री अमजद अली : मेरे संकल्प का विषय यह सिद्ध कर देगा कि कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये जाने थे....

डा० पी० एस० देशमुख: जो प्रस्तुत होकर अस्वीकृत हो चुके हैं।

श्री अमजद अली : क्या माननीय मंत्री का यही विचार है कि मेरे संकल्प का एक समान विषय है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा विचार यह है कि कटौती प्रस्तावों में यदि एक जैसी ही नहीं तो लगभग उसके समान बातें हैं ।

सरदार लाल सिंह (फ़िरोज़पुर—लुधियाना) : मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस चर्चा को चलने दें, क्योंकि कई आवश्येक बातों पर विचार करना अभी शेष है ।

सभापति महोदय : इस पर चर्चा करने की वांछनीयता का प्रश्न नहीं है, किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इसी प्रकार के सारवान प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है और सभा ने निर्णय कर लिया है, और क्या हमें इसकी आज्ञा देनी चाहिये अथवा नहीं ?

श्री ए० एम० थामस : श्रीमान्, चर्चा करने में अड़चनें हैं । कटौती प्रस्ताव संख्या ३८० तथा ४३२ द्वारा कृषि मूल्यों पर चर्चायें हो चुकीं हैं । इसी प्रकार अन्य कटौती प्रस्ताव संख्या ६०३ तथा ६२० भी समान विषयों के सम्बन्ध में थे ।

श्री के० के० बसु (डयमण्ड हार्बर) : श्री थामस एक ऐसे कटौती प्रस्ताव की ओर निर्देश कर रहे थे जो कि प्रस्तुत ही नहीं हुआ है ।

सभापति महोदय : क्या इस प्रकार का एक भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है ?

श्री के० के० बसु : किन्तु यह संकल्प अधिक स्पष्ट है तथा सरकार द्वारा एक स्पष्ट नीति अपनाने के लिये बनाया गया है ।

सभापति महोदय : यदि इस विषय पर कोई भी कटौती प्रस्ताव है तो मैं समझूंगा कि इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और निर्णय हो चुका है । इसलिये माननीय मंत्री इसे देख कर मुझे सूचना दें ।

श्री बंसल (झज्जर—रेवाड़ी) : श्रीमान्, यह संकल्प केवल मूल्यों में असंतुलन के बारे में ही नहीं है बल्कि इसके द्वारा मूल्य-समर्थन की अपेक्षा भी की गई है । यदि किसी कटौती प्रस्ताव में ऐसी बात नहीं तो हमें इस पर चर्चा की आज्ञा देनी चाहिय ।

सभापति महोदय : इसी लिये मैं यह देखना चाहता हूं कि कोई स्पष्ट तत्सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव तो नहीं था । वैसे तो सारे ही विषय पर चर्चा हो चुकी है और माननीय मंत्री उत्तर भी दे चुके हैं ।

सभा को कृषि उत्पादों के साथ साथ औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों के गिरने के बारे में भी चर्चा करने का अधिकार है ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम २२९ (९) में कहा गया है कि जो विषय पूर्व से ही उसी सत्र में विचार करने के लिये निश्चित कर लिया गया है, उस सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा । यह संकल्प खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के सभा में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही सभा के समक्ष था । कटौती प्रस्ताव को उसी समय अस्वीकृत कर देना चाहिये था । क्योंकि ऐसा नहीं किया गया, अतः इस संकल्प की चर्चा पर कोई भी आपत्ति नहीं उठानी चाहिये ।

श्री के० के० बसु : एक कटौती प्रस्ताव मेरे माननीय मित्र श्री चौधरी के नाम में था और उसको मेरे माननीय मित्र श्री थामस ने पढ़ कर सुनाया । इसकी वजह से ही हमने उस विशिष्ट कटौती प्रस्ताव को जान बूझ कर प्रस्तुत नहीं किया ।

सभापति महोदय : कटौती प्रस्ताव संख्या ४३२ और ६२० प्रस्तुत किये गये थे और उन पर चर्चा की गई थी ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : इसके पूर्व कि आप अपना निर्णय दें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं । आपने अभी कहा कि यह संकल्प बहुत व्यापक है । यह केवल कृषि उत्पादकों के सम्बन्ध में न हो कर आयातित और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों का भी उल्लेख करता है । मैं नहीं समझता कि खाद्य तथा कृषि मंत्री इस मामले में कुछ कह सकते हैं ।

सभापति महोदय : मेरी समझ में इस संकल्प का सारांश यह है कि कृषि उत्पादों के मूल्य गिर गये हैं, जब कि निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में उनके अनुसार कमी नहीं आई है । अतः खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित प्रस्तावों पर चर्चा करते समय इस प्रश्न पर भी चर्चा कर ली गई है ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व): इस संकल्प के दूसरे भाग में मूल्यों के गिरने से रोकने की नीति के बारे में कहा गया है । मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कोई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । किन्तु यह बात भी यहां पर है ।

सभापति महोदय : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, सभा को पूरी तरह से ज्ञात है कि यद्यपि मूल्यों के गिरने से रोकने का विषय कटौती प्रस्ताव का विषय नहीं है किन्तु इस पर काफी चर्चा की गई थी क्योंकि खाद्य तथा कृषि मंत्री ने अपने उत्तर में प्रश्न के इस भाग पर काफी समय लगाया था । उन्होंने विस्तृत रूप में यह बताया कि इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया है और क्या करने का विचार है । अतः इस विषय को अवश्य लेना चाहिये ताकि उस पर भली प्रकार चर्चा की जा सके । नियम यह है कि जिस विषय पर सभा ने उसी सत्र में अपना निर्णय दे दिया हो, वस्तुतः उस जैसे ही प्रश्न को उठाने वाला कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री साधन गुप्त : मूल्यों को गिरने से रोकने के विषय पर सभा ने अपना कोई निर्णय नहीं दिया है क्योंकि इस सम्बन्ध में सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं था । अतः अब सभा यह निर्णय करे कि क्या वह इस प्रकार की नीति चाहती है और यदि हां तो वह नीति किस प्रकार की होनी चाहिये ।

सभापति महोदय : मेरे विचार में अनेक माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं और खाद्य तथा कृषि मंत्री ने यह बताया है कि वे इस नीति का समर्थन करते हैं । आज भी सभा में स्पष्ट रूप से उन्होंने यह बताया है कि सरकार ने इस नीति को स्वीकार कर लिया है । अब मेरे विचार म कुछ भी शेष नहीं रहता । इस विषय पर पूरी तरह से चर्चा हो गई है और सभा की इच्छाओं के अनुसार निर्णय सुना दिया गया है । अब हम अगले प्रश्न को लें । मैं सारे सदस्यों के भाषण सुन चुका हूं और मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है । मैं इसमें कुछ भी संशोधन करना नहीं चाहता ।

श्री के० के० बसु : मैं आपके निर्णय को स्वीकार करता हूं किन्तु मैं केवल एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं । यह संकल्प अंशतः औद्योगिक कच्चे माल से सम्बन्धित है और खाद्य मंत्रालय उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकता । यदि यह समझा जाय कि संकल्प के एक भाग पर चर्चा नहीं हुई है या उस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया गया है, तो क्या हम उस सम्बन्ध में चर्चा कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा करना नहीं चाहता । यदि माननीय

[सभापति महोदय]

सदस्य सारे संकल्प का अध्ययन करें, तो उन्हें मालूम होगा कि प्रथमतः असन्तुलन का प्रश्न आता है, अर्थात् कृषि उत्पादों के मूल्य गिर गये हैं और उसके विपरीत निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। अतः यह स्पष्ट है कि मूल्यों के गिरने से रोकने की नीति अपनानी चाहिये, और इस नीति को, जैसा कि मैं ने निवेदन किया, सरकार ने स्वीकार कर लिया है। माननीय मंत्री ने इस पर विस्तारपूर्वक कहा है। अतः मेरे विचारानुसार इस संकल्प से सम्बन्धित सारे विषयों पर भली प्रकार चर्चा की जा चुकी है।

श्री के० के० बसु: जहां तक निर्मित वस्तुओं की तुलना में औद्योगिक कच्चे माल की चर्चा का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं की गई है। मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या सरकार औद्योगिक कच्चे माल के सम्बन्ध में भी मूल्यों को गिरने से रोकने की नीति अपनायेगी। एक बार निर्णय देने पर यह भविष्य के लिये उदाहरण बन जायेगा।

श्री बंसल : यदि आप उसको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि मूल्यों के गिरने से रोकने की यह नीति कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक कच्चे माल दोनों के सम्बन्ध में है।

सभापति महोदय : मैं ने अपना विनिर्णय दे दिया है और अब मैं उसको बदलना नहीं चाहता। अब अगला संकल्प लिया जाये।

नदी घाटी योजनाओं के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : श्री झूलन सिंह।

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं निवेदन करता हूं कि यह संकल्प नियम ३२५ के उपबन्धों के अधीन आता है?

सभापति महोदय : उसमें आपत्ति की क्या बात है?

श्री हाथी : बात यह है। नियम ३२५ में कहा गया है कि कोई भी सदस्य ऐसे विषय पर चर्चा नहीं करेगा, जिसके बारे में सूचना पहले ही दे दी गई हो, परन्तु उस चर्चा की नियम विरुद्धता पर विचार करते समय अध्यक्ष महोदय इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि उचित समय में वह मामला सभा में प्रस्तुत होने की सम्भावना है।

जब सिंचाई मंत्रालय के लिये अनुदानों की मांगों के बारे में चर्चा की जायेगी, तभी हम इस पर चर्चा करेंगे। यह नीति का प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि सिद्धान्त रूप में इसको योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है। यह वस्तुतः वही मामला है; एक नीति की घोषणा की गई है और वह स्वीकार भी कर ली गई है; वस्तुतः वह नीति वही है किन्तु वह औचित्य प्रश्न से प्रसंग संगत नहीं है। नियम के अनुसार प्रसंग संगत यह है कि वह विषय उचित समय में सभा के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जायगा। अतः, मेरी समझ में संकल्प नियम विरुद्ध है।

सभापति महोदय: यह तो बिल्कुल ठीक है कि जहां तक सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का सम्बन्ध है, उसकी मांग प्रस्तुत होने वाली है किन्तु यह हम नहीं कह सकते कि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगें अथवा नहीं और इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहा भी नहीं जा सकता।

द्वितीय, मैं निश्चय रूप में यह जानना चाहता हूं, कि जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है, इस संकल्प की सूचना कब दी गई थी तथा कटौती प्रस्ताव की सूचना कब दी गई थी, क्योंकि जब कि सूचना

दी गई थी यह नहीं कहा जा सकता था कि यह मामला आयव्ययक सम्बन्धी चर्चा के दौरान में आ जायेगा । अन्ततः, यह सम्भव है कि इस विशिष्ट मांग के अधीन इस प्रस्ताव पर बिल्कुल चर्चा ही न हो, जैसा कि अन्य मांगों के अधीन अनेक कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में हुआ है । अतः, मेरा विचार है कि संकल्प प्रस्तुत किया जाये और उस पर अभी चर्चा की जाये ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : इस संकल्प के लिये कितना समय नियत किया गया है ।

सभापति महोदय : दो घंट । श्री झूलन सिंह ।

श्री झूलन सिंह (सारन उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "इस सभा की यह राय है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जाने वाली नदी घाटी योजनाओं के लिये पूर्ववर्तिता निश्चित करने में उन योजनाओं को अधिमान दिया जाना चाहिये जिनसे अपेक्षाकृत कम लागत पर शीघ्र ही परिणाम निकल सकते हैं ।"

इस संकल्प की भाषा स्पष्ट है, किन्तु फिर भी इस उद्देश्य से कि किसी के मन में कोई भ्रम पैदा न हो, प्राक्कथन के रूप में मैं कुछ शब्द कहना चहता हूं । इस संकल्प के प्रस्तुत करने में मेरा ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है कि मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में जिस रूप में योजनायें चलाई गई हैं, उस पर कोई आक्षेप कर रहा हूं। मैं तो सरकार को केवल यह बताना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना को जिस प्रकार से चलाया जा रहा है, उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

पंचवर्षीय योजना के नवीनतम प्रगति प्रतिवेदन से हमको पता चलता है कि ३१ मार्च, १९५४ तक सिंचाई और विद्युत् पर कुल ४४० करोड़ रुपये खर्च हुये और उससे २८ लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचने की आशा है और ४$^{1}/_{2}$ लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी । मेरी अपनी धारणा यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो बड़ी बड़ी योजनायें रखी गईं, वे केवल इसलिये रखी गईं, क्योंकि कुछ राज्यों का ध्यान था, कुछ सरकार के उच्च पदाधिकारियों की प्रतिज्ञाओं तथा अन्य कुछ ऐसी ही बातों का ध्यान था और परियोजनाओं के गुणावगुणों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था । अपनी बात को स्पष्ट करने के लिये मैं एक विशिष्ट योजना का उदाहरण देता हूं, जोकि मेरे राज्य अर्थात् बिहार की है और जिसको अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है । भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक इंजीनियर ने उस योजना की पूरी तरह से जांच की और बिहार सरकार, सम्भवतः केन्द्रीय सरकार को भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रसंगवश मैं उसके कतिपय लाभों का उल्लेख करता हूं । उस योजना की सब से प्रथम विशेषता यह है कि भारत में अभी तक जितनी योजनायें ली गई हैं, उन में वह सबसे कम लागत की है । इस योजना की दूसरी विशेषता यह है कि इस योजना से राजस्व आय अत्यन्त सन्तोषजनक है, अर्थात् कुल पूंजी व्यय पर ७.७५ प्रतिशत है । तीसरी विशेषता यह है कि इस योजना की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों तथा जूट और गन्ने इत्यादि की जो अतिरिक्त उपज होगी, उससे एक ही साल में सारा खर्चा निकल आयेगा । चौथी विशेषता यह है कि बिहार राज्य में योजना की कमी पूरी तरह से दूर हो जायेगी और आवश्यकता से अधिक पैदावार होने लगेगी । इसकी पांचवीं विशेषता

[श्री झूलन सिंह]

यह है कि इससे उद्योगों का विकास होगा, रेल तथा सड़क यातायात में वृद्धि होगी और गन्ना उपकर, कृषि आयकर इत्यादि से लोक वित्तों में वृद्धि होगी ।

बिहार सरकार इस योजना को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी, क्योंकि उसे कोसी या गंडक दोनों योजनाओं में से एक को चुनना था । स्वभावतः क्योंकि कोसी योजना से एक बहुत बड़ी बरबादी की समस्या हल होती थी, बिहार सरकार ने उसी को चुना और उसी के लिये आग्रह किया । अब, कोसी योजना कार्यान्वित की जा रही है । मैं यह बताना चाहता था कि यह योजना, जो कि देश भर में सब से कम लागत की है तथा जिसको सरलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है, उसकी विशेषताओं की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है और योजनाओं का चुनाव करते समय जिन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये था, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है । इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं, जो योजनायें चल रही हैं, उनके विरोध में हूं अथवा उनके लाभों को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगली पंचवर्षीय योजना में सरकार, बजाय इस बात का ख्याल करने के एक राज्य में एक योजना चल रही है या दो योजनायें, इस बात की ओर विशेष ध्यान दे कि किन किन योजनाओं से कम लगात में और शीघ्र ही अच्छे परिणाम निकल सकते हैं । मैं यही कहना चाहता हूं ।

मध्यान्ह से पूर्व चर्चा के दौरान में हमने सुना है कि योजना के रूप में हमारा देश स्वावलम्बी हो गया है और अब अन्य देशों से खाद्यान्न मंगाने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु स्थिति इतनी नाजुक है कि शीघ्र ही हम उसी अवस्था में पहुंच सकते हैं, जिसका हमें नियन्त्रण के दिनों में सामना करना पड़ा था ।

अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि कम लागत में जल्दी और अधिक से अधिक अन्न पैदा हो । इस संकल्प के द्वारा मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि नदी घाटी योजनाओं का चुनाव करते समय सरकार योजना की लागत, उसकी कार्यान्विति तथा उसके लाभों का विशेष ध्यान रखे ।

सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि वह समाज में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहती है । मुझे आशा है कि वह उन्हीं कार्यों को करेगी जो कि उसके इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे । देश अब एकता की ओर अग्रसर हो रहा है ; अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह कोई भी काम करते समय अन्य प्रकार के विचारों का ध्यान न रखे ।

मैं इतना कह कर समाप्त करता हूं कि जो योजनायें चलाई जा रही हैं उन पर आक्षेप करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है । वस्तुतः ये योजनायें इतनी उत्तम और लाभदायक हैं कि केवल बाहर वाले ही इनकी प्रशंसा नहीं करते, अपितु उनसे अपने लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है । मैं चाहता हूं कि इन योजनाओं को शीघ्र ही सफलतापूर्वक पूरा कर दिया जाये, ताकि जनता उनका लाभ उठा सके । मुझे आशा है कि सरकार अपने संसाधनों को संचित करके तीव्र गति से इन योजनाओं को पूरा करेगी और अगली पंचवर्षीय योजना में गंडक योजना जैसी योजनाओं का भी ध्यान रखेगी ।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहती हूं कि सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं अपने माननीय मित्र श्री झूलन सिंह द्वारा रखे गये संकल्प का सामान्य समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस देश में प्रति वर्ष बड़े बड़े क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त होते हैं, जहां न केवल सम्पत्ति और फसलों की हानि होती है वरन् कई जानें भी नष्ट हो जाती हैं । कई स्थानों पर समय समय पर ऐसी बाढ़ें आती रहती हैं ।

मेरा सम्बन्ध ऐसे राज्य से है जहां प्रति वर्ष बाढ़ आती है । मिदनापुर ज़िले के घटाल और सदर उप डिवीज़नों में तो प्रतिवर्ष बहुत बाढ़ आती है । इसी कारण सरकार ने कतिपय सर्वेक्षण किये हैं और कतिपय योजनाओं का परीक्षण टेक्निकल समिति कर रही है ।

मैं इस सम्बन्ध में कंसावती जलाशय योजना और सिलावती परियोजना की ओर ध्यान दिलाते हुए यह कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं का परस्पर सम्बन्ध है, अतः इन्हें एकीकृत कर लेना चाहिये और इन्हें एक साथ आरम्भ करना चाहिये । अन्यथा सरकार के प्राक्कलन के अनुसार इस पर २३ करोड़ रुपये तक का इतना अधिक व्यय भी हो जायेगा और उस से इतना लाभ नहीं होगा । यद्यपि इस से १४६ मील लम्बे बांध की रक्षा हो जायेगी परन्तु जहां अन्य नदी के कारण बाढ़ें आती है उन बाढ़ों को रोका नहीं जा सकेगा । योजनाओं के एकीकृत करने से व्यय अधिक नहीं होगा ।

देश में कतिपय स्थानो पर नदी की एक ओर बांध बने हुये हैं और दूसरे तट पर कोई बांध नहीं है ।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुये]

इस से एक ओर के लोगों को तो कुछ सुरक्षा प्राप्त हो जाती है परन्तु दूसरे तट के लाखों लोगों को अधिक बाढ़ के समय न केवल अपने पशुओं, फसलों और घरों की हानि उठानी पड़ती है और कभी कभी जानों से भी हाथ धोना पड़ता है । अतः परियोजनायें कुछ इस प्रकार की बनानी चाहियें जिनसे इन लोगों की भी सुरक्षा हो सके । इन परियोजनाओं को एकीकृत करने से भूमि की उपज में भी वृद्धि होगी । अतः इन दो योजनाओं को एकीकृत करने के लिये मैं अनुरोध करता हूं ।

मैं गंगा बांध परियोजना के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं, जो कि न केवल पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भागों के लिये ही अत्यावश्यक है वरन नदियों के समुद्रवर्ती तट पर के भागों के लिये भी महत्वपूर्ण है ।

संकल्प में रखे गये इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कि उन परियोजनाओं को अधिमान देना चाहिये जिनसे शीघ्र लाभ हो सकता है और जिन पर व्यय अधिक नहीं होगा मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी परियोजनायें हैं जिन पर व्यय अवश्य अधिक होगा परन्तु उनसे शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने की आशा है । मैं समझता हूं कि हमें केवल उन योजनाओं को ही आरम्भ नहीं करना चाहिये जिन से कम लागत पर शीघ्र लाभ होगा प्रत्युत कतिपय मामलों में ऐसी परियोजनाओं को भी लेना चाहिये जिन पर लागत कम नहीं आयेगी ।

कोसी क्षेत्र में इन कतिपय इंजीनियरों की सहायता से जो चीन से अनुभव प्राप्त करके आये हैं, एक नया प्रयोग किया जा रहा है । हम चाहते हैं कि वह प्रयोग सफल हो । निश्चय ही वह सस्ता प्रयोग होगा ।

[श्री एन० बी० चौधरी]

परन्तु इस नवीन टेक्नीक की अपेक्षा हमें देश के बोरोज़गार श्रमिकों पर अधिक निर्भर करना चाहिये । तब हमें विदेश से बड़ी मशीनरी भी नहीं मंगवानी पड़ेगी और उस से काफी विदेशी मुद्रा बच सकेगी । कृषक श्रमिक वर्ष में अधिक समय बेकार रहते हैं । फसल की कटाई के पश्चात् उन्हें बांध बनाने और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है । जो इंजीनियर चीन गये थे उन्होंने प्रारम्भिक प्रतिवेदन में बताया है कि वहां लोग कटाई के पश्चात् १-४-० रुपया से २ रुपये की दैनिक मजूरी पर इन परियोजनाओं में काम करते हैं । यदि भारत सरकार भी इन श्रमिकों को इन कामों में लगाये तो काम बहुत सस्ता हो सकेगा ।

पश्चिमी बंगाल में २४ परगना और मिदनापुर और हुगली के ज़िले में कतिपय परियोजनाओं की आवश्यकता है और वहां उन से लाभ भी शीघ्र ही होगा । विशेषतः इस वर्ष वहां पर अन्नाभाव रहा है । यदि सरकार इन परियोजनाओं को शीघ्र आरम्भ करदे जो उसके विचाराधीन हैं तो वह इन लोगों को काम में लगा सकती है और उस से लाभ भी शीघ्र ही होगा ।

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : यदि आप पूर्व सूचना की शर्त को हटा देते तो मैं इस प्रस्ताव का संशोधन प्रस्तुत करना चाहता था ।

सभापति महोदय : इस के लिये ज़बानी प्रार्थना नहीं की जा सकती । जब तक मेरे पास लिखा हुआ कुछ न आये मैं पूर्व सूचना की शर्त को कैसे हटा सकता हूं ?

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मझे संकल्प के मुख्य उद्देश्य से पूरी सहानुभूति है परन्तु मैं उस में कतिपय साधारण परिवर्तन करना चाहता हूं ।

निस्सन्देह केन्द्रीय या राज्य सरकार प्रायः अधिमानता निश्चित करने के लिये उन योजनाओं को चुनेगी जिनका कम लागत पर शीघ्र लाभ हो । परन्तु ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जब सरकार को सब से कम लागत वाली योजनायें चुनी होंगी ।

कोसी योजना को ही लीजिये । सम्भवतः यह योजना कम लागत वाली और शीघ्र फल प्रदान करने वाली नहीं होगी । परन्तु इसे उन कारणों से आरम्भ करना पड़ा जो सभा के सभी सदस्यों को विदित है । ऐसी स्थिति का उपबन्ध करने के लिये मैं संकल्प में यह संशोधन करना चाहता था कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को यह रक्षित अधिकार मिल जायें जिस से वह कतिपय विशेष अवसरों पर अन्य प्रकार की योजनाओं को अधिमान दे सके । मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि इस सहित संकल्प को स्वीकार किया जाये ।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : प्रथम पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपये व्यय किया गया है परन्तु फिर भी दक्षिण और विशेषतः त्रावनकोर-कोचीन राज्य से बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है । अतः मैं संकल्प का विरोध करती हूं ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल २६५·१० करोड़ रुपया व्यय किया गया था जिसमें से ७७·७४ करोड़ सिंचाई परियोजनाओं पर और १९५३ तक ६६·८४ करोड़ रुपया विद्युत परियोजनाओं पर व्यय हुआ था । परन्तु उसका कितने प्रतिशत दक्षिण पर व्यय किया गया ? इस से मैं यह बताना चाहती हूं कि दक्षिण की ओर कितना कम ध्यान दिया गया है ।

दक्षिण के क्षेत्र और जनसंख्या तथा त्रावनकोर-कोचीन राज्य द्वारा केन्द्रीय कोष के लिये अर्जित राशि का ध्यान रखते हुये हम देख सकते हैं कि दक्षिण का कितना महत्व है । हमारे राज्य की जनसंख्या ९२,८०,४२५ है जब कि पंजाब की जनसंख्या १,२६,४१,२०० है परन्तु पंजाब की केवल भाखड़ा-नंगल परियोजना पर ही ५५०० लाख रुपये व्यय किये जाते हैं । त्रावनकोर-कोचीन राज्य ने केवल वर्ष १९५४ के सीमा शुल्क में लगभग ४१,०४,५२७ रुपये की राशि अर्जित की है । ऐसी स्थिति में प्रस्तावक को क्या अधिकार है कि वह इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत करे जिस से केवल शीघ्र फल प्रदान करने वाली परियोजनाओं को ही पूरा किया जाये । सारे भारत में राष्ट्रीय निधि के समान वितरण पर क्या आपत्ति है ?

सिंचाई नल-कूप भमि सुधार और खाद के लिये २८·३२ करोड़ रुपया रखा गया है जिस में से त्रावनकोर-कोचीन को कुछ नहीं मिला और दक्षिण को बहुत कम मिला है । इसी प्रकार केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये रखी गयी राशि में से त्रावनकोर कोचीन को कुछ भी नहीं मिला और दक्षिण को बहुत कम मिला है । यदि दूसरी पंचवर्षीय योजना में नियत की गई राशि को भी उत्तर भारत में ही बांट दिया गया जहां पहले ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों में करोड़ों रुपया लगाया गया है तो हम भूखों मर जायेंगे और अपना दक्षिण भारतीय गण-राज्य बना लेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर इस रिजोल्यूशन को मामूली तौर पर देखा जाय तो शायद ही कोई इसकी मुखालिफत कर सकता है । ताहम मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो बातें मेरी बहन मिस मैस्करीन ने फरमायी हैं, वे चाहे उस कंटैक्स्ट में बिल्कुल दुरुस्त न हों जिस कंटैक्स्ट में उन्होंने फरमायी हैं, लेकिन मैं इस रिजोल्यूशन को एबसोल्यूट तौर पर मानने को तैयार नहीं हूं ।

पहली फाइव इअर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में जब गवर्नमेंट ने यह फैसला किया तो उस वक्त तो यह फैसला दुरुस्त था कि इस फाइव इअर प्लान में जो ज्यादा रिवर वैली स्कीम्स (नदी घाटी योजनायें) थीं और जो ईरिगेशन प्रोजक्ट्स थे वह उन इलाकों के अन्दर बनाये जायें जहां पानी ज्यादा है और जहां इनको बनाने से ज्यादा फायदा हो सकता है और जहां इनको आसानी से बनाया जा सकता है । उस वक्त मुसीबत यह थी कि हमारे पास खुराक़ काफ़ी नहीं थी और खुराक़ की पैदावार ज़रूरी चीज़ थी । इस वास्ते ऐसे इलाकों की तरफ़, कि जहां पर इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और यह ठीक ही किया गया । उस वक्त यह ज़रूरी था कि जल्दी खुराक़ पैदा की जाय और इसलिये यह वाजिब नहीं था कि उस वक्त खराब इलाक़ों पर रुपया ज़ाया किया जाता । उस वक्त खुराक़ की बहुत ज्यादा ज़रूरत थी और इसलिये यह अच्छा ही था कि जहां ज्यादा से ज्यादा खुराक पैदा हो सकती है वहां रुपया खर्च किया जाय । चुनांचे ऐसा किया गया । लेकिन अब सैकिंड फाइव इअर प्लान में भी उन्हीं इलाक़ों को फायदा पहुंचाना, कि जहां पानी की बहुतायत है, दुरुस्त नहीं है । जब हमने कांस्टीट्यूशन में दफा १४ रखी थी सभी इन्सानों के वास्ते कि सब को ला का ईक्वल प्रोटेक्शन होगा, उस वक्त यह भी चाहिये था कि हम यह उसूल भी मान लेते जहां तक कि रीजन्स का सवाल है वहां भी ईक्वालिटी रखी जायेगी । यह ग़लत है कि सिर्फ़ हिन्दुस्तान

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के एक ही हिस्से में तरक्की करें। जितने पसमादा लोग या इलाक़े हैं उनका हक़ है कि उनको दूसरे लोगों ओर इलाकों के दर्जे तक उठाया जाय।

मुझे इस सिलसिले में रायलसीमा की मिसाल याद आती है। रायलसीमा वालों ने कहा था कि हम बैकवर्ड एरिया वाले हैं। हमारा मद्रास से फैसला हो चुका है। उन्होंने कहा कि वे आन्ध्र के साथ उस वक्त तक नहीं जाना चाहते जब तक कि वह यह न कहे कि हम इतना रुपया तुम्हारे लिये खर्च करना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो बैकवर्ड इलाक़े हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिय और जब स्कीमें बनायी जायें तो उनको पसेपुश्त न डाल दिया जाय, पोलीटिकल कंसीडरेशन्स से या किसी और वजह से। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो मैं हिन्दुस्तान के हर हिस्से में तमीज़ करने लगूंगा और मैं हिन्दुस्तान को एक नहीं कह सकूंगा। इसलिये जिन इलाक़ों में बैकवर्डनैस है उनकी तरफ़ गवर्नमेंट की निग़ाह जाना ज़रूरी है।

मुझे मेरे दोस्त हाथी सिंह साहब की कर्टसी से एक किताब पढ़ने को मिली है जिसमें प्लानिंग कमीशन के उसूल वाज़ह तौर पर दिये गये हैं। मुझे उनको पढ़ कर निहायत खुशी हुई। उसमें इन चीज़ों की रियायत रखी गयी है। उसमें यह दिया गया है कि चीप कास्ट पर काम हो। इससे कौन इन्कार कर सकता है। लेकिन उसमें जो पांच चीज़ें दी गयी हैं उनसे मालूम होता है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जायगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शिकायत करता कि इसमें रीज़न वाइज ईक्वालिटी नहीं है। और उस हालत में कोई भी इलाका हमसे जदा होने की धमकी दे सकता था और कह सकता था कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। अगर मेरे साथ इन्साफ़ नहीं होगा तो मैं ऐसा महसूस जरूर करूंगा और जब मैं साउथ की तरफ़ से सुनता हूं कि हमको मदद नहीं दी गयी तो मैं नाराज़ नहीं होता बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि यह लोग बैकवर्ड हैं, इनको पहले मदद देनी चाहिये। और मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जो इलाक़े पसमांदा हैं और जहां पानी की तक़लीफ़ है पहले उनको प्रिफरेंस देनी चाहिये।

बदक़िस्मती से मेरे इलाक़े का एक हिस्सा सारे हिन्दुस्तान से ज्यादा बैकवर्ड है। मैं सारे जिले हिसार की शिक़ायत नहीं करता। मेरा वह इलाक़ा उतना ही बैकवर्ड है जैसा कि मेरी बहिन का इलाक़ा है।

सभापति महोदय: वह भी पानी की शिक़ायत करती थीं। तो भाई बहिन आपस में फैसला कर लें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं पेप्सू या हिसार की शिक़ायत नहीं करता क्योंकि ये इलाक़े तो भाखड़ा डैम से पानी हासिल करेंगे और उनमें भाकड़ा डैम के पानी से आबपाशी होगी। लेकिन मैं अपने इलाक़े भिवानी की तरफ़ से शिक़ायत करता हूं। सारे पंजाब में एक भिवानी का ऐसा इलाक़ा है जिसकी मैं शिकायत करता हूं। वहां पर नेचर ने हमारे साथ यह सख्ती की है कि तीन तीन सौ फुट तक कुंवा खोदते चले जाओ। हो सकता है कि कहीं दस फुट मीठा पानी मिल जाय, वरना खारी पानी ही मिलता है। जिसका नतीजा यह होता है कि आदमी और डंगर तबाह हो जाते हैं। उस इलाक़े की हालत बहुत खराब है।

इसी तरह से गड़गांव के बारे में क़िदवई साहब ने मेहरबानी करके फरमाया था कि

हम तुमको दो करोड़ रुपया या तो प्लानिंग कमीशन से दिला देंगे या अपने पास से देंगे। जो आपकी रिवर वैली स्कीम्स हैं उनका पानी गुड़गांव में पहुंचाया जा सकता है। वहां के लिये कोई स्कीम नायी जाय। लेकिन किदवई साहब की वफ़ात की वजह से फिर वह मामला रुक गया। हमारा ऐसा इलाक़ा है जहां से कोई मिनिस्टर नहीं बना, और तो और कोई डिप्टी कमिश्नर भी, सर शादी लाल को छोड़ कर, नहीं बना। वह लोग नौकरियों में नहीं जाते हैं और वहां के लोगों के साथ सही सलूक नहीं किया गया है। वहां पर आपकी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का पानी आसानी से पहुंच सकता है और इसके लिये किदवई साहब ने ५० लाख रुपया का वायदा इस साल में खर्च करने का किया था। लेकिन जब मैं ने अजित प्रसाद जी की खिदमत में अर्ज किया तो उन्होंने कहा कि हम तो दस लाख से ज्यादा अपनी मिनिस्टरी से नहीं दे सकते। हमने प्लानिंग कमीशन को दरखास्त की। पता नहीं उन्होंने इसे किसी स्कीम में शामिल किया है या नहीं। यहां तो यह काम फौरन होना चाहिये था। यह तो एक बैकवर्ड एरिया है। मेरी मुसीबत को जनाब सोचें। गुड़गांव में से जमना नहर निकलती है। हमारे इलाक़े के बीच में से यह पानी चला जाता है लेकिन हम इसमें से एक बूंद भी नहीं ले सकते। यह पानी यू० पी० चला जाता है। आपको जिला गुड़गांव में पानी ले जाने का अख्तियार है लेकिन हम उसमें से एक बूंद पानी अपने यहां आसपाशी के लिये नहीं ले सकते। क्या एक मां अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक कर सकती है कि एक के इलाक़े में से पानी निकाल ले जाय और उसको एक बूंद पानी भी न दे। फिर भी आप कहते हैं कि सेक्शन १४ है। इलाक़ों के लिये आपका सेक्शन १४ नहीं है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिये कि ऐसे इलाक़ों को पहले मदद दे। हमारा भाकड़ा डैम अब बन रहा है। अंग्रेजों के जमाने में ३३ साल तक यह स्कीम गवर्नमेंट के सामने रही और इन कंसीडरेशन्स की वजह से कि यह हिन्दुओं का इलाक़ा है इसको पूरा नहीं किया गया। इसके बाद वाली थल स्कीम्स पूरी हो गयी लेकिन इसको पूरा नहीं किया गया। इस इलाक़े की तरफ़ किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा। गवर्नर साहब आये तो उन्होंने कहा कि अगर इस इलाक़े को पानी दे दिया गया तो मवेशी कहां से आवेंगे और रिक्रूट कहां से आवेंगे। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि अब इस तरह के कंसीडरेशन्स के दिन गुजर चुके। जो बैकवर्ड इलाक़े हैं उनके साथ आपको पूरी हमदर्दी होनी चाहिये और जल्द से जल्द उनको दूसरे इलाक़ों की बराबरी में लाना चाहिये। जो कान्स्टीट्यूशन की दफा पहले दफा १६ थी वह अब आपके ३०१ से ३०७ तक की आर्टिकिल्स में रखी है। अगर किसी इलाक़े में अनाज ज्यादा हुआ हो और दूसरे में न हुआ हो तो अगर उस इलाक़े में अनाज बहुत महंगा मिले जहां वह पैदा नहीं होता तो मैं समझूंगा कि हिन्दुस्तान एक नहीं है। हिन्दुस्तान उसी वक्त एक समझा जा सकता है जब कि जो पैदावार एक हिस्से में हो वह दूसरे इलाक़े में उसी भाव पर बिके, हां ट्रान्स्पोर्टेशन चार्जेज और लग जांय। अगर आप इस नुक्ते निगाह से देखें तो आपको मालूम होगा कि यह जो क्विक रिजल्ट्स की दलील दी जाती है अब यह उतनी ठीक नहीं है। इस वक्त ऐसी क्विक रिजल्ट की जरूरत नहीं है। जिस वक्त उसकी जरूरत थी तो मैं ने खुद कहा था कि इस वक्त यही उसूल रखा जाय कि जहां ज्यादा अनाज पैदा हो सकता है वहीं हम काम करें। अब हम अनाज के मामले में सेल्फ सफीशेंट हो गये हैं। इसलिये मुझे उम्मीद है कि जो इलाक़े पसमांदा हैं उनके साथ गवर्नमेंट इन्साफ करेगी। चाहे यह रिवर वैली स्कीमों का मामला हो या और कोई

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तरक्की का मामला हो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट सारे मुल्क को एक निगाह से देखे। जो अच्छे इलाक़े हैं अगर उन्हीं को आप और मदद करेंगे तो जो पिछड़े हुये इलाक़े हैं वह और भी पीछे रह जायेंगे। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि आप इन इलाक़ों को उसी निगाह से देखें कि जैसे मां अपने छोटे छोटे बच्चों को देखती है। जो ज्यादा बैकवर्ड इलाक़े हैं जहां पीने तक को पानी नहीं मिलता है उनकी तरफ़ आप पहले ध्यान दें। सिर्फ रिजल्ट्स को ही देखकर आप फैसला न करें। मैं मानता हूं कि रिजल्ट्स भी एक चीज है। उनका भी जरूर ध्यान रखना चाहिये। लेकिन और बातों की तरफ़ भी आपको ध्यान देना चाहिये। सिर्फ यही नहीं देखना चाहिये कि वहां इतनी कपास पैदा हो जायगी तो उससे इतना पैसा आ जायेगा। यह कंसीडरेशन्स किसी हद तक ठीक हैं लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको पहले मदद दी जानी चाहिये।

इसलिये जो उसूल मेरे दोस्त ने अपने रिजोल्यूशन में रखा है मैं गो कि उससे एक्सेप्शन नहीं ले सकता लेकिन जो चीजें प्लानिंग कमीशन के कोड में दर्ज हैं मैं उनके साथ उसको पढ़ना चाहता हूं। उनके साथ इस रिजोल्यूशन को मिलाकर ही पूरी पिक्चर पेश की जा सकती है। यह नहीं होना चाहिये कि क्विक रिजल्ट्स की खातिर आप बैकवर्ड इलाक़ों को भूल जायें। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इसकी एक कम्पलीट पिक्चर को देखें और तब फैसला करें तो मुनासिब होगा।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं माननीय मित्र श्री झूलन सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प से पूर्णतः सहमत नहीं हूं। हम इसको सामान्य नियम नहीं बना सकते कि उन्हीं योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जो कि कम लागत में जल्दी लाभ पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जैसा कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा, कि हमारे देश में कुछ पिछड़े हुये भी भाग हैं, जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मैं ने बहुधा योजना और सिंचाई मंत्री से यह निवेदन किया है कि वे उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दें, जो कि वर्षों से उपेक्षित हैं। औरंगाबाद उसमें से एक है। यह स्थान सभ्यता का केन्द्र है तथा अनेक पर्यटक यहां आते हैं। किन्तु यहां पर पानी का बहुत अभाव है। मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटी सिंचाई योजनाओं में माननीय मंत्री इसको प्राथमिकता दें। हैदराबाद में जो नदी घाटी योजनायें चलाई जा रही हैं, उनमें से अधिकांश उन स्थानों में केन्द्रित हैं, जहां पानी तथा सभी चीजें बहुतायत से हैं।

एक योजना पूर्ण परियोजना के बारे में भी है। मुझे नांदीकोंडा योजना या तुंगभद्रा योजना के प्रति कोई आपत्ति नहीं, किन्तु साथ ही साथ हमें पिछड़े हुये क्षेत्रों का भी ध्यान रखना चाहिये।

मैं एक बात बड़ी नदी घाटी योजनाओं के बारे में भी कहना चाहता हूं। मुझे भाखड़ा-नंगल योजना या दामोदर घाटी योजना के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। अन्ततः वे भी हमारे देश में ही है। कोई भी नहीं कह सकता कि भाखड़ा-नंगल की योजना एक गलत क़दम है। जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है, हम इस पर ८० करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इस परियोजना को प्रारम्भ करने का मुख्य प्रयोजन बाढ़ का नियन्त्रण करना था और सिंचाई तथा विद्युत् का उद्देश्य उसके बाद आता था। किन्तु अब बाढ़ नियन्त्रण के उस उद्देश्य को भुला दिया गया है। मैं ने स्वयं उस क्षेत्र का

निरीक्षण किया है और मैं कह सकता हूं कि इन बांधों से बाढ़ पूरी तरह नहीं रोकी जा सकती ।

डा० एम० एम० दास : यह कहना पूर्णतः गलत है कि उनसे बाढ़ नियंत्रण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

डा० सरेश चन्द्र: विशेषज्ञों की राय है कि कुछ सालों के बाद इन बांधों से बाढ़ नियन्त्रण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा । हमने जो कुछ काम किया है, वह पिछली दस या पन्द्रह सालों की बाढ़ के अनुभव पर ही किया है । यदि भविष्य में गत बाढ़ों से बढ़ कर कोई बाढ़ आ जाती है, तो इन बांधों से काम नहीं चलेगा ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुये]

श्री एस० एन० दास (दरभंगा--मध्य): मैं उन विशेषज्ञों के नाम जानना चाहता हूं ।

डा० सुरेश चन्द : आप दामोदर घाटी निगम के प्रतिवेदनों को देख सकते हैं । मैं कह रहा था कि जिस उद्देश्य के लिये दामोदर घाटी परियोजना आरम्भ की गई थी, वह पूरा न होगा । पहला प्राक्कलन ४० करोड़ रुपये का था, और अ यह बहुत बढ़ गया है ।

कई बांध तैयार हो चुके हैं, किन्तु सिंचाई की नहरें अभी तैयार नहीं हुई हैं ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में उन क्षेत्रों की परियोजनाओं को सब से पहले सम्मिलित करना चाहिये, जो पिछड़े हुये हैं, और जहां अभी तक कोई काम नहीं हुआ है तथा जहां पीने का पानी भी नहीं है । सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

डा० गंगाधर शिव (चित्तौड़--रक्षित अनसूचित जातियां) : रायलसीमा में पानी की इतनी कमी है कि लोगों को पीने के लिये भी पानी नहीं मिलता । मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार ने रायलसीमा की इतनी उपेक्षा क्यों कर रखी है ।

मैं बड़ी परियोजनाओं का विरोध नहीं करता, परन्तु यह मैं अवश्य कहूंगा कि रायलसीमा जैसे पिछड़े क्षेत्र में सिंचाई का कोई भी काम नहीं है । मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये । यदि सिंचाई के छोटे काम पूरे हो जायें तो वर्षा का जल भी संभाल कर रखा जा सकता है ।

मूंगफली रायलसीमा की मुख्य उपज है, परन्तु राज्य सरकार ने वहां की रैयत के प्रति सहानुभूति न दिखाते हुये उन्हें अधिक निर्धन बना दिया है । मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार रायलसीमा के मामलों में अधिक दिलचस्पी लिया करेगी । रायलसीमा समाज की प्रजातन्त्रात्मक तथा समाजवादी रुपेरेखा की सफलता का आदर्श उपस्थित किया है । अतः रायलसीमा में सिंचाई के पर्याप्त छोटे काम आरम्भ करने चाहिये ।

श्री आर० एस० दीवान : इस संकल्प का उद्देश्य यह दिखाई देता है कि पिछड़े हुये क्षेत्रों में छोटी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाये । रायलसीमा जैसे क्षेत्रों मे बड़ी परियोजनायें सम्भव नहीं हैं, और इसी आधार पर उन्हें अपेक्षित क्षेत्र मान लेने का कोई कारण नहीं है । रायलसीमा के समान मेरे इलाक़े में भी बड़ी परियोजनायें सम्भव नहीं हैं । मैं मान सकता हूं कि छोटी परियोजनाओं को सब से पहले अपनाना चाहिये । इसलिये केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इन पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई के काम आरम्भ करवाये । जहां पहले ही सिंचाई परियोजनायें विद्यमान हैं, वहां कुंओं के लिये पानी इकट्ठा करने का प्रबन्ध होना चाहिये, जिससे खेती

[श्री आर० एस० दीवान]

बाड़ी को लाभ पहुंचे और पीने के लिये पानी मिल सके । जहां नदियां हों वहां उनका उपयोग उठाना चाहिये ।

दक्षिण भारत के सदस्यों ने इस संकल्प का अर्थ दूसरी ओर लगा लिया है । वास्तव में इस का आशय यह है कि पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में, जहां बड़ी परियोजनायें सम्भव नहीं हैं, सिंचाई की छोटी परियोजनायें चालू की जानी चाहियें, इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री लक्षमैय्या (अनन्तपुर) : जब देश में खाद्यान्न की कमी थी, उस की दृष्टि से यह संकल्प ठीक था, परन्तु अब जब कि हम स्वावलम्बी हो गये हैं, हमें इस प्रश्न पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये ।

देश की प्रगतिशील अवस्था में निर्धन और पिछड़े क्षेत्र देश के नाम पर धब्बे हैं, जिन्हें दूर करना हमारा कर्तव्य है । अतएव हमें कमी वाले क्षेत्रों की उन्नति करनी चाहिये ।

दक्षिण में यह प्रचार फैला हुआ है कि योजना की अधिक धनराशि उत्तर भारत की परियोजनाओं पर खर्च हो रही है । परिणामस्वरूप दक्षिण भारत में तुंगभद्रा परियोजना को छोड़ कर और कोई बड़ी परियोजना नहीं है । रायलसीमा के लोग तुंगभद्रा पर उच्च धरातल का नाला निकालना चाहते हैं, परन्तु मीनारखाने में तूती की आवाज कौन सुनता है ? इसका फल यह हुआ है कि इतनी लागत से तुंगभद्रा परियोजना तैयार हुई है, परन्तु चालीस मील के क्षेत्र तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचती है । फिर इतना खर्च करने का क्या लाभ हुआ है ?

दक्षिण के लोग समझते हैं कि बाढ़ से नियंत्रण योजनाओं के नाम पर बड़ी धनराशि ले ली गई है और शेष छोटी और शीघ्रकारी योजनाओं के नाम पर ले ली जायगी । इन परियोजनाओं का दक्षिण भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । यदि यह संकल्प स्वीकार कर लिया जायगा तो दक्षिण भारत की अनेक परियोजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जा सकती है । हमें तो भूखे और आवश्यकता वाले क्षेत्रों को बचाना चाहिये ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों और कमी वाले क्षेत्रों को सिंचाई की तथा अन्य प्रकार की सुविधायें प्रदान करनी चाहिये, ताकि उनका जीवन-स्तर और आर्थिक स्तर अन्य क्षेत्रों के समान ऊंचा उठ सके ।

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : सभापति जी, प्रस्तावक ने जो छोटी सिंचाई योजनाओं के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया है, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है । जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना पूरी होने वाली है, उसमें हमारी सरकार ने बड़े बड़े बांधों की योजना बनाई थी । और इन बांधों में देश का बड़ा हित निहित है । अब जो अगली योजना बन रही है, उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटे परन्तु आवश्यक काम पहले हों कि हम कहते हैं कि जो हमारी योजना बनेगी, वह जनता की योजना होगी । इसके लिये बहुत सी आवश्यक बातें ऐसी हैं कि जो सरकार को ध्यान में रखनी है । मिसाल के लिये मैं आपको बतलाऊं कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर बड़ी नदियां नहीं हैं और वहां पर बड़े बांध बनाये नहीं जा सकते ऐसी स्थिति में अगर हम बड़े बड़े बांधों की बात सोचते रहेंगे, तो जिन क्षेत्रों में कोई आबपाशी के साधन नहीं हैं, तथा सिंचाई की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है, वहां पर कोई

बांध बनेंगे ही नहीं । इसलिये जरूरी हो जाता है कि हम उन क्षेत्रों की तरफ़ भी ध्यान दें कि जहां पर बड़े बांध तो नहीं बनाये जा सकते लेकिन जहां पर सिंचाई के साधन हमें पैदा करना है । इन साधनों को पैदा करने के लिये एक तो छोटे छोटे बांध बनवाइये, छोटी बधियां नालों पर बांधी जा सकती हैं । छोटे छोटे बांध बांध कर वहां पर आप सिंचाई का काम ले सकते हैं । कई राज्यों में यह काम चल रहा है लेकिन जो सब से बड़े दुःख की बात है वह यह कि हमारे राज्य में यह किया गया है कि एक एकड़ जमीन में पानी केवल १०० रुपये की लागत में भर जाये । उत्तर प्रदेश में यह औसत रक्खा गया है कि १०० रुपये में अगर एक एकड़ जमीन में पानी भर जाय तो वह बांध बनायेंगे, लेकिन अगर १०० रुपये से ज्यादा लगते हों, तो वह बांध नहीं बनायेंगे । अब मैं आपको बतलाऊं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे बुंदेलखंड, जो एक पहाड़ी तथा ऊंचा नीचा इलाक़ा है और वहां पर सम्भव नहीं है कि सभी जगह १०० रुपये में एक एकड़ जमीन में पानी फैल जाय, इसलिये वहां जो बांध बनाने के लिये अर्जियां आती हैं, वे मंजूर नहीं की जाती हैं । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि औसतन अगर यह हो जाय कि किसी क्षेत्र में २ बीघे में १० रुपये लगते हैं और किसी जगह आधे बीघे में सौ रुपये लगते हैं, तो दोनों को जोड़ कर अगर दो सौ रुपये में दो एकड़ में पानी भरने का औसत पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर बांध मंजूर करना चाहिये । किसी में औसतन कम लगे और दूसरे में ज्यादा लगे, तो दोनों को जोड़ कर औसत ठीक होने पर बांध खड़ा कर दिया जाय और ऐसा करने से जिस इलाक़े में ज्यादा खर्चा करना है, वहां के लोगों को भी लाभ पहुंचेगा और कम वाले इलाक़े को भी लाभ पहुंचेगा ।

इसके अतिरिक्त मेरी शिक़ायत यह है कि जो नाले मौजूद हैं उन नालों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है । नालों से दो नक़सान हमको होते हैं । एक तो यह कि बरसात के दिनों में मैं ने अपनी कान्स्टीट्यूएंसी में जराखर तहसील राठ में देखा है कि ६, ६ और ७, ७ मील के घेरे में पानी भरा रहता है, दो तीन महीने तक पानी वहां पर भरा रहता है और बरसात निकल जाने के बाद वह पानी बिलकुल सूख जाता है, और उस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है । साथ ही साथ बरसात के दिनों में तमाम ट्रैफिक रुक जाता है, न बैलगाड़ी जा सकती है न घोड़ागाड़ी आ जा सकती है और किसी सवारी की बात तो जाने दीजिये, इतने पानी में पैदल चलने में भी काफ़ी दुश्वारी पेश आती है । ऐसा एक नाला पांडुवाहक है जो अनेकों गांवों को छीपवत बना देता है । यह नाला इतना गहरा और तेज है कि तैर कर पार करना भी आसान नहीं । आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसे नालों पर बांध बना दें तो उसका एक लाभ तो यह होगा कि उस पानी का हम इस्तेमाल कर सकेंगे और साथ ही साथ यातायात भी चलता रहेगा । एक काम तो आपको यह करना चाहिये कि जहां जहां पर ऐसे खतरनाक़ नाले हों, उन पर बांध बना दीजिये, और उससे आपका आ पाशी का भी काम चलेगा और यातायात का साधन भी लोगों को उपलब्ध होगा । मेरे क्षेत्र में दो बड़े बड़े बांध बनाये गये हैं जिन से कई लाभ हुये हैं । कबरई बांध पर सत्तरह लाख रुपया खर्च आया और जिससे ५ हजार एकड़ की आबपाशी हुई, दूसरे अर्जुन बांध बनाने पर ९५ लाख रुपया खर्च हुआ जिससे २९ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हुई जिसका अन्दाजा यह है कि १७ लाख का ५.५ गुना तो खर्च हुआ लेकिन सिंचाई हुई ६ गुनी । यह ठीक है कि बड़े बड़े बांध बनाने से काफी

[श्री एम० एल० द्विवेदी]

क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है । इसलिये जो छोटे बांधों के लिये मैं कहता हूं तो उसका यह मतलब नहीं है कि बड़े बांधों की योजना बिल्कुल छोड़ दी जाय, मेरा कहना तो यह है कि बड़े बांध जहां पर बनाये जा सकते हों, अवश्य बनाये जायें लेकिन इसके साथ साथ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जहां जहां बड़े बांध बनना सम्भव नहीं है, और वहां सिंचाई की जरूरत है, ऐसे स्थानों पर छोटे छोटे बांध बनाये जाने चाहियें, अगर इस क़िस्म की योजना आप करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल होंगे और आपके ऐसा करने से जनता में भी आपके प्रति विश्वास उत्पन्न होगा । लेकिन जो सब से बड़ी बात मैं आप से कहना चाहता हूं वह यह है कि कुछ इलाक़े ऐसे हैं कि जहां से निवासी श्रमदान देने को तैयार हैं और श्रमदान देकर वह काम करना चाहते हैं । ऐसे कार्यों के लिये एक तिहाई रुपया या आधा रुपया आप देते हैं और बाक़ी वह श्रमदान से पूरा कर देते हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां जनता श्रमदान करने को तैयार है और अपना योग देने को तैयार है, वहां सब से पहले योजना तैयार की जाय। जो लोग श्रमदान देने को तैयार न हों, उनको प्रायरटी न दी जाय । हमारे इलाक़े जिला हमीरपुर में ३६ मील की नहर श्रमदान से बनाई गई है, और भी काम हुये हैं जैसे लगभग १०० मील सड़कें, पंचायतघर, विनोबा पाठशाला, अस्पताल आदि आदि । उसके लिये सरकार से एक कौड़ी भी नहीं ली गई सरकार कोई मदद हमको नहीं करती, यहां तक कि एक तिहाई की भी सहायता नहीं मिली । सरकार उस इलाक़े में मदद करती है जहां कि जनता श्रमदान में सहयोग नहीं दे रही है। अतएव मैं कहना हूं कि यदि श्रमदान के काम पर आप जोर देंगे तो देश में उत्साह बढ़ेगा । असली जरूरत सरकार की मदद की वहां पर होती है जहां कि लोग श्रमदान देने को तैयार होते हैं। जहां जरूरत नहीं होती है वहां के लोग खामोश बैठे रहते हैं । आपके जो संसद्-सदस्य तथा अन्य प्रतिनिधि हैं वह अपने अपने क्षत्रों की बात जानते हैं, आप जो योजना बनायें, उनमें उनकी भी राय लीजिये और विधान सभा के जो सदस्य हैं उनसे भी राय लीजिये, जो अधिकारियों के स्तर (आफिशियल लेविल) पर योजनायें बनती हैं, उनमें सही सही बातों का पता नहीं चल पाता। इसलिये सरकार को चाहिये कि जो भी वह योजना बनाये उन्हें कार्यकर्ता (पब्लिक वर्कर्स) देहातों में जो काम करते हैं उनकी राय लेकर बनाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से आपके जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वह ज्यादा सरल बनेंगे, कम खर्चीले होंगे और ज्यादा लाभदायक होंगे । अगर आप मेरे सुझाव को मान लेंगे और राज्य सरकारों को इस सिलसिले में आवश्यक ताक़ीद करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी अगली पंचवर्षीय योजना सही माइने में जनता की सच्ची योजना होगी और सब लोग उसकी कद्र करेंगे ।

श्री पी० एल० बारूपाल (गंगानगर झुंझनूं—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हमारे बहुत से साथी पहले बोल चुके हैं । हर एक ने बताया कि हमारा ऐरिया बैकवर्ड है, मैं भी उनसे सहमत हूं, लेकिन राजस्थान जो कि वीरभूमि जरूर है परन्तु वह प्रदेश कितना सूखा है और भूखा है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । मैं आपको बताऊं कि हमारे राजस्थान प्रदेश की समस्या बड़ी अजीब है, वहां पर बीस, बीस मील दूरी तक पीने को पानी नहीं मिलता है, सिंचाई की बात तो दूर रही, बीकानेर की तहसीलों लूनकरनसर आदि में पानी नहीं

निकलता है और अगर निकलता भी है तो ३०० फुट गहरा और खारा पानी पीने से पशु भी मर जाते हैं। कई गांवों की ऐसी हालत है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस मरुभूमि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर ऐसे बांध बांधे जायें जिससे सिंचाई होती तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन कम से कम लोगों को पानी तो पीने को मिल जाय और अगर वहां पर पानी लोगों को सुलभ हो जाय तो वहां की जनता बड़ी सुखी और सन्तुष्ट हो सकती है,। पानी की वहां पर कितनी कमी महसूस की जाती है, इसके बारे में तो राजस्थान की हिस्ट्री में और दूसरी की किताबों में भी पढ़ा होगा कि वहां के ग्रामीण लोग आपको पीने के लिये दूध दे सकते हैं लेकिन पानी नहीं, क्योंकि पानी को वह बचा कर रखना चाहते हैं। पानी उनको अति प्रिय है क्योंकि उसकी वहां पर बहुत ही कमी है। पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिसको छोटे कुंडों में वर्षा होने पर इकट्ठा करते हैं। अन्त में मैं और अधिक न कह कर यह कहना चाहूंगा कि जो जैसलमेर और बीकानेर के इलाक़े हैं वहां पर नहरें और बांध बनाये जायें जो कम से कम ग्रामीण लोगों को पीने के पानी की और खेती की सुविधा हो जाय। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा समय अपन विचार प्रकट करने के हेतु दिया।

श्री हाथी: यह संकल्प स्पष्ट रूप से एक ऐसा आदर्श प्रस्ताव है, जिसके सम्बन्ध में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। यह विचार पहली दृष्टि में ही प्राप्त होता है। किन्तु इसका गम्भीर अध्ययन करने पर किसी भी व्यक्ति को इसे शब्दशः स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है। संकल्प की भावना ग्राहय हो सकती है, परन्तु जब इस सभा ने एक संकल्प स्वीकार कर लिया है, तो सभा के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस सभा को उस संकल्प से बद्ध करना चाहते हैं। वास्तव में वाद-विवाद के अन्तर्गत यही बात हुई है।

जैसा कि हम वाद-विवाद से देखते हैं इस संकल्प के प्रस्तावक ने इस का समर्थन किया है। दूसरे वक्ता ने यह शर्त लगा दी है कि कम खर्च ही मुख्य आधार नहीं होना चाहिये और बाढ़ों का उदाहरण दिया। बाढ़ रोकने के लिये कम खर्च नहीं आ सकता, हो सकता है कि इन परियोजनाओं का अन्य परियोजनाओं के समान लाभ न हो। उन्होंने अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया और अन्य दो परियोजनाओं का उल्लेख किया। तीसरे वक्ता, एक संशोधन रखना चाहते थे, और सभा को इस संकल्प से बद्ध करना उचित नहीं समझते थे और उस में "साधारण रूप में" शब्द जोड़ना चाहते थे। वादविवाद के साथ साथ, अन्य बातें भी सामने आने लगीं, और प्रादेशिक क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों, कमी वाले क्षेत्रों, राष्ट्रीय धन के वितरण तथा अन्य बहुत सी बातों का विचार हमारे सामने आ गया। बाद में, पण्डित ठाकुर दास भार्गव बोले और उन्होंने योजना आयोग के प्रतिवेदन और विभिन्न माप-दण्डों का उल्लेख किया तथा जो प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिये नियत किये गये हैं।

इन सब बातों से एक निष्कर्ष निकलता है। सभा की चर्चा के रुख को देखते हुये भी और यहां व्यक्त किये गये विभिन्न मतों का विचार करते हुये यह पता चलता है कि संकल्प अपने मूल रूप में स्वीकार नहीं होगा। निस्सन्देह, जैसा कि मैं ने आरम्भ में कहा, यह परोक्ष रूप में आदर्श प्रतीत होता है।

अब मैं बताऊंगा कि योजना आयोग ने इस विषय में क्या नियत किया है। संकल्प, अपने मूल रूप में, यह चाहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित

[श्री हाथी]

की जाने वाली नदी घाटी योजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्णय करने के लिये, उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जो सस्ते दामों पर, शीघ्र फल दे सकती हैं । सस्ते दामों से क्या अभिप्राय है ? किसी योजना को सस्ती या महंगी बनाने वाली कई चीजें होती हैं । एक ही क्षेत्र में दो योजनायें हो सकती हैं, एक योजना कुछ भूमि में सिंचाई कर सकती है, यह सस्ती हो सकती है । उसी राज्य में दूसरी योजना भी हो सकती है, किन्तु योजना कमी वाले क्षेत्र या पिछड़े क्षेत्र या आवश्यकता वाले क्षेत्र में हो सकती है । यह दूसरी योजना की तुलना में महंगी हो सकती है । बात यह है, कि आज यदि पहली योजना पर लगभग १५० रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है, तो दूसरी पर २०० रुपये प्रति एकड़ का खर्च आ सकता है, किन्तु दूसरी महंगी योजना द्वारा जिस क्षेत्र में सिंचाई होगी, वह काफी बड़ा हो सकता है और उस में वे क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्हें सस्ती योजनाओं द्वारा सींचा जाने का विचार किया गया है । इसलिये, यदि हम दो योजनाओं की तुलना करें, पहली जो केवल सीमित विशिष्ट क्षेत्र की सिंचाई के लिये सस्ती है, जिसमें कमी वाला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, किन्तु प्रति एकड़ कुछ और रुपये लगा कर आप उस क्षेत्र को भी बीच में ले सकते हैं और बड़े क्षेत्र को लाभ पहुंचा सकते हैं तथा कमी वाले, या पिछड़े या पानी की आवश्यकता वाले क्षेत्र को लाभ पहुंचा सकते हैं । दोनों में से हम किस को चुनें ? क्या हम पानी और सिंचाई की अत्यन्त आवश्यकता वाले क्षेत्र के मुकाबल में किसी दूसरे क्षेत्र को केवल सस्ते होने के कारण चुन लेंगे ? इस विषय में माननीय सदस्यों ने इसी आधार को मापदंड मानने से इनकार किया है । सस्तापन ही एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती । निस्सन्देह हमें योजना में सम्मिलित करने के लिये तुलनात्मक सस्ती योजनाओं की बात पर विचार करना होगा । परन्तु सस्ते शब्द की परिभाषा कई दृष्टिकोणों से करनी पड़ेगी । मूल संकल्प में सस्ते की कोई परिभाषा नहीं दी गई है । केवल धन के रूप में सस्तापन नहीं देखा जाता । समाज को अन्य दृष्टियों से लाभ हो, इस दृष्टिकोण से भी सस्तापन देखा जायगा । मानव जीवन को बचाने के सम्बन्ध में भी सस्तापन आ सकता है । ये सब बातें योजना आयोग के प्रतिवेदन में पृष्ठ ३६७ पर कसौटी के रूप में दी गई हैं । मैं आपकी अनुमति के साथ संगत खण्ड पढ़ूंगा जिस की संख्या ३ है :

> "जो परियोजनायें प्रति एकड़ सिंचाई की लागत या तैयार की गई प्रति यूनिट बिजली की लागत की तुलना में सीधी वित्तीय आय की दृष्टि से अधिक लाभदायक हैं, और जो समाज को अधिक लाभ पहुंचाती हैं तथा जो शीघ्र फल देती हैं, उन को प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।"

यह निर्धारित किये गये मापदण्डों में से एक है । इसका मतलब है दोनों बातें । इसका अभिप्राय है कि परिणाम की प्राप्ति शीघ्र हो । इसमें यह भी बताया गया है कि इसकी लागत कम होनी चाहिये, परन्तु और बातों को छोड़ कर केवल लागत में ही कमी न हो ।

समूचे भाग के सम्बन्ध में जो कि किसी राष्ट्र को योजना से प्राप्त होगा, अर्थात एक एकीकृत ढंग जिसमें हमें किसी विशिष्ट योजना पर दृष्टिपात करना है । और फिर अन्य मान जो कि खण्ड ५ में निर्धारित किया गया है, इस प्रकार है :

> "खाद्य और विद्युत् की क्षेत्रानुसार आवश्यकताओं तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों

की भी आवश्यकताओं पर उचित विचार होना चाहिये ।"

यदि हम प्राथमिकता निर्धारित करने में नीति को उसी प्रकार लेते हैं जैसे कि योजना आयोग ने बनाई है, तो इससे प्रस्तुत किये गये लगभग समस्त तर्कों की पूर्ति हो जाती है। इसमें कहा गया है कि केवल सस्तेपन पर ही ध्यान नहीं देना है, केवल शीघ्रतापूर्वक फल प्राप्ति पर ही विचार नहीं करना है अपितु हमें क्षेत्र की आवश्यकताओं पर भी विचार करना है और यह भी ध्यान रखना है कि कोई क्षेत्र विशेष पिछड़ा हुआ क्षेत्र तो नहीं । अतः समूचे रूप में हमें विभिन्न कारणों का ध्यान रखना है और तब प्राथमिकतायें निर्धारित करनी हैं । अतः इस सभा को किसी ऐसे संकल्प से बांधना उचित नहीं है, जिससे कभी प्राथमिकतायें निर्धारित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो सके ।

प्राथमिकतायें निर्धारित करने में, अनेकों सदस्यों ने भिन्न-भिन्न योजनाओं के बारे में प्रश्न उठाये हैं । मेरा ख्याल है कि इस अवसर पर किसी भी योजना विशे पर कोई मत प्रकट करना मेरे लिये उचित नहीं है, क्योंकि जब किसी विशिष्टि योजना पर चर्चा होती है, उस समय उस पर उन विभिन्न दृष्टियों से विचार किया जा सकता है, जिनका ध्यान प्राथमिकता निर्धारित करने में रखना है । कोई योजना विशेष क्यों सम्मिलित की गई, कोई योजना-विशेष क्यों असम्मिलित की गई है, इन सब बातों पर हम इस समय विस्तृत रूप से विचार विमर्श कर सकते हैं जब कि हमें इसके लिये उचित समय प्राप्त हो, परन्तु जहां तक प्रश्न योजना का सम्बन्ध है, साधारणतया हम सब जानते हैं कि कुछ योजनायें ऐसी थीं जो पहिले से ही आरम्भ हो गई थी । हमें पर्याप्त सामग्री प्राप्त न थी और यहां तक कि हमने जो योजनायें आरम्भ कीं वे प्रायः अपूर्ण सामग्री के और अपूर्ण जांच पड़ताल के आधार पर ही आरम्भ की गई थीं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह विदित हुआ, कि जिसे सभा जानती है, कि प्रायः हमें आगे पूछताछ करनी पड़ी । कुछ भी हो, उस समय देश की आवश्यकताओं की दृष्टि से और इस बात का ध्यान रख कर कि कुछ योजनायें पहिले से ही चल रही थीं, इन योजनाओं को चलाया गया और योजना में सम्मिलित किया गया । अब हम इस स्थिति में हैं कि हम समूचे देश का एक स्पष्ट रूप देख सकते हैं, और हमारे पास देश के विभिन्न मांगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने के लिये समय है, और हम यह देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र-विशेष में योजना-विशेष को कार्यान्वित करना कहां तक व्यावहारिक है, योजना-विशेष की पुष्टि के लिये जनता का कितना सहयोग मिलेगा, और जनता कहां तक योजनाओं को अपनाने के लिये तैयार है ।

यह सुझाव दिया गया था कि जहां जन-सहयोग प्राप्त हो, वहां की योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । वास्तव में, मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं । वास्तव में, हम एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो यदि सफल होता है—मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रयोग सफल हो रहा है—तो हम इसे अन्य स्थानों पर कर सकते हैं । हम ऐसी और परियोजनायें आरम्भ कर सकते हैं और जनसहयोग के क्षेत्र में नदी घाटी परियोजनाओं का क्षेत्र बढ़ जायगा और यदि ऐसा होता है, तो इस देश में थोड़े समय में उत्तम परिणाम प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई न होगी । हमारे पास पर्याप्त जन-शक्ति है और यदि देश भी अधिक जन-शक्ति विभिन्न बांधों, कच्चे बांधों और पक्के बांधों के निर्माण में सहयोग दे, तो हमारे लिये आज की गति की अपेक्षा थोड़े

[श्री हाथी]

समय में लक्ष्य प्राप्ति करना तनिक भी कठिन न होगा। मुझे विश्वास है कि जनता सहयोग देगी। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम पहिले ही, जैसा कि मैं कह चुका हूं, कोसी में प्रयोग कार्य आरम्भ कर चुके हैं और हमें आशा है कि हमें इसमें सफलता होगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जहां श्रमदान आन्दोलन से कार्य हो रहा है और जहां सरकार ने तिहाई सहायता देने का वचन दिया था, वहां उन्हें यदि वह भी नहीं दी जाती, तो वह एक कठिन समस्या पैदा हो जाती है।

श्री हाथी : कदाचित् हम दो बातों को मिला रहे हैं। एक स्थानीय विकास कार्यों का प्रश्न है, और दूसरी बात, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं और जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था, हमारे इंजीनियरों के चीन जाने और कच्चे बांधों के निर्माण में जनता द्वारा सहयोग देने की बात है। ऐसे कार्यों में तिहाई या आधी सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं था। यह चाहे श्रमदान हो या चाहे मजदूर सहयोग हो। यह बात नहीं है कि हम केवल श्रमदान चाहते हैं। हो सकता है कि लोग श्रमदान न दे सकें, वे भुगतान पर कार्य करने के लिये लोगों को राजी कर सकते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : हमारे क्षेत्र म लोग तैयार हैं।

श्री हाथी : यह हो सकता है। हो सकता है कि वहां के लोग ग़रीब हों और वे कुछ भी सहायता न कर सकें। इसका कोई महत्व नहीं है। हम धन या मुफ्त श्रम का सहयोग नहीं चाहते। हमें अधिक लोग चाहियें, अधिक मजदूर चाहियें। हो सकता है कि यह ग्राम सहयोगी संस्थायें हों या मजदूर सहयोगी संस्थायें हों। वे आगे आ सकती हैं और कार्य कर सकती हैं।

दूसरी बात सामूहिक योजनाओं के बारे में थी जिनमें जनता से तिहाई या आधे की मांग की जाती है। यह एक सर्वथा भिन्न विषय है। मैं उस बात का उल्लेख करूंगा। जब मैं नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण में जनता के सहयोग की बात कर रहा था, तब मेरा विचार सर्वथा भिन्न था और वह जनता के सहयोग से पुश्ते और कच्चे बांध बनाने के बारे में था---चाहे यह श्रमदान द्वारा हो या यह भुगतान द्वारा---हमारा ऐसा करने का विचार तो था।

अन्य बात राष्ट्रीय धन के समान वितरण के बारे में कही गई थी। इस आलोचना से मुझे दुख हुआ कि उत्तर में क्षेत्र विशेष को अधिक धन दिया जा रहा है और दूसरे क्षेत्र को थोड़ा विचार यह है कि जहां कहीं और जब कभी सम्भव हो वितरण किया जाय। शिल्पिक दृष्टि से जहां सम्भव होता है, हम देश के विभिन्न भागों में विभिन्न योजनायें आरम्भ करते हैं। यह बात नहीं है कि उत्तर का दक्षिण की अपेक्षा अधिक पक्ष किया जाता है या पूर्व का पश्चिम की अपेक्षा। मैं समझता हूं कि हमें परियोजना योजनाओं पर या देश के किसी भाग पर इस भावना से दृष्टिपात नहीं करना चाहिये। और न ही मैं रायल सीमा पर इस दृष्टि से विचार करूंगा कि यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम में है या नहीं। योजना आयोग ने यह कहा है कि क्षेत्र की आवश्यकताओं क्षेत्र का पिछड़ापन और क्षेत्र के हित अवश्य आधार होने चाहियें न कि यह कि यह देश का कौन सा भाग है या किस दिशा में है। हमारा सम्बन्ध केवल इससे है कि उस क्षेत्र को सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं। क्या वहां अभाव है और योजनायें कार्यान्वित होना सम्भव है या नहीं ? अभाव के क्षेत्रों में भी हम कोई उच्च सीमा निर्धारित नहीं

कर रहे हैं—यह नहीं कि यह केवल १०० रुपये प्रति एकड़ हो—और अभाव के क्षेत्रों में ऐसी योजनायें भी हैं जिनके लिये हमने ५०० रुपये या इससे भी अधिक धन प्रति एकड़ स्वीकार किया है। अभाव के क्षेत्रों के लिये लगभग २०० करोड़ रुपये की लागत की योजनायें स्वीकार की गई हैं। वह १०० रुपये, २०० रुपये या ३०० रुपये प्रति एकड़ पर हम डटे नहीं रहे हैं। वास्तव में, उसके अनेकों मामलों का पालन नहीं किया गया है क्योंकि दिये जाने वाले पानी की अपेक्षा इसका कोई महत्व नहीं है। जहां हम जानते हैं कि क्षेत्र को पानी की बहुत आवश्यकता है और उसे सिंचाई के लिये पानी देना है—यदि वहां इसकी सम्भावना है—तो यह बात कि लागत २०० रुपये या ५०० रुपये तक अभाव के क्षेत्रों के बीच में नहीं आ सकती।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अपने समय से अधिक ले चुके हैं। अतः वह दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हाथी : मेरा निवेदन यह है कि जैसा कि हम सभा के मत से देख चुके हैं, संकल्प को ज्यों का त्यों स्वीकार करना सम्भव नहीं है। यद्यपि भाव की दृष्टि से योजना आयोग ने यह स्वीकार कर लिया है फिर भी अनेकों अन्य ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। परन्तु मुझे आशा है कि आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई नीति की दृष्टि से, माननीय सदस्य अपने संकल्प पर जोर नहीं देंगे।

श्री झूलन सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि मेरे संकल्प के आधारभूत सिद्धान्तों को योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है। मैं चाहता था कि राष्ट्रीय धन का संरक्षण किया जाय और उसका देश के अधिकाधिक लाभ के लिये प्रयोग किया जाय। यदि यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाता है, तो मुझे सन्तोष है कि मेरे संकल्प का उद्देश्य पूरा हो गया। अतः मैं इसे वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें

रक्षा मंत्रालय के बारे में मांगें

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
११	श्री वीरस्वामी (मयूरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)	सेना, नौ सेना तथा वायु सेना में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व।	१००
११	श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)।	रक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों के पर्याप्त व्यक्तियों की भर्ती न करना।	१००

१	२	३	४
			रुपये
११	श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर)।	असन्तोषजनक आयव्ययक बनाना	१००
११	श्री रामचन्द्र रेड्डी	सैन्य आयुध निकायों में (असैनिक) आयुध पदाधिकारी।	१००
११	वी० जी० देशपांडे (गुना)	आयुध कारखानों के पुनर्संगठन द्वारा युद्ध सामग्री में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता	१००
११	श्री श्री वी० जी० देशपांडे .	अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण	१००
११	सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला—भटिंडा)।	सेना कमीशन प्राप्त कनिष्ठ पदाधिकारी .	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर)।	सामाजिक-आर्थिक योजना के साथ रक्षा के एकीकरण की आवश्यकता।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	रक्षा सेवाओं का अभिनवीकरण	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	जे० सी० ओ० (कमीशन प्राप्त कनिष्ट पदाधिकारी) पदावलि को फिर बनाना।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	रक्षा तथा अन्य मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय का अभाव।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	रक्षा विज्ञान संगठन पर अधिक जोर की आवश्यकता।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) का पुनर्संगठन।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	आयुध तथा इंजीनियरिंग डिपो में मूल्यवान वस्तुओं के उचित रक्षण तथा प्रयोग की व्यवस्था न करना।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	राष्ट्रीय हित में आयुध कारखानों के पुनर्संगठन की तुरन्त आवश्यकता।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	रक्षा मंत्रालय के अधीन शैक्षिक और प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार की वांछनीयता।	१००

१	२	३	४
			रुपये
११	श्री यू० सी० पटनायक .	पोत-निर्माण, पत्तन विकास तथा अन्य असैनिक कार्यों के साथ एकीकरण द्वारा नौ रक्षा का विस्तार ।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	रक्षित वायुसेना, रक्षित रक्षा सेना तथा सहायक वायु सेना का विस्तार ।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक .	राष्ट्रीय सेवा और रक्षा के लिये असैनिकों के प्रशिक्षण के लिये तीनों सेवाओं का समन्वय ।	१००
११	श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) ।	रक्षा विभाग के लेखों में सामान्य अनियमितायें ।	१००
११	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश के सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये रक्षा बलों का प्रयोग ।	१००
११	श्री आर० आर० शास्त्री (जिला कानपुर—मध्य)	आयुध डिपुओं में सामान की देखभाल और रक्षण ।	१००
११	श्री आर० आर० शास्त्री	आयुध डिपुओं के पुनर्संगठन की आवश्यकता	१००
११	श्री आर० आर० शास्त्री	सैन्य आयुध निकायों में (असैनिक) आयुध पदाधिकारियों का स्थायीकरण ।	१००
११	श्री आर० आर० शास्त्री	सैन्य आयुध निकाओं में (असैनिक) आयुध पदाधिकारियों का वर्गीकरण ।	१००
११	श्री आर० आर० शास्त्री	रक्षा कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	१००
११	श्री आर० आर० शास्त्री	वर्तमान सेनाओं और भूतपूर्व सैनिकों से एक भूमि सेना बनाने की वांछनीयता ।	१००
१५	श्री रामचन्द्र रेड्डी .	विदेशों में सामान का क्रय	१००

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २८ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—21 LSD—4 60 55—000